निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक मंडल की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए
निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके
वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के
रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की
आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रेषण पत्र ..... i-ii

निदेशक मण्डल iii

संगठन तालिका iv

निगम के संपर्क सूत्र..... v

निगम के प्रमुख अधिकारी vi

संक्षेपाक्षर vii

2021-22 एक नज़र में ..... viii-ix

विशेषताएं ..... x-xiii

1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन 1-7

परिचय 1

इतिहास..... 1

संस्थागत कवरेज 2

बैंकों का पंजीकरण 2

बीमा कवरेज 2

सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार..... 3

बीमा प्रीमियम..... 3

पंजीकरण रद्द करना..... 3

बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण..... 4

दावों का निपटान 4

निपटाए गए दावों की वसूली..... 5

निधि, लेखे और कराधान..... 5

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण 8-22

जमा बीमा दायरा, कवरेज और वित्तीय स्थिरता..... 8

चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में दावा निपटान प्रक्रिया..... 11

अनुबंध 1: दिसंबर 2021 के अंत की स्थिति के अनुसार चुनिंदा देशों में
जमा बीमा कवर और प्रति व्यक्ति आय..... 16

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अनुबंध 2: चुनिंदा देशों में जमा बीमा कवरेज अनुपात (आईडी/एडी) और बीमित जमाराशियों के प्रमुख घटक 17

अनुबंध 3 : चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में जमा बीमा का दायरा, कवरेज और ई-मनी के प्रति व्यवहार 18

3. निदेशकों की रिपोर्ट 23-60

भाग I : परिचालन और कार्यपद्धति 23

जमा बीमा योजना – मुख्य तथ्य 24

जमा बीमा निधि 25

जमा बीमा दावों का निपटान 25

निपटाए गए दावे/ प्राप्त चुकौतियाँ 26

कोर्ट मामले 27

ऋण गारंटी योजनाएं 27

भाग II: अन्य महत्वपूर्ण प्रयास/ प्रगति 27

दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उपाय 27

वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय 27

भाग III: लेखा विवरण 28

बीमा देयताएं 28

वर्ष के दौरान राजस्व 28

संचित अधिशेष 28

निवेश 29

कराधान 29

भाग IV: खजाना परिचालन 29

भाग V: संगठनात्मक मामले 30

निदेशक मण्डल 30

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 30

आंतरिक नियंत्रण 30

प्रशिक्षण और कौशल विकास 31

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

स्टाफ संख्या 31

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 31

हिन्दी का प्रयोग 31

निगम में ग्राहक सेवा कक्ष 31

जन जागरूकता 32

अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ में भूमिका 32

लेखापरीक्षक 32

परिशिष्ट सारणियाँ

1. निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक – स्थापना के बाद से प्रगति 33

2क. बीमाकृत बैंक – श्रेणीवार 34

2ख. बीमाकृत सहकारी बैंक – राज्य वार (मार्च 2022 के अंत की स्थिति के अनुसार) 34

3. 2021-22 के दौरान पंजीकृत/विपंजीकृत बैंक 35

4. जमाराशि की सुरक्षा की सीमा: स्थापना के बाद से 36

5. बैंकवार श्रेणी : बीमाकृत जमाराशियाँ 37

6. 2021-22 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (परिसमाप्त/ विलय किए गए बैंक) 38

6क. 2021-22 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत बैंक) 39

7. आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार) 40

7क. आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान – एआईडी के तहत बैंक (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार) 41

8. निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ – 31 मार्च 2022 तक परिसमापित/समामेलित/पुननिर्मित सभी बैंक 42

8क. निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ – 31 मार्च 2022 तक सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक 60

4. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 61-63

5. तुलन पत्र और लेखे 64-79

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

बॉक्स

2.1. जमा बीमा कवर के निर्धारण की पद्धति 9

2.2 फिनटेक और जमा बीमा 10

3.1 डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधन की मुख्य विशेषताएं 25

3.2 2021-22 के दौरान दावों के समय पर निपटान के लिए पहल 37

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.निबीप्रगानि.सवि.सं.S588/01.01.016/2022-23 29 जून, 2022

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है:

i. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे और

ii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई- 400 008
दूरभाष : 022-23019792 Ext :8207, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008
Tel: 022-23019792 Ext: 8207. Mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निदेशक
Director

Azadi Ka Amrit Mahotsav

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.निबीप्रगानि.सवि.सं.S589/01.01.016/2022-23 29 जून, 2022

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है:

i. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

ii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

2. ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) की सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक मंडल*

अध्यक्ष	
डॉ. एम. डी. पात्र **उप गवर्नर** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31 मार्च 2020 से)
निदेशक	
श्री पम्मि विजय कुमार **कार्यपालक निदेशक** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (03 मई 2020 से 31 मई 2021 तक)
श्री आर. सुब्रमणियन **कार्यपालक निदेशक** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (26 अगस्त 2021 से 03 जनवरी 2022 तक)
डॉ. दीपक कुमार **कार्यपालक निदेशक** **भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (04 जनवरी 2022 से)
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा **संयुक्त सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (06 नवंबर 2020 से 10 नवंबर 2021 तक)
श्रीमती वंदिता कौल **अपर सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (11 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक)
श्री पंकज शर्मा **संयुक्त सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (01 अप्रैल 2022 से)
डॉ. गोविंद राजुलु चिंतल **अध्यक्ष** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (13 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2022 तक)

* 31 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार

संगठन तालिका

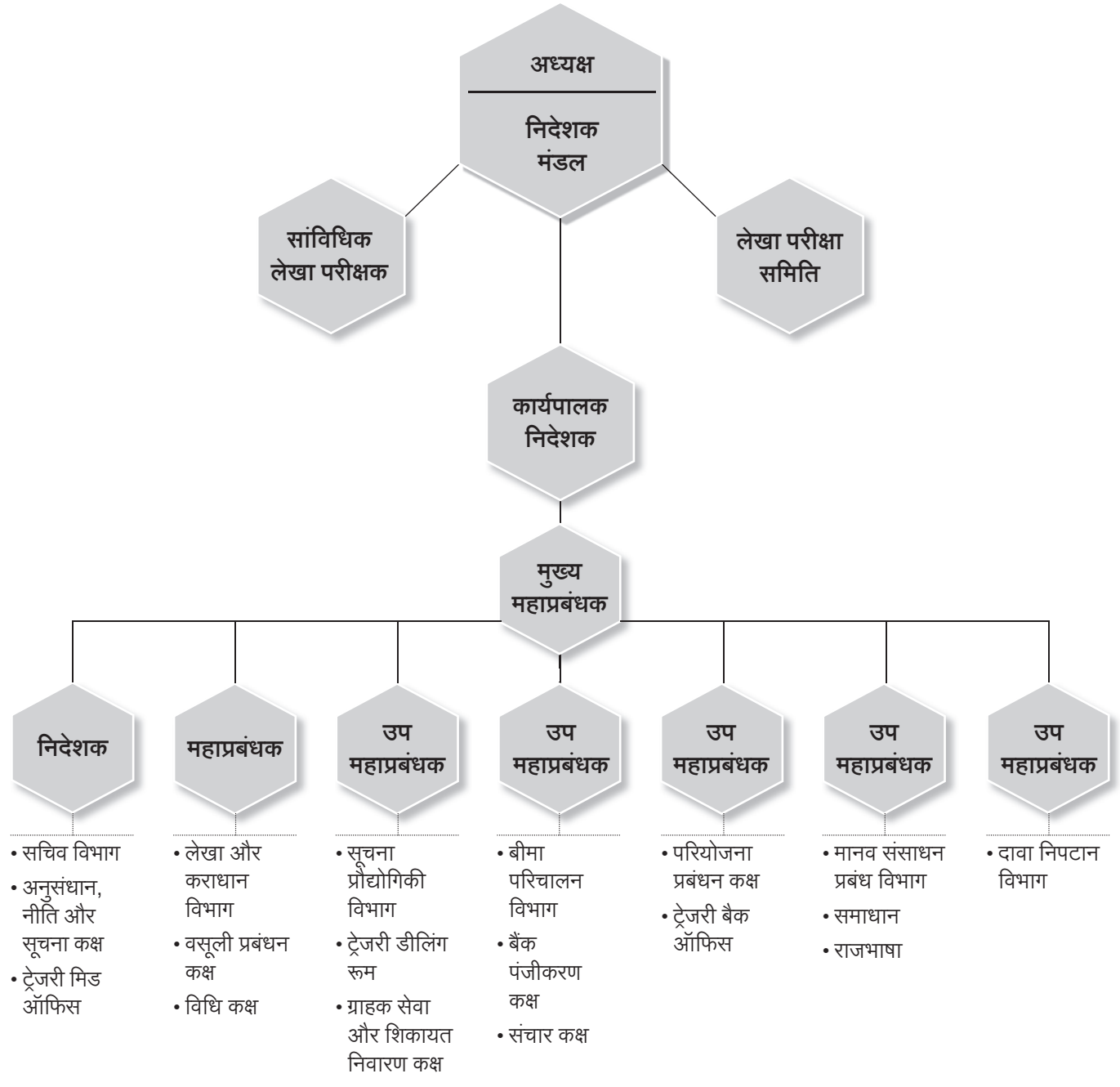
अध्यक्ष
निदेशक मंडल
सांविधिक लेखा परीक्षक
लेखा परीक्षा समिति
कार्यपालक निदेशक
मुख्य महाप्रबंधक
निदेशक
महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
• सचिव विभाग
• अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष
• ट्रेजरी मिड ऑफिस
• लेखा और कराधान विभाग
• वसूली प्रबंधन कक्ष
• विधि कक्ष
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
• ट्रेजरी डीलिंग रूम
• ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण कक्ष
• बीमा परिचालन विभाग
• बैंक पंजीकरण कक्ष
• संचार कक्ष
• परियोजना प्रबंधन कक्ष
• ट्रेजरी बैक ऑफिस
• मानव संसाधन प्रबंध विभाग
• समाधान
• राजभाषा
• दावा निपटान विभाग

निगम के संपर्क सूत्र

टेलीफोन	
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2302 1624	दावें
022-2306 2162	आरएमसी
022-2301 1991	आरटीआई

प्रधान कार्यालय **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम**

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, 2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई – 400 008. भारत

मुख्य महाप्रबंधक	anupkumar@rbi.org.in	022-2301 9603
निदेशक	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
महाप्रबंधक	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8204
उप महाप्रबंधक	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201
उप महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206
उप महाप्रबंधक	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
उप महाप्रबंधक	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 1150
उप महाप्रबंधक	navodita@rbi.org.in	022-2302 8209

ईमेल : dicgc@rbi.org.in

वेबसाइट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी *

कार्यपालक निदेशक

डॉ. दीपक कुमार

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनूप कुमार

सचिव और निदेशक

श्री एम. रामय्या

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री एम. रामय्या

महाप्रबन्धक

श्री एस. सतीश कुमार

उप महाप्रबन्धक

श्री मंगेश वाई. सोरते
श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि
श्रीमती संगीता ई
श्री सी. एम. सैमुएल
श्रीमती नवोदिता

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखा परीक्षक

मै. एनबीएस एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
14/2, वेस्टर्न इंडिया हाउस
सर पी. एम. रोड, फोर्ट
मुंबई 400 001, भारत

* 31 जुलाई 2022 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एजीएम	वार्षिक आम बैठक
एआईडी	सर्व समावेशी निर्देश
एपीआरसी	एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति
एएस	लेखांकन मानक
सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडीआईसी	कनाडा जमा बीमा निगम
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ़	ऋण गारंटी निधि
सीजीएस	क्रेडिट गारंटी योजना
सीपी	मूल सिद्धान्त
डीजीएस	जमा गारंटी योजना
डीजीएसडी	जमा गारंटी योजना निर्देश
डीआई	जमा बीमा
डीआईसी	जमा बीमा निगम
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईसीजे	जापान जमा बीमा निगम
डीआईएफ़	जमा बीमा निधि
डीआईएस	जमा बीमा प्रणाली
डीएनबी	दी निदरलंदशे बैंक
डीएसपी	डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पाद
डीएसआर	डेटा और सिस्टम आवश्यकताएं
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईयू	यरोपीय संघ
एफ़डीआईसी	संघीय जमा बीमा निगम
एफ़आईएमएमडीए	भारतीय निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ
जीएएपी	आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्त
जीएफ़	सामान्य निधि
जीओआई	भारत सरकार
आईएडीआई	अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ
आईसीएआई	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
आईएफ़आर	निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व
आईपीएबी	इंस्टिट्यूट पैरा ला प्रोटेक्सियोन अल अहोरो बैंकारियो
केडीआईसी	कोरिया जमा बीमा निगम
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एमआई	सदस्य संस्थान
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनसीयूए	राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन प्रशासन
पीबी	भुगतान बैंक
पीसीआई	प्रति व्यक्ति आय
पीएचएस	प्रोविजनल होल्ड सिस्टम
पीएमसी	पंजाब और महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक लि.
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएस	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआर	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एससीवी	सिंगल कस्टमर व्यू
एसएफ़बी	लघु वित्त बैंक
एसएलजीएस	लघु ऋण गारंटी योजना
टीएएफ़सीयूबी	सहकारी शहरी बैंकों पर कार्यदल
यूएसएफ़बी	यूनिटी स्माल फ़ाइनेंस बैंक
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश

2021-22 एक नज़र में

जमा बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने के

61 वर्ष

₹19,491 करोड़
एकत्रित प्रीमियम

2,040
पंजीकृत बीमाकृत बैंक

दावा निपटान

₹8,516.6 करोड़
2021-22 में निपटाए गए दावे

₹5,762 करोड़
आरंभ से 2020-21 तक निपटाए गए दावों की तुलना में

₹3,457.4 करोड़
सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत बैंकों के 2,60,816 जमाकर्ताओं को किया गया अंतरिम भुगतान

₹3,791.6 करोड़
पीएमसीबीएल और यूएसएफबी के समामेलन के लिए स्वीकृत

₹1,46,842 करोड़
निक्षेप बीमा निधि

आरक्षित अनुपात- 1.8%

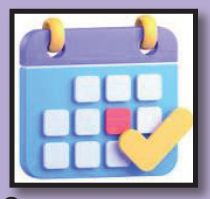

3 दिन

सीए द्वारा दावा सूची प्रस्तुत करने के बाद मुख्य दावे के निपटान के लिए औसत दिनों की संख्या

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन

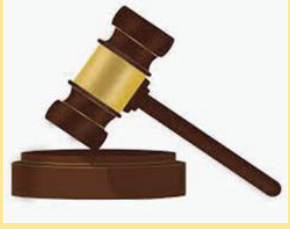

भारिबैं के एआईडी के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं को अन्तरिम भुगतान

90 दिनों के भीतर

जमाकर्ता संरक्षण

97.9% पूर्णत: संरक्षित खाते

49 % पूर्णत: संरक्षित जमा राशियाँ

₹399 करोड़
निपटाए गए दावों से वसूली

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(राशि ₹ 100 करोड़ में)

वर्ष के अंत में $	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2018-19	2019-20#	2020-21	2021-22
1 पूँजी *	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 निक्षेप बीमा									
(i) निक्षेप बीमा निधि **	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	937.5	1,103.8	1,299.0	1,468.4
(ii) बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,098	2,067	2,058	2,040
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,20,051	1,34,889	1,49,678	1,65,496
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	33,700	36,961 (68,715)	76,213	81,104
(v) कुल खातों की संख्या (करोड़ में)	0.77	3.41	15.98	35.43	64.95	217.40	235.00	252.63	262.19
(vi) पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (करोड़ में)	0.60	3.28	15.81	33.95	61.95	200.00	216.10 (231.00)	247.80	256.67
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	-	0.01	0.03	1.8	14.9	51.2	52.0	57.6	142.78^

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं।

$ 1992-93 के बाद से मार्च के अंत के अनुसार।

^ परिसमापनाधीन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सर्व समावेशी निर्देशों' के तहत रखे गए बैंकों के दावे शामिल हैं।

कोष्ठक में दिए आंकडे ₹5 लाख जमा बीमा कवर के अनुमान से संबंधित हैं।

विशेषताएं - II : निक्षेप बीमा

(राशि ₹ 100 करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
राजस्व विवरण							
प्रीमियम आय	194.91	175.17	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99
निवेश आय	104.96	96.50	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83
निवल दावे	81.21	9.93	0.54	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	205.66	265.55	154.86	191.47	184.57	157.20	146.73
करोत्तर राजस्व अधिशेष	152.39	193.32	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96
तुलन पत्र							
निधि शेष (बीमांकिक)	139.74	122.75	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12
निधि अधिशेष	1,328.68	1,176.29	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42
दावे संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.04	2.22	2.52
निष्पादन मैट्रिक्स							
1. डीआइसीजीसी में दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या@	3	7	11	11	12	23	28
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या@$	184	500	508	1,425	2,075*	634	269
3. कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.14	0.20	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18
(इसमें से: कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी लागत)	0.06	0.10	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

* 2003 में एक बैंक के विपंजीकरण के कारण तीव्र बढ़ोत्तरी, इसके दावे का 2017 में निपटान हुआ है।

$ 2019-20 से आगे दिनों की गणना के लिए न्यायालय के आदेश/अपीलीय प्राधिकारी (वित्त मंत्रालय) को आधार माना गया। दावों की प्राप्ति में विलंब मुख्यत: वित्त मंत्रालय के समक्ष अपील/विधिक मामले हैं।

टिप्पणी: 2021-22 के लिए कार्य निष्पादन मेट्रिक्स के-क्रम सं.1 और 2 में दिए गए आंकड़ों में समामेलन/विलय मामलों (पीएमसी बैंक लि.) के आँकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

विशेषताएं - III

चार्ट I: बीमाकृत और पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

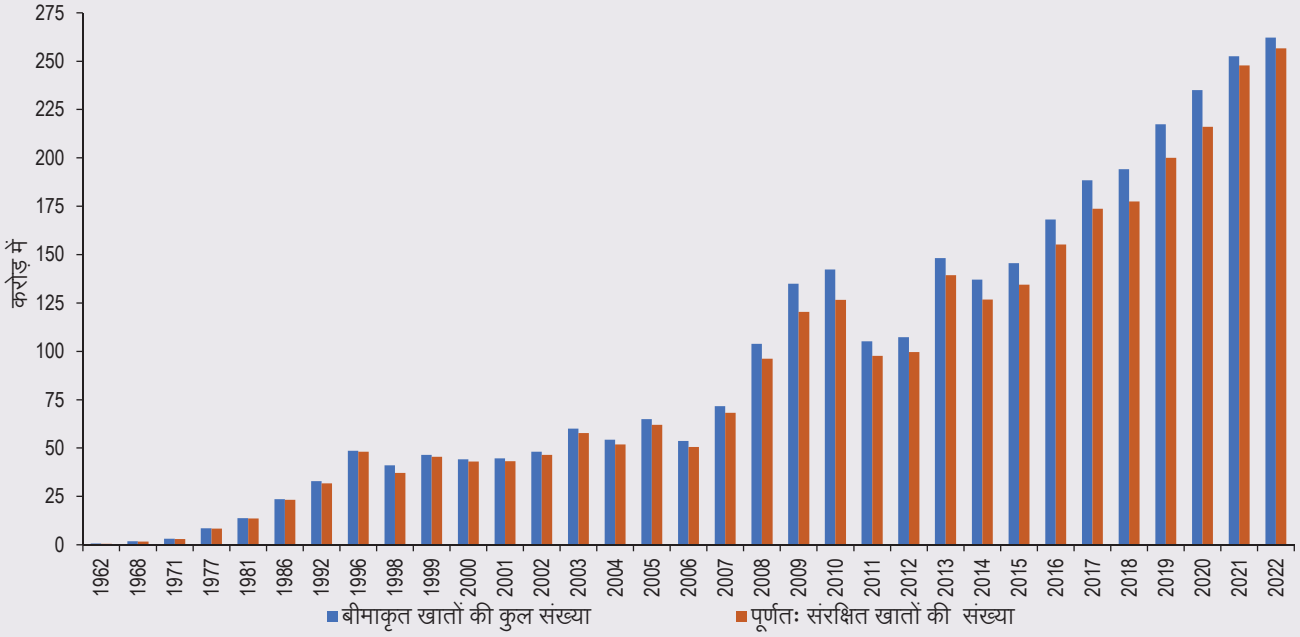

टिप्पणी: 2010-11 से आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

विशेषताएं - IV

चार्ट II: निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)

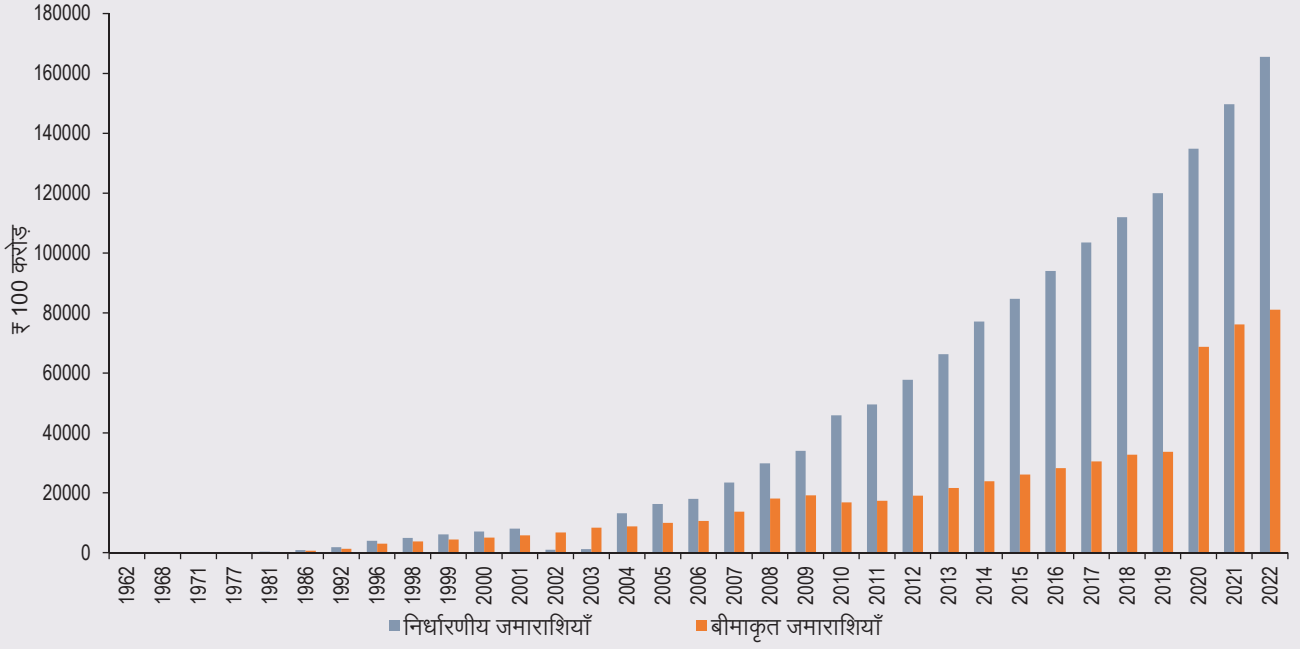

टिप्पणी: 2009-10 से आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

विशेषताएं - V

चार्ट III: बीमाकृत बैंकों की जमाराशि की तुलना में बीमा कवरेज का विस्तार

(31 मार्च 2022)

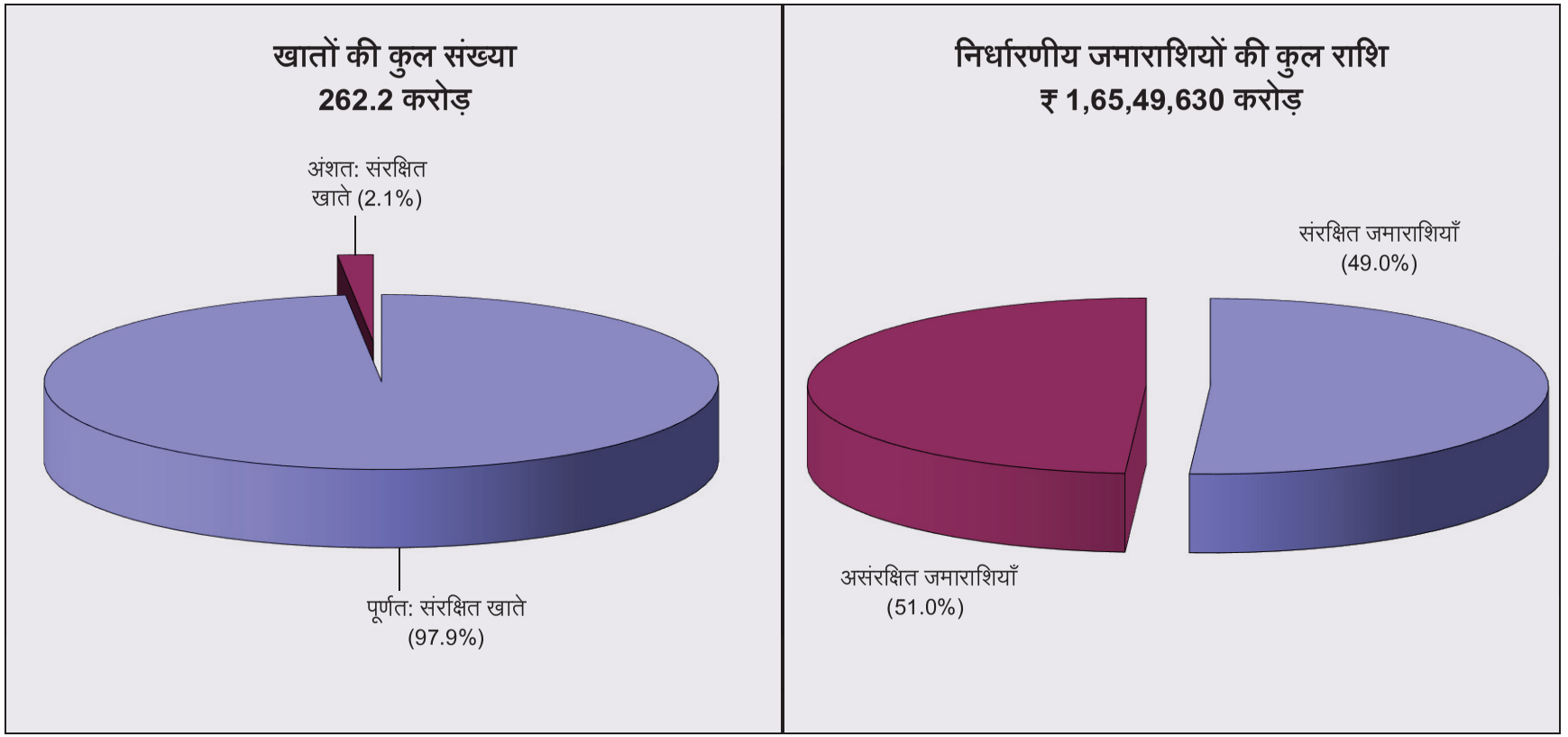

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

2. ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आकड़े ₹ 81,10,431 करोड़ हैं।

1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन

1. परिचय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के कार्य "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" (डीआईसीजीसी अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गई "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961" के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी, अत: अप्रैल 2003 में इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया और निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य है।

2. इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार सामने आया। इसके बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को स्थगित रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए गए। निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत "पात्र सहकारी बैंकों" [पैरा 3 (ii) देखें] का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा पारिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं अर्थात: निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने लघु उद्योगों को स्वीकृत

ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

3. संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्य बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंकों को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसकी प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनःनिर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली और लद्दाख में कोई भी बीमाकृत/पंजीकृत सहकारी बैंक नहीं है।

4. बैंकों का पंजीकरण

(i) डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।

(iii) डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के अंतर्गत प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से तीन माह के भीतर निगम उसका पंजीकरण करेगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे *अर्थात्,* निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

5. बीमा कवरेज

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलतः ₹1500 तक

सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
4 फरवरी 2020	₹5,00,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 जनवरी 1962	₹1,500/-

₹5 लाख तक बढ़ा हुआ कवर उन बैंकों पर लागू होता है जिनका 4 फरवरी 2020 से लाइसेंस रद्द हुआ हो/जो विपंजीकृत किए गए हों।

6. सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निगम (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियों; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियों; (iii) अंतर बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों तथा (v) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त राशियों को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

7. बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (1) में संशोधन के अनुसार, डीआईसीजीसी बैंक की वित्तीय स्थिति और देश में समग्र बैंकिंग क्षेत्र के हितों को देखते हुए, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से बीमा प्रीमियम पर प्रति ₹100 की जमा राशि पर 15 पैसे प्रीमियम की सीमा बढ़ा सकता है;

₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1 अप्रैल 2020	0.12
1 अप्रैल 2005	0.10
1 अप्रैल 2004	0.08
1 जुलाई 1993	0.05
1 अक्तूबर 1971	0.04
1 जनवरी 1962	0.05

8. पंजीकरण रद्द करना

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की संपूर्ण देय राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यतः उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा

किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो भी इसका पंजीकरण रद्द हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

9. बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 35 के अनुसार निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

10. दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन आदेश की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है तो निगम जमाकर्ताओं को विलय योजना के नियम और शर्तों के अनुरूप उस समय पर लागू जमा बीमा सीमा तक भुगतान करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ता की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ता को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] किया जाता है।

(iii) डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निगम द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची, इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए, परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निगम को प्रस्तुत की जानी है (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)।

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18(1)] से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यतः निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र दावा राशि का भुगतान परिसमाप्त बैंक के परिसमापक/अंतरिती/बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम पर एजेंसी बैंक में खोले गये खाते में

क्रेडिट करता है। तथापि, अनट्रेसेबल जमाकर्ताओं को देय राशि की मंजूरी तब तक नहीं की जाती जब तक इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत न किए जाएं।

(vii) अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन की धारा 18 ए के अनुसार, निगम भारिबैं द्वारा सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। रिजर्व बैंक द्वारा एआईडी लगाए जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भुगतान पूरा किया जाना है। बीमाकृत बैंक को एआईडी लगाए जाने के 45 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत करना होता है और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों की सत्यता और प्रमाणिकता का सत्यापन करवाना होता है और अगले 15 दिनों में जिन जमाकर्ताओं ने अपनी सम्मति प्रदान की कर दी है उन्हें भुगतान करना होता है। यदि रिज़र्व बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/ पुनर्निर्माण की योजना लाना समीचीन (एक्सपीडिएंट) लगता है, तो निगम की देयता अवधि 90 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी। एआईडी के तहत बैंकों के लिए दावों के भुगतान से संबंधित प्रक्रिया विनियम 21ए के अनुसार है।

11. निपटाए गए दावों की वसूली

डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से किए गए व्यय की राशि निकालने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से डीआईसीजीसी को चुकौती करें। अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन की धारा 21 (3) के अनुसार, डीआईसीजीसी, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए बीमित बैंक के लिए चुकौती अवधि को स्थगित कर सकता है या बदल सकता है और धारा 21 (4) के अनुसार निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान में देरी के मामले में रेपो दर पर 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल करें। एआईडी के तहत बैंकों के लिए दावों की वसूली की समयावधि विनियम 22 ए के अनुसार है।

12. निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : *अर्थात्* (i) जमा बीमा निधि (डीआइएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहली दो निधियों का निर्माण क्रमशः बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी भी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। निगम लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करता है जबकि निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान के मामले में प्राप्ति के आधार पर होता है।

निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम,1961 मे यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। 1 अक्तूबर 2011 से निगम प्रीमयम आय पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

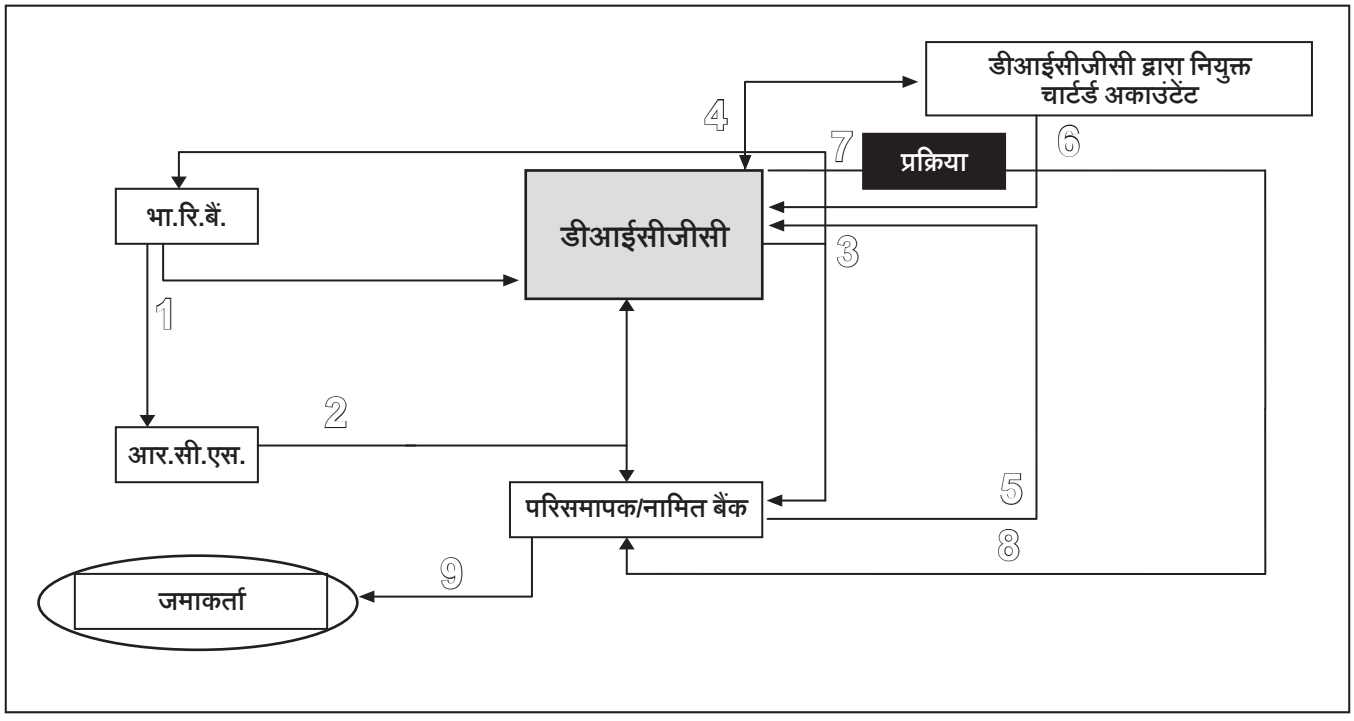

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और डीआईसीजीसी को इसकी सूचना देता है। डीआईसीजीसी भी संबंधित आरसीएस को परिसमापक की शीघ्र नियुक्ति के लिए लिखता है।
2. आरसीएस परिसमाप्त बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा डीआईसीजीसी को सूचित करता है।
3. डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और नियुक्ति के 3 महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।
4. दावा सूची के सत्यापन, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के अनुपालन तथा परिसमाप्त बैंक के लेखों के सत्यापन के लिए डीआईसीजीसी के पास सीए फर्म का एक पैनल है। दावा सूची और बैंक की लेखा बहियों के ऑन साइट सत्यापन के लिए डीआईसीजीसी सीए के लिए एक परिचय सत्र का आयोजन करता है।
5. परिसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग – क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित और भाग-ख अनट्रेसेबल/केवाईसी अनुपालित नहीं) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म में डीआईसीजीसी को सूची प्रस्तुत करता है।
6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंकों के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग- ख सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन किया जाता है परिसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
8. लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक में परिसमापक के नाम पर रखे गए नामित बैंक के खाते में जारी की जाती है।
9. नामित बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर / मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

चार्ट 2: दावा निपटान प्रक्रिया – सर्व समावेशी निर्देशों के तहत बैंक (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत)

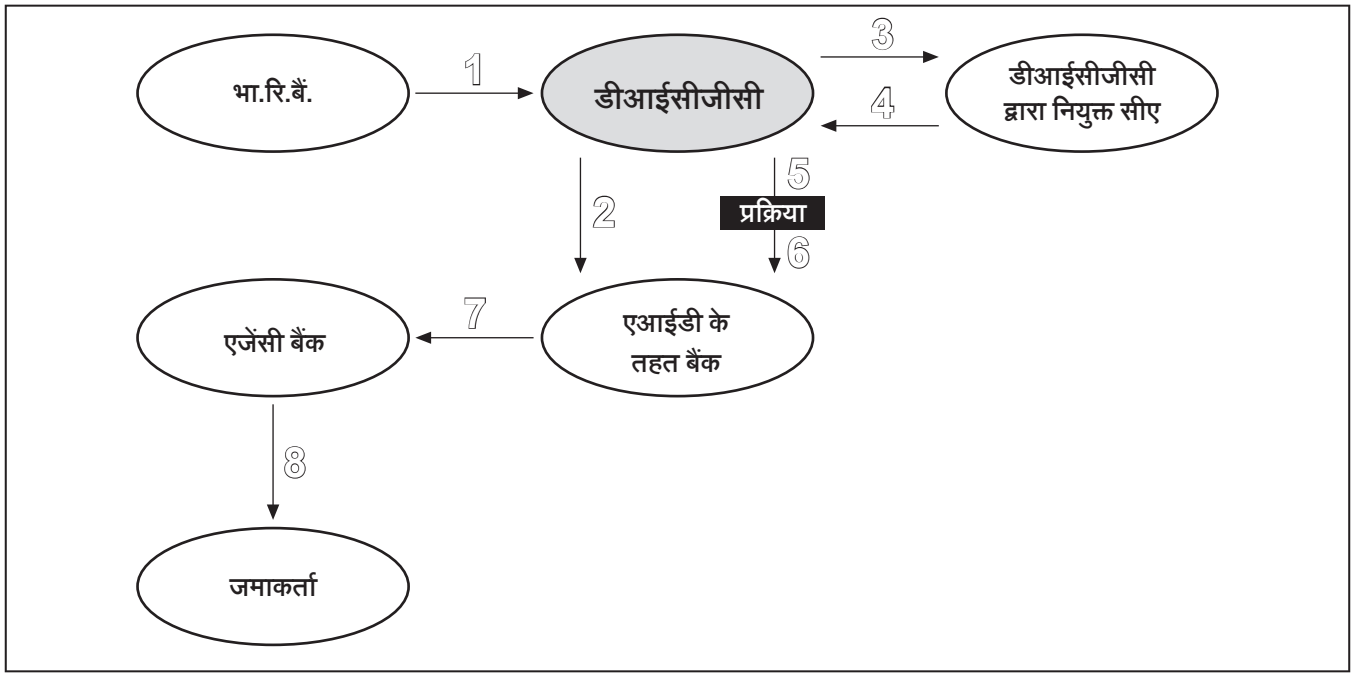

1. भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत सर्व समावेशी निर्देश (एआईडी) लगाता है और डीआईसीजीसी, जहां बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है, को एक पृष्ठांकन के साथ जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में एआईडी के तहत संबंधित बैंक को सूचित करता है।

2. डीआईसीजीसी, एआईडी के तहत रखे गए संबंधित बैंक को दिशा-निर्देश जारी करता है कि निर्देश लगाए जाने की तारीख को प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशि (सभी ऋणों/अग्रिमों को सेट ऑफ करने के बाद समान क्षमता और समान अधिकार में) को दर्शाने वाली विस्तृत सूची तैयार करे। जैसा कि डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत अनिवार्य है, संबंधित बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे ऐसे जमाकर्ताओं (जिन्होंने पात्र जमा राशि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है) की सूची एआईडी लगाने की तारीख के 45 दिनों के भीतर डीआईसीजीसी को प्रस्तुत करें।

3. डीआईसीजीसी के पास एआईडी के तहत बैंकों और परिसमाप्त बैंकों के दावों के सत्यापन/प्रमाणन, जिसमें संबंधित बैंक के केवाईसी और खातों/कोर बैंकिंग प्रणाली का अनुपालन शामिल है, के लिए सीए फर्मों का पैनल है, । सीए फर्म को डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दावे का साइट पर सत्यापन करने के लिए सूचित किया जाता है।

4. सीए दावा सूची और जमा बीमा दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक बैंक के ऐसे किसी भी रिकॉर्ड पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।

5. सीए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीआईसीजीसी द्वारा दावा संसाधित किया जाता है और अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले जमाकर्ताओं को पात्र दावों के भुगतान के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है।

6. तब डीआईसीजीसी एजेंसी बैंक के माध्यम से दावे के संवितरण के लिए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ संबंधित बैंक के साथ भुगतान की जाने वाली सूची साझा करता है।

7. बैंक तब विधिवत भरी हुई सूची को डीआईसीजीसी को सूचित करते हुए एजेंसी बैंक से साझा करता है।

8. तब एजेंसी बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली सूची और एआईडी के तहत बैंक द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दावों का संवितरण किया जाता है।

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

जमा बीमा प्रणाली एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच है जो बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जमा बीमा का दायरा और कवरेज और जमाकर्ताओं की बीमाकृत निधियों की तुरंत प्रतिपूर्ति का जमा बीमा प्रणाली की प्रभावकारिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जबकि जमा बीमा एजेंसियों के कानूनों/विनियमों में दायरा और कवरेज अच्छी तरह से परिभाषित है, ई-मनी के नवाचारों और डिजिटल रूप से संग्रहीत मूल्य उत्पादों की शुरूआत ने जमा बीमा के तहत इन उत्पादों के कवरेज की पर्याप्तता के संबंध में नई चुनौतियां पेश की हैं। संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को शीघ्र और समय पर प्रतिपूर्ति एक प्रभावी जमा बीमा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति उद्देश्य है। दो विषय अर्थात 'जमा बीमा का दायरा व कवरेज और वित्तीय स्थिरता के प्रति उनके निहितार्थ' और 'चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में दावा निपटान प्रक्रिया' प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण के तहत प्रस्तुत हैं।

I. जमा बीमा दायरा, कवरेज और वित्तीय स्थिरता

वित्तीय सुरक्षा कवच के समग्र ढांचे के भीतर जमा बीमा प्रणाली के आम तौर पर दो पूरक उद्देश्य होते हैं। पहला केंद्रीय बैंक के अंतिम उपाय के ऋणदाता के सहायक के रूप में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में योगदान करना । दूसरा, बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं को न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करना । भले ही कोई बैंक शोधक्षम (सोल्वेन्ट) हो "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर, जिस पर जमाकर्ताओं की तरलता की मांग पूरी होती है, जमा अनुबंध की प्रकृति बैंक रन होने के लिए प्रोत्साहन देती है । जब तक बैंक बंद होने की घोषणा नहीं करता, उसे मांग पर जमा निकासी को पूरा करना होगा। एक बार जब इसकी तरल आस्तियां और तरलता उधार लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो न्यूनतम कीमतों पर तरल आस्तियों के निपटान की आवश्यकता के कारण बैंक के दिवालिया होने की संभावना होती है । बैंक बंद होने की ओर अग्रसर होता है जिसके बाद जमाकर्ताओं को पूरी तरह से चुकाया जा सकता है या नहीं भी । जमा बीमा कतार में सबसे पहले होने के लिए प्रोत्साहन को हटा देता है और यह आश्वासन देता है कि जमाकर्ता के धन को सामान्य परिसमापन प्रक्रिया के जोखिम और अनिश्चितताओं से बचाया जाएगा। इस प्रकार, बैंक रन होने के लिए प्रोत्साहन को हटाकर जमा बीमा स्थिति को स्थिर करता है[1]।

आईएडीआई के मूल सिद्धांतों (संख्या 8) के अनुसार, नीति निर्माताओं को जमा कवरेज के स्तर और दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। कवरेज सीमित, विश्वसनीय होना चाहिए और जमाकर्ताओं के बड़े हिस्से को कवर करना चाहिए लेकिन बाजार अनुशासन के संपर्क में आने वाली जमाराशियों की पर्याप्त मात्रा को छोड़ देना चाहिए । जमा बीमा प्रणाली (डीआईएस) का कवरेज इसके सार्वजनिक नीति उद्देश्यों और संबंधित डिजाइन विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाले 28 क्षेत्राधिकारों के बीच जमा बीमा (डीआई) कवर और प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) की एक जांच से पता चलता है कि 2021 में डीआई/पीसीआई कवर का मध्य मूल्य 3.0 था। डीआई/पीसीआई अनुपात भारत में 2.9 है जो 28 देशों के मध्य मूल्य (अनुबंध 1) के करीब है । साहित्य में जमा बीमा कवर के निर्धारण के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, एक नियम के रूप में इसे पीसीआई का लगभग दो गुना माना जाता है (बॉक्स 2.1)।

चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में जमाराशियों का दायरा और कवरेज के साथ-साथ जमा बीमा एजेंसियों द्वारा उभरते ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों (डीएसपी) के प्रति व्यवहार दर्शाते हैं कि जबकि बैंकों और क्रेडिट सहकारी समितियों के मामले में जमा बीमा कवरेज का दायरा आम तौर पर एक समान है, दक्षिण कोरिया में अपनाई जाने वाली प्रथा में जमा बीमा के तहत प्रतिभूति कंपनियां और बीमा कंपनियां भी

1. डेविड एस. होल्स्चर, माइकल टेलर, और उलरिच एच. क्लूह (2006), जमा बीमा प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन। आईएमएफ सामयिक पेपर नंबर 251।

बॉक्स 2.1: जमा बीमा कवर के निर्धारण की पद्धति

कवरेज को ऐसे स्तरों पर सेट किया जाना चाहिए जो जमा बीमा प्रणाली के उद्देश्यों के अनुरूप हों और जिन्हें उपलब्ध धन द्वारा समर्थन दिया जा सके। जमा बीमा कवरेज की उपयुक्त और विश्वसनीय सीमा निर्धारित करना एक स्पष्ट (एक्सिप्लिसिट) जमा बीमा प्रणाली की केंद्रीय डिजाइन विशेषता है। उपयुक्त कवरेज सीमा की पहचान करने के लिए अतीत में तंत्रों के एक समूह को आजमा कर देखा गया था । प्रारंभिक दृष्टिकोण चुनिंदा देशों में कवरेज के सांख्यिकीय वितरण की जांच करना था। शोधकर्ताओं ने नोट किया कि, औसतन, कवरेज का स्तर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का दो गुना था, हालांकि यह नीतिगत सिफारिश नहीं है। एक अधिक मजबूत नीति दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास "80/20" नियम का सुझाव था: जमाकर्ताओं की संख्या का 80 प्रतिशत पूरी तरह से कवर करें लेकिन जमा के मूल्य का केवल 20-30 प्रतिशत। इस उपाय का विश्लेषणात्मक समर्थन सीमित था लेकिन इसमें जमाकर्ता संरक्षण और बाजार अनुशासन को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था[2]। कवरेज की पर्याप्तता मुख्य रूप से पूर्ण कवरेज स्तर के बजाय कवर की गई जमाराशियों और जमाकर्ताओं के अनुपात पर निर्भर करती है।

आईएडीआई सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, 70 प्रतिशत जमा बीमाकर्ताओं के पास दायरा और कवरेज स्तर निर्धारित करने के लिए केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय या अन्य नियामक निकायों और संसद को शामिल करने वाली परामर्श प्रक्रिया है। तेरह प्रतिशत ने उल्लेख किया कि वे परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करते हैं। 7.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए, प्रक्रिया स्वयं एक अलग संगठन *अर्थात* केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय या संसद द्वारा शुरू की जाती है। केवल 4 प्रतिशत ने स्वयं यह प्रक्रिया किए जाने को रिपोर्ट किया है। अधिकांश उत्तरदाता कवरेज स्तर निर्धारित करने के लिए उपायों के संयोजन का उपयोग करते हैं। बत्तीस प्रतिशत सांख्यिकीय, विवेकाधीन तरीकों या विशेषज्ञ राय का उपयोग किया जाना रिपोर्ट करते हैं जबकि 36 प्रतिशत इन दोनों दृष्टिकोणों के संयोजन का उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ के अधिकांश उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि स्तर यूरोपीय संघ निर्देश द्वारा निर्धारित किया गया है। जमा बीमा के दायरे के संबंध में, 62 प्रतिशत ने संकेत दिया कि वे वित्तीय सुरक्षा कवच के अन्य सदस्यों के इनपुट पर निर्भर हैं [3]। विशेष रूप से बैंकिंग संकट के दौरान, देश अक्सर पूर्व-घोषित, वैधानिक सीमाओं के ऊपर गारंटी जारी करते हैं[4]। हालांकि एक उच्च कवरेज स्तर जमाकर्ता के लिए बैंक रन के प्रोत्साहन को कम करता है, वित्तीय स्थिरता और बाजार अनुशासन के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऐसा करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकरणों को प्रतिपूरक उपायों को अपनाने पर विचार करना चाहिए - जैसे कि अधिक गहन पर्यवेक्षण, जोखिम आधारित प्रीमियम की शुरूआत, कवरेज से कुछ श्रेणियों की जमा राशि का बहिष्कार, और कवरेज के स्तर के अनुरूप समय पर हस्तक्षेप और समाधान ताकि नैतिक खतरे का जोखिम कम हो[5]।

असीमित जमा कवरेज चाहे कुछ संस्थानों (जैसे प्रांतीय रूप से चार्टर्ड कनाडाई क्रेडिट यूनियन) में पात्र जमा की पूर्ण सुरक्षा के *माध्यम से या संस्थान की रक्षा करने वाली गारंटी व्यवस्था (जैसे जर्मन सहकारी और बचत बैंक, कुछ स्विस कैंटोनल बैंक)* अधिक जोखिम लेने के *कारण हो सकते हैं* और डीआईएस की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए[6]।

डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 16 (1) के अनुसार, भारत में जमा बीमा कवर में वृद्धि के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। फरवरी 2020 में कवर में वृद्धि के लिए जिन कारकों पर विचार किया गया था , उनमें *अन्य बातों* के साथ-साथ, उन्नत और साथ ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति जीडीपी के संबंध में औसत जमा बीमा कवर, जमा बीमा निधि की राशि और आरक्षित अनुपात, मई 1993 में कवर में पिछले संशोधन के बाद से देखी गई मुद्रास्फीति का औसत और बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिति शामिल थे । भारत में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मोटे तौर पर अन्य अधिकार क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुरूप है। नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत में कुल निर्धारणीय जमाराशियों के लगभग 50 प्रतिशत के रूप में बीमाकृत जमा 25 क्षेत्राधिकारों (अनुबंध 2) के मामले में मोटे तौर पर 55 प्रतिशत के मध्य मूल्य अनुपात का अनुसरण कर रहा है।

2. आईएडी (2013), प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए उन्नत मार्गदर्शन: जमा बीमा कवरेज, मार्च।
3. आईएडीआई (2021), जमा बीमा कवरेज स्तर और दायरा, शोध पत्र, दिसंबर।
4. असली डेमिरगुक-कुंट , एडवर्ड केन, और ल्यूक लेवेन (2014), जमा बीमा डेटा बेस, आईएमएफ वर्किंग पेपर नंबर 118।
5. एफएसबी (2012), जमा बीमा प्रणाली पर विषयगत समीक्षा, पीयर रिव्यू रिपोर्ट, फरवरी 8।
6. पूर्वोक्त फुटनोट 5

शामिल हैं। वित्तीय उत्पाद जैसे चेकिंग खाते, बचत खाते, मनी मार्केट जमा खाते, जमा प्रमाण पत्रों, कैशियर चेकों, मनी ऑर्डरों और किस्त जमाओं को आम तौर पर अधिकार क्षेत्रों में जमा बीमा के तहत कवर किया गया है। दक्षिण कोरिया और कनाडा के मामले में, सेवानिवृत्ति पेंशन खातों और विदेशी मुद्रा खातों को भी जमा बीमा कवर के लिए माना जाता है। यूरोपीय संघ में, कुछ जमाराशियां, जैसे कि जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई जमाराशियां, जिन्हें आमतौर पर अस्थायी उच्च शेष राशि कहा जाता है, सीमित समय के लिए ईयूआर 100,000 से ऊपर सुरक्षित हैं। बीमित जमा बीमा के दायरे में ई-मनी और डीएसपी के प्रति व्यवहार को निर्दिष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं, हालांकि आमतौर पर बैंक खाते के साथ जुड़े प्रीपेड कार्ड बीमाकृत होते हैं। ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया हैं।

फिनटेक और जमा बीमा

फिनटेक नवाचारों की शुरूआत जमा बीमाकर्ताओं और अधिक व्यापक रूप से वित्तीय सुरक्षा कवच के लिए चुनौतियां पैदा करती है। डिजिटल भुगतान में उन्नति, विशेष रूप से ई-मनी तत्काल चुनौतियां पेश कर रही हैं जिन पर जमा बीमाकर्ताओं द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है (बॉक्स 2.2)।

बॉक्स 2.2: फिनटेक और जमा बीमा

वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने फिनटेक को "तकनीकी रूप से सक्षम वित्तीय नवाचार के रूप में परिभाषित किया है जिसके परिणामस्वरूप नए व्यापार मॉडल, एप्लिकेशन, प्रक्रियाएं या उत्पाद अस्तित्व में आ सकते हैं और वित्तीय बाजारों और संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं"। ये नए व्यवसाय मॉडल पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के भीतर और बाहर की पेशकश की गई वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं और यह भ्रम पैदा करने की क्षमता रखते हैं कि क्या उत्पाद जमा बीमा योजना (डीआईएस) द्वारा गारंटीकृत है या नहीं[7]।

द कंसलटेटिव ग्रुप टू असिस्ट द पूअर ने तीन सामान्य दृष्टिकोणों की पहचान की है जिसमें डीएसपी की सुरक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय शामिल हैं[8]। ये दृष्टिकोण हैं : (i) प्रत्यक्ष दृष्टिकोण: डीएसपी का बीमा सीधे एक जमा बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है और उनके प्रदाताओं को जमा बीमा प्रणाली का सदस्य बनना चाहिए; (ii) बहिष्करण दृष्टिकोण: डीएसपी को स्पष्ट रूप से जमा बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है; और (iii) पास-थ्रू दृष्टिकोण: जिसमें जमा बीमा कवरेज एक डिपॉजिटरी संस्था, जो एक जमा बीमा सदस्य है, में एक कस्टोडियल खाते से दी जाती है जो डीएसपी से ग्राहक निधि को डिजिटल उत्पाद प्रदाता की व्यक्तिगत ग्राहक निधि में रखता है, हालांकि यह प्रदाता जमा बीमा सदस्य नहीं है। इसे केन्या और नाइजीरिया[9] जैसे देशों में अपनाया गया है । यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ में जमा गारंटी योजना पर निर्देश के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी के बदले प्राप्त निधि को जमा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए[10]। इसके अलावा, वित्तीय सेवा मुआवजा योजना भी यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रॉनिक धन खाता धारकों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है।

फिनटेक उत्पादों के लिए जमा बीमा अभी भी विकसित हो रहा है और इसमें कोई एकरूपता और स्पष्टता नहीं है। हालांकि, फिनटेक उत्पादों के लिए जमा बीमा का निर्धारण देश की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जमा बीमाकर्ताओं को फिनटेक प्लेटफॉर्म, उनके उत्पादों और व्यावसायिक रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए। जमा बीमाकर्ताओं को जन जागरूकता पहलों को बढ़ाने और उपभोक्ता वित्तीय साक्षरता में सुधार की दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी ताकि उपभोक्ताओं को सूचना विषमता को दूर करने में मदद मिल सके और गैर-बीमाकृत ई-मनी और एक डीआईएस बीमित उत्पाद के बीच अंतर को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

7. राशेल युसेफ , रोज कुशमीडर और डायने एलिस (2021), परिचयात्मक संक्षिप्त: जमा बीमाकर्ताओं के लिए चुनौतियां, फिनटेक ब्रीफ नंबर 1।
8. जुआन कार्लोस इज़ागुइरे, टिमोथी लाइमैन, क्लेयर मैकगायर और डेव ग्रेस (2016), जमा बीमा और डिजिटल वित्तीय समावेशन, सीजीएपी ब्रीफ, अक्टूबर।
9. आईएडीआई (2020), जमा बीमा और वित्तीय समावेशन: डिजिटल संग्रहीत उत्पादों के बीमा में वर्तमान रुझान, मार्च।
10. जमा गारंटी योजनाओं पर यूरोपीय संसद का निर्देश 2014/49/ईयू और 16 अप्रैल 2014 की परिषद के निर्देश

II. चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में दावा निपटान प्रक्रिया

'जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति' पर आईएडीआई का मूल सिद्धांत 15 निर्धारित करता है कि 'जमा बीमा प्रणाली को वित्तीय स्थिरता में योगदान करने के लिए जमाकर्ताओं की बीमाकृत निधियों की तत्काल प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। बीमित जमाकर्ता प्रतिपूर्ति के लिए एक स्पष्ट और सुबोध ट्रिगर होना चाहिए'। इस सीपी के तहत आवश्यक मानदंड *अन्य बातों* के साथ-साथ प्रभावी प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के लिए शर्तों का एक सेट निर्दिष्ट करता है जैसे 'जमा बीमाकर्ता सात कार्य दिवसों के भीतर अधिकांश बीमित जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम है। यदि जमा बीमाकर्ता वर्तमान में इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, तो जमा बीमाकर्ता के पास ऐसा करने के लिए एक विश्वसनीय योजना है'। दावों के शीघ्र और समय पर संवितरण से जमा बीमा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ती है । जमा बीमा कवरेज के दायरे और स्तर को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और जनता द्वारा अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। जनता को कवर किए गए संस्थानों, उत्पादों और खातों के प्रकारों; कवरेज की मात्रा; और समायोजन जो उस कवरेज में किए जा सकते हैं, के बारे में पता होना चाहिए । एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई जमा बीमा प्रणाली एक व्यवस्थित और निष्पक्ष दावा प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी[11] । तदनुसार, इस अध्याय में चुनिंदा न्यायालयों में दावा निपटान प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है।

कनाडा

कनाडा जमा बीमा निगम (सीडीआईसी) सदस्य संस्थानों की पात्र जमा राशि का स्वचालित रूप से बीमा करता है। 2021 में, सीडीआईसी ने डेटा और सिस्टम आवश्यकताएँ (डीएसआर) शुरू कीं, इसके उप-कानून के अनुसार, सदस्य संस्थानों (एमआई) के लिए यह अपेक्षित है कि जमा देयता डेटा को पहचानने, कैप्चर करने, व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने की एक विधि को लागू करें । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विफलता की स्थिति में, एमआई के पास विशिष्ट डेटा आसानी से उपलब्ध हो और ठीक से व्यवस्थित हो ताकि सीडीआईसी पे-आउट कर सके । डीएसआर तकनीकी विनिर्देश सदस्य संस्थानों के बीच प्राप्त डेटा अवतरण (एक्सट्रेक्ट) की एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। हर साल सीडीआईसी सदस्य संस्थानों से यह सुनिश्चित करने के लिए जमा डेटा जमा करने का अनुरोध करता है कि इन विनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुपालन परीक्षण के लिए संस्था से मांगा गया डेटा छिपा हुआ होता है, अर्थात, सभी व्यक्तिगत और निजी जमाकर्ता जानकारी की पहचान नहीं की जाती है। जोखिम वाले संस्थानों के लिए, अधिक विस्तृत डेटा मूल्यांकन कार्य किया जाता है जिसमें बिना नकाब वाले जमा डेटा अवतरण के साथ अन्य जानकारी जैसे वित्तीय रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं। पे-आउट के मामले में यह मूल्यांकन डेटा की गुणवत्ता और अन्य चुनौतियों को देखता है।

एक प्रारंभिक परीक्षा तब की जाती है जब किसी संस्था की विफलता की संभावना अधिक होती है। परीक्षा का उद्देश्य सदस्य की जमा देनदारियों और जमाकर्ताओं के प्रोफाइल की अद्यतन और व्यापक समझ प्राप्त करना, सीडीआईसी की बीमा देयता का अनुमान लगाना और पे-आउट रणनीति विकसित करना जिसे विफलता की स्थिति में संस्थान के जमाकर्ताओं को सूचित किया जा सके।

जापान

जापान के जमा बीमा अधिनियम के अनुसार जमा बीमा प्रणाली की ट्रिगर घटनाएं दो प्रकार की होती हैं: (i) वित्तीय संस्थान द्वारा जमा की प्रतिपूर्ति का निलंबन; और (ii) किसी वित्तीय संस्थान का लाइसेंस रद्द किया जाना। पहले प्रकार में, या तो बीमा भुगतान किया जाता है या संस्था को वित्तीय सहायता (पसंदीदा) प्रदान की जाती है जैसा कि पॉलिसी बोर्ड द्वारा घटना के एक महीने के भीतर तय किया जाता है। दूसरे प्रकार के मामले में, बीमा भुगतान पद्धति अपनाई जाती है। किसी भी मामले में डीआईसीजे द्वारा 600,000 येन तक का अनंतिम भुगतान किया जा सकता है। पे-आउट के मामले में, दो तरीके अपनाए जाते हैं अर्थात जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान या जमा रखने की विधि जिसमें जमा को किसी अन्य बीमित वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वित्तीय संस्थान की विफलता की स्थिति

11. एफ़डीआईसी तिमाही (2010), जमा बीमा दावों के प्रसंस्करण के लिए एक गाइड: एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य, वॉल्यूम 4, नंबर 2

में जमा राशि की सुचारू प्रतिपूर्ति के उपायों में डीआईसीजे को तुरंत जमा करने के लिए जमाकर्ताओं के नाम-आधारित एकत्रीकरण के लिए जमाकर्ताओं के डेटा का रखरखाव शामिल है। वित्तीय संस्थानों के लिए अपेक्षित है कि डीआईसीजे से नाम-आधारित एकत्रीकरण डेटाबेस प्रसंस्करण के परिणामों की प्रतिक्रिया को तुरंत प्रतिबिंबित करने और जमा में परिवर्तन पर डेटा तैयार करने के लिए सिस्टम और विफलता समाधान के लिए 'प्रक्रियाएं और नियमावली' विकसित करें। विफलता की स्थिति में, यह डेटा प्रस्तुत किया जाता है और डीआईसीजे यह जांचने के लिए क्या डेटाबेस निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है अपने स्वयं के सिस्टम का उपयोग करता है।

मेक्सिको

इंस्टिट्यूट पैरा ला प्रोटेक्सियोन अल अहोरो बैंकारियो (आईपीएबी) मेक्सिको के जमा बीमाकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह जमा कवरेज प्रदान करता है और संकटग्रस्त बैंकिंग संस्थानों की सहायता करता है। 2014 में किए गए वित्तीय सुधारों के आधार पर नियमों में बदलाव ने आईपीएबी को पात्र जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिक आसानी से विफल होने वाले बैंकों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाया। वास्तव में, समस्याएँ उत्पन्न होने से पहले, आईपीएबी के पास *स्वस्थानी* निरीक्षण दौरे करने और संकटग्रस्त बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता है। आईपीएबी के पास दिवालिया बैंकों के लिए उपचारात्मक प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने का अधिकार है, साथ ही विशेष व्हीकल को संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण को निर्धारित और अनुमोदित करने का भी अधिकार है[12] ।

जमा रिकॉर्ड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद बैंक के लाइसेंस के निरसन के परिणामस्वरूप एजेंट बैंक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया आईपीएबी द्वारा निष्पादित की जाती है। दावा निपटान प्रक्रिया में आईपीएबी द्वारा जमा रिकॉर्ड की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। बैंक की शाखाओं और कॉल सेंटरों के माध्यम से जमाकर्ताओं को सूचना के प्रसार के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है । जमाकर्ता आईपीएबी द्वारा प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्यौरों के पंजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है। समाधान में बैंक द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जाता है।

नीदरलैंड

जमा गारंटी योजना (डीजीएस) डच बैंक खातों में ईयूआर100,000 तक की राशि की सुरक्षा करती है और प्रति व्यक्ति, प्रति बैंक लागू होती है[13]। दी निदरलंदशे बैंक (De Nederlandsche Bank) (डीएनबी) सरकार की ओर से डच जमा गारंटी का प्रबंधन करता है[14]। सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) पॉलिसी नियम डीजीएस द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है और बैंक के विफल होने पर व्यवस्थित समाधान में सहायता करता है। एससीवी सूचना जो कि प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा धारित सभी जमाओं की एक मानकीकृत सूची है को डीएनबी द्वारा निर्धारित डेटा मॉडल के अनुसार प्रस्तुत की जाती है और डीजीएस द्वारा कवर की गई जमाराशियों को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाती है[15]। बैंक को अग्रलिखित बातों से तीन कार्य दिवसों के भीतर डीएनबी को एससीवी फ़ाइल प्रदान करना होगा (i) डीएनबी ने कानून में प्रावधान किए अनुसार की गई डीजीएस को ट्रिगर करने का निर्णय लिया हो; और (ii) डीएनबी ने इस आशय का एक विशिष्ट अनुरोध किया है।

बैंक अपने सभी जमाकर्ताओं के लिए एससीवी बनाता है (चाहे वे जमा गारंटी योजना के लिए पात्र हों या नहीं) और उन्हें डीएनबी में जमा कर देता है। डीएनबी समय-समय पर एससीवी फाइल की गुणवत्ता का आकलन करता है, जिसमें इसे समय पर जमा करना भी शामिल है। यदि एक बैंक दिवालिया हो जाता है, तो डीएनबी अपनी वेबसाइट और राष्ट्रीय मीडिया में जमा गारंटी के बारे में जानकारी प्रकाशित करता है। इसके तुरंत बाद जमाकर्ताओं को एक पत्र भेजा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए जानकारी प्राप्त हो। सात व्यावसायिक दिनों के भीतर, एक

12. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644609/Comunicado-Moodys_30-Abril-2021.pdf
13. https://www.dnb.nl/en/sector-information/deposit-guarantee-scheme/deposit-guarantee-scheme/
14. https://www.dnb.nl/en/public-register/dutch-deposit-guarantee-scheme-register/?p=1&l=10&rc=V0ZUREc
15. https://www.dnb.nl/media/iwgfuivt/policy-rules-for-the-dgs-for-banks-october-2021-third-version.pdf

वेबसाइट शुरू की जाती है जिसमें जमाकर्ता डच सरकार द्वारा जारी डिजिटल आईडी का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। जमाकर्ता पोर्टल में विफल बैंक में पूरी राशि देख सकते हैं और वैकल्पिक खाता संख्या दर्ज करने के बाद इसे एक बार में स्थानांतरित किया जा सकता है[16]। एक विवेकपूर्ण अभ्यास के रूप में प्रत्येक बैंक ग्राहकों को डच जमा गारंटी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में वार्षिक आधार पर सूचित करने के लिए बाध्य है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

बैंक विफलता एक संघीय या राज्य बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा बैंक को बंद करना है, जो आम तौर पर जमाकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में बैंक की अक्षमता के परिणामस्वरूप होता है। बैंक की विफलता की अप्रत्याशित स्थिति में, एफ़डीआईसी यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से कार्य करता है कि जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत जमाराशियों तक त्वरित पहुँच प्राप्त हो। बैंक की विफलता के बाद एफ़डीआईसी दो क्षमताओं में कार्य करता है: बैंक की जमाराशियों के "बीमाकर्ता" के रूप में, एफ़डीआईसी जमाकर्ताओं को बीमा सीमा तक जमा बीमा का भुगतान करता है; और विफल बैंक के "रिसीवर" के रूप में, एफ़डीआईसी विफल बैंक की संपत्ति को इकट्ठा करने व बेचने और उसके ऋणों को निपटाने का कार्य ग्रहण करता है, जिसमें बीमित सीमा से अधिक जमा के दावे भी शामिल हैं । एक बीमित वित्तीय संस्थान की समाधान योजना और विफलता के दौरान, यह संस्था और उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और उन व्यक्तियों की प्रतिपूर्ति करता है जिनके पास संस्था में बीमित जमा राशि है। अपनी रिसीवरशिप क्षमता में काम करते हुए इन जमाकर्ताओं और लेनदारों से दावों का विश्लेषण और प्रोसेस करने के लिए और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ये व्यक्ति या संस्थाएं एफ़डीआईसी से भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं, थोड़ा समय उपलब्ध होता है[17]।

बीमा निर्धारण और भुगतान में शामिल प्रक्रियाएं नीचे दिये गए विवरणानुसार आईटी सिस्टम का उपयोग करती हैं:

(i) दावा प्रशासन प्रणाली (सीएएस): यह वित्तीय संस्थान की समापन प्रक्रिया के दौरान जमाकर्ता सूचना फाइलों के एफडीआईसी को समग्र हस्तांतरण के हिस्से के रूप में जमाकर्ता जानकारी वाले डेटासेट लोड करने के लिए है;

(ii) गैर-जमा दावे (एनडीसी): वित्तीय संस्थान बंद करने की प्रक्रिया के दौरान, एफडीआईसी एनडीसी को संसाधित करने के लिए भी जिम्मेदार है। एनडीसी कई व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों या अन्य संस्थाओं से आ सकते हैं। एनडीसी लेनदार दावों के डेटा के संग्रह का समर्थन करता है जिसे एफडीआईसी को रिसीवर क्षमता में प्रस्तुत किया गया था।

(iii) लाभांश प्रसंस्करण प्रणाली (डीपीएस): डीपीएस का उद्देश्य सिद्ध दावेदारों को उचित भुगतान की गणना करना और भुगतान जारी करना है, साथ ही उन भुगतानों का एफडीआईसी के नए वित्तीय पर्यावरण (एनएफई) जनरल लेजर के साथ मिलान करना है।

(iv) प्रोविजनल होल्ड सिस्टम (पीएचएस) और एसोसिएटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम (एसएएस) एप्लीकेशन: एफडीआईसी इसे भेजे गए डिपॉजिट, होल्ड और स्वीप फाइलों के डेटा फॉर्मेट और संबंध को सत्यापित और मान्य करने के लिए और बंद होने से पहले और बाद में वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए अनंतिम होल्ड की सटीकता को मान्य करने के लिए पीएचएस और एसएएस एप्लिकेशन का उपयोग करता है। जब कोई संस्था विफल हो जाती है, तो एफ़डीआईसी संस्था की जमाराशियों को अधिग्रहण करने वाली संस्था को हस्तांतरित करने की सुविधा देता है या बीमित जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान

16. https://www.dnb.nl/en/reliable-financial-sector/dutch-deposit-guarantee/faq-dutch-deposit-guarantee/

17. एफ़डीआईसी (2021), बीमा निर्धारण और भुगतान के लिए गोपनीयता प्रभाव आकलन , अगस्त

करता है। सीएएस और डीपीएस के साथ, एफ़डीआईसी यह सुनिश्चित करने के लिए पीएचएस का उपयोग करता है कि एफ़डीआईसी विफल बीमित संस्थानों को समाधान प्रदान करने के लिए अपने कानूनी दायित्व को पूरा कर सकता है और जमाकर्ताओं को समय पर तरलता प्रदान कर सकता है, आमतौर पर 48 व्यावसायिक घंटों के भीतर।

(v) रिसीवरशिप अनुरोध प्रबंधन पोर्टल (आरआरएमपी): एफडीआईसी आरआरएमपी का उपयोग विफल वित्तीय संस्थान जमाकर्ताओं, गैर-जमा दावेदारों और जमा दलालों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों, पूछताछ और अपडेट को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए करता है।

भारत

भारत में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के पास विपंजीकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने का अधिदेश है, जहां वाणिज्यिक बैंकों के मामले में नियामक जबकि शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार / सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापक की नियुक्ति की जाती है। परिसमापक को एक निर्धारित समय के भीतर ₹5,00,000 की जमा बीमा सीमा तक दावों की प्रतिपूर्ति के लिए जमाकर्ताओं की सूची ''समान क्षमता में और समान अधिकार में'' डीआईसीजीसी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। डीआईसीजीसी को परिसमापक से जमाकर्ताओं की सूची प्राप्त होने पर दो महीने के भीतर पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करना आवश्यक है। निगम समाधान प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय/समामेलन/ पुनर्निर्माण की एक योजना स्वीकृत होने के बाद बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को ₹ 5,00,000 की बीमा सीमा तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 1961 के अनुसार, जो 1 सितंबर, 2021 से प्रभावी हुआ, डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक द्वारा 'सर्व समावेशी निर्देश' जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमा निकासी पर प्रतिबंध होता है, के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को निर्देश लगाए जाने के 90 दिनों के भीतर ₹ 5,00,000 के जमा बीमा कवर तक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जमाकर्ताओं द्वारा सम्मति प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल मौजूद है। जमाकर्ता का भुगतान आम तौर पर एक एजेंसी बैंक के माध्यम से किया जाता है। एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बारे में सूचित किया जाता है (भारत में विस्तृत दावा निपटान प्रक्रिया के लिए कृपया इस रिपोर्ट का विहंगावलोकन अध्याय देखें)।

निष्कर्ष

28 क्षेत्राधिकारों के मामले में जमा बीमा कवर की जांच से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय के संबंध में माध्यिका जमा बीमा कवर 3.0 है जो प्रति व्यक्ति आय के दो गुना के नियम से काफी ऊपर है। भारत के मामले में 2.9 का अनुपात 2 गुना के नियम से काफी ऊपर है और 28 देशों के माध्यिका अनुपात के आसपास भी है। जर्मनी जैसे कुछ क्षेत्राधिकारों को छोड़कर, जहां कई जमा बीमा एजेंसियां संचालित होती हैं, वैधानिक जमा बीमा कवर के ऊपर और ऊपर स्वैच्छिक जमा बीमा कवर प्रदान करती हैं, पेश किए गए जमा बीमा कवर व्यापक रूप से एक समान है। कनाडा में कुछ प्रांतों में प्रांतीय चार्टर्ड क्रेडिट यूनियनों द्वारा प्रदान किया गया जमा बीमा कवर सीडीआईसी द्वारा पेश किए गए जमा बीमा कवर से अलग है। दक्षिण कोरिया के मामले में संस्थानों का कवरेज कुछ अनोखा है जहां बैंकों, बीमा व्यापारियों और दलालों, बीमा कंपनियों, व्यापारी बैंकों और पारस्परिक बचत बैंकों द्वारा पेश किए गए वित्तीय उत्पादों को भी जमा बीमा के तहत कवर किया जाता है।

ई-मनी या डिजिटल स्टोर्ड वैल्यू उत्पाद काफी हद तक जमा बीमा के दायरे में नहीं आते हैं, हालांकि बैंक खातों से लिंकेज के साथ ई-मनी जारी करना कुछ क्षेत्राधिकारों में जमा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सभी क्षेत्रों में, जमा बीमा कवर के दायरे में ई-मनी और डिजिटल स्टोर्ड वैल्यू उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के प्रयास चल रहे हैं। जमा बीमा का

विस्तार करने से पहले वैश्विक स्तर पर डीआई को फिनटेक प्लेटफॉर्म, उनके उत्पादों और व्यावसायिक रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता होगी । जमा बीमाकर्ताओं को जमा सुरक्षा पर सूचना विषमता को दूर करने के लिए इस दिशा में जन जागरूकता पहल बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। चुनिंदा क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाई गई त्वरित दावा निपटान प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं के सुझाव के अनुसार, *अन्य बातों* के साथ-साथ, बैंक की विफलता की उच्च संभावना होने पर प्रारंभिक परीक्षा, त्वरित पुनर्भुगतान के लिए अग्रिम रूप से मजबूत डेटा बेस का निर्माण और दावा निपटान पर जमाकर्ताओं की जानकारी के लिए आईटी सक्षम ग्राहक इंटरफ़ेस आवश्यक है।

अनुबंध 1: दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार चुनिंदा देशों में जमा बीमा कवर और प्रति व्यक्ति आय

क्रमांक	देश	डीआई कवर (यूएसडी)	प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई)	डीआई कवर / पीसीआई	प्रीमियम लगाना
1	सिंगापुर	56,732	66,263	0.86	विभेदक
2	विएतनाम	3,239	3,694	0.89	एक समान
3	दक्षिण कोरिया	46,041	35,196	1.31	विभेदक
4	कनाडा	78,555	52,791	1.49	दोनों
5	रूस	18,933	11,654	1.62	विभेदक
6	टर्की	20,165	9,327	2.16	विभेदक
7	स्वीडन	1,27,467	58,639	2.17	विभेदक
8	जापान	96,862	40,704	2.38	एक समान
9	जर्मनी	1,22,160	50,788	2.41	विभेदक
10	यूनाइटेड किंगडम	1,16,215	46,200	2.52	विभेदक
11	फ्रांस	1,22,160	45,028	2.71	विभेदक
12	नॉर्वे	2,32,566	82,244	2.83	विभेदक
13	फिलीपींस	10,414	3,646	2.86	एक समान
14	**भारत**	**6,844**	**2,277**	**3.01**	**एक समान**
15	चीनी ताइपे	1,06,800	33,402	3.20	दोनों
16	इटली	1,22,160	35,585	3.43	विभेदक
17	संयुक्त राज्य अमेरिका	2,50,000	69,375	3.60	दोनों
18	स्लोवेनिया	1,22,160	28,939	4.22	एक समान
19	चेक गणतंत्र	1,22,160	25,806	4.73	विभेदक
20	पुर्तगाल	1,22,160	24,457	4.99	दोनों
21	मलेशिया	61,721	11,604	5.32	विभेदक
22	ग्रीस	1,22,160	19,827	6.16	विभेदक
23	हंगरी	1,22,160	18,528	6.59	एक समान
24	ब्राज़िल	48,136	7,011	6.87	एक समान
25	पोलैंड- बैंक	1,22,160	16,930	7.22	एक समान
26	रोमानिया	1,22,160	14,968	8.16	विभेदक
27	बुल्गारिया	1,22,160	11,321	10.79	विभेदक
28	मेक्सिको	1,32,783	9,926	13.38	एक समान

स्रोत : आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2021। विश्व बैंक डाटा बेस।

अनुबंध 2: चुनिंदा देशों में जमा बीमा कवरेज अनुपात (आईडी/एडी) और बीमित जमाराशियों के प्रमुख घटक

क्रमांक	देश	आईडी/ एडी अनुपात	बीमित जमाराशियों के घटक	आरक्षित अनुपात
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.51	बचत और चेकिंग खाते, मुद्रा बाजार जमा खाते, जमा प्रमाणपत्र (सीडी), प्रीपेड कार्ड (यह मानते हुए कि कुछ एफ़डीआईसी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है)	1.29
2	कनाडा	0.36	बचत और चेकिंग खाते, गारंटीकृत निवेश प्रमाणपत्र (जीआईसी) और अन्य सावधि जमा, विदेशी मुद्रा जमा	0.62
3	जर्मनी	0.68	बचत और चेकिंग खाता, वार्षिकी अनुबंध, विदेशी मुद्रा जमा	0.52
4	चीनी ताइपे	0.49	चेकिंग खाते, मांग जमा, सावधि जमा, कुछ वित्तीय संस्थानों में जमा किए जाने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित जमा, अन्य जमा जिन्हें वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग ने बीमा योग्य के रूप में अनुमोदित किया है	0.47
5	जापान	0.73	जमा, किस्त बचत, किस्त जमा, मूलधन की गारंटी के तहत धन ट्रस्ट, बैंक डिबेंचर (कस्टडी उत्पादों तक सीमित)	0.53
6	चेक गणतंत्र	0.65	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा	1.77
7	पोलैंड- बैंक	0.71	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा	1.81
8	मलेशिया	0.32	बचत, चालू, फिक्स्ड, विदेशी मुद्रा जमा, इस्लामी जमा, बैंक ड्राफ्ट, चेक, जमा खाते के सापेक्ष किए गए अन्य भुगतान निर्देश या साधन	0.51
9	पुर्तगाल	0.72	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा, सरकारी जमा	1.04
10	भारत	0.50	बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा	1.70
11	इटली	0.62	बचत और चेकिंग खाता, सीडी, चेक के प्रमाणित ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा जमा	0.22
12	बुल्गारिया	0.71	बचत और चेकिंग खाता, सीडी, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, विदेशी मुद्रा जमा	1.77
13	फिलीपींस	0.21	बचत और चेकिंग खाता, सीडी, विदेशी मुद्रा जमा, अंतर बैंक जमा, सरकारी जमा	6.99
14	हंगरी	0.55	बचत और चेकिंग खाता, सीडी, विदेशी मुद्रा जमा	0.46
15	रोमानिया	0.58	सावधि जमा, चालू खाता, बचत खाता, डेबिट/क्रेडिट कार्ड खाता, जमा खाता, संयुक्त खाता।	2.71
16	नॉर्वे	0.63	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा	1.23
17	ग्रीस	0.75	बचत खाता, विदेशी मुद्रा जमा	3.12
18	दक्षिण कोरिया	0.51	बचत और चेकिंग खाता, सीडी, यात्री चेक, चेक के प्रमाणित ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा जमा	0.49
19	ब्राज़िल	0.53	बचत और चेकिंग खाता, सीडी	3.71
20	रूस	0.54	बचत खाता, सीडी, विदेशी मुद्रा जमा	0.28
21	टर्की	0.41	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा	7.90
22	स्पेन	0.68	बचत और चेकिंग खाता, विदेशी मुद्रा जमा	0.51
23	मेक्सिको	0.55	बचत खाता, सीडी	1.29
24	मैसेडोनिया	0.72	बचत खाता, सीडी, विदेशी मुद्रा जमा	6.83
25	एल साल्वाडोर	0.27	बचत खाता, चेकिंग खाता, सीडी, विदेशी मुद्रा जमा, सरकारी जमा	5.29

स्रोत : आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2021।

अनुबंध 3 : चुनिंदा क्षेत्राधिकारों में जमा बीमा का दायरा, कवरेज और ई-मनी के प्रति व्यवहार

देश/जमा बीमा एजेंसी	दायरा	कवरेज	ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों के प्रति व्यवहार
संयुक्त राज्य अमेरिका **संघीय जमा बीमा निगम/ राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन प्रशासन**	संयुक्त राज्य अमेरिका में संस्था के प्रकार के आधार पर दो संघीय अधिकार प्राप्त जमा बीमा प्रणालियाँ (डीआईएस) हैं: (i) बैंकों और बचत संघों (थ्रिफ्ट) में जमा जमाराशियों का बीमा संघीय जमा बीमा निगम (एफ़डीआईसी) द्वारा किया जाता है; और (ii) क्रेडिट यूनियनों में जमा राशि का बीमा राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन प्रशासन (एनसीयूए) द्वारा एक अलग विधायी आदेश के तहत किया जाता है। एफडीआईसी संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो बैंक जमाकर्ताओं को बीमित बैंक या बचत संघ के विफल होने की स्थिति में उनकी बीमित जमा राशि के नुकसान से बचाती है। 1970 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया एनसीयूए एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जो संघ द्वारा बीमित क्रेडिट यूनियनों में जमा राशि का बीमा करती है, उन सदस्यों की सुरक्षा करती है जो क्रेडिट यूनियनों के मालिक हैं, और चार्टर और संघीय क्रेडिट यूनियनों को नियंत्रित करता है । यह नेशनल क्रेडिट यूनियन शेयर इंश्योरेंस फंड के जोखिमों की पहचान, निगरानी और उन्हें कम करके क्रेडिट यूनियन सिस्टम की सुरक्षा और सुदृढ़ता की रक्षा करता है । शेयर बीमा कोष सभी संघीय क्रेडिट यूनियनों और अधिकांश राज्य-चार्टर्ड क्रेडिट यूनियनों[18] में खाताधारकों को $250,000 तक का संघीय शेयर बीमा प्रदान करता है ।	कवरेज इस बात पर निर्भर करता है क्या चुना गया वित्तीय उत्पाद एक जमा उत्पाद है; और क्या बैंक एफ़डीआईसी द्वारा बीमित है। कवरेज में चेकिंग खाते, निकासी के परक्राम्य आदेश खाते, बचत खाते, मुद्रा बाजार जमा खाते, सावधि जमा जैसे जमा प्रमाणपत्र (सीडी), कैशियर चेक, मनी ऑर्डर और बैंक द्वारा जारी अन्य आधिकारिक मदें शामिल हैं। प्रत्येक खाता स्वामित्व श्रेणी के लिए मानक बीमा राशि $250,000 प्रति जमाकर्ता, प्रति बीमित बैंक है। चूंकि विभिन्न खाता स्वामित्व श्रेणियों में जमा राशि के लिए अलग-अलग कवरेज प्रदान की जाती है जमाकर्ता $250,000 से अधिक के कवरेज के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके पास विभिन्न स्वामित्व श्रेणियों में धन है और सभी एफ़डीआईसी अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। एफ़डीआईसी कवर में स्टॉक निवेश, बॉन्ड निवेश, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसियां, वार्षिकियां, नगरपालिका प्रतिभूतियां, सुरक्षित जमा बॉक्स या उनकी सामग्री, और यूएस ट्रेजरी बिल, बांड या नोट शामिल नहीं हैं [19]।	भले ही प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता बैंक हों या मनी ट्रांसमीटर, बैंकों के पास जमा कार्डधारकों के फंड का बीमा एफ़डीआईसी नियमों के आधार पर किया जाता है। पासथ्रू प्रीपेड कार्ड जैसे संग्रहीत मूल्य कार्ड के मालिकों को कुछ नियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन एक बीमित डिपॉजिटरी संस्थान में जमा के मालिक के रूप में मान्यता देता है[20] ।

18. नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट।

19. एफडीआईसी वेबसाइट।

20. हिरोआकी कुवाहरा और काज़ुकी हारा (2022), प्रीपेड कार्ड: जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की एक केस स्टडी, आईएडीआई फिनटेक ब्रीफ संख्या 10

अनुबंध 3 : *(जारी)*

देश/जमा बीमा एजेंसी	दायरा	कवरेज	ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों के प्रति व्यवहार
साउथ कोरिया **कोरिया जमा बिमा निगम**	कोरिया जमा बिमा निगम (केडीआईसी) ने बैंक जमाकर्ताओं के संरक्षक के रूप में शुरुआत की, जबकि गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्रों के लिए अलग फंड थे। कवरेज शुरू में प्रति जमाकर्ता केआरडबल्यू 20 मिलियन था, लेकिन 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप हुई वित्तीय अस्थिरता ने सरकार को एक अस्थायी व्यापक कवरेज योजना को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जमा संरक्षण अधिनियम को 1997 के अंत में संशोधित किया गया और, तदनुसार, अलग-अलग जमा बीमा निधियों को अप्रैल 1998 में केडीआईसी के जमा बीमा कोष में समेकित किया गया। न केवल बैंकों की जमा राशि बल्कि प्रतिभूति कंपनियों, बीमा कंपनियों, मर्चेंट बैंकों, म्यूचुअल सेविंग बैंक, और क्रेडिट यूनियन (2004 से कवरेज से बाहर) द्वारा धारित जमाराशियाँ भी सुरक्षा के पात्र बन गए। इसने एकल, व्यापक और एकीकृत जमा बीमा प्रणाली बनाई जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने और वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। 2001 में केआरडबल्यू 50 मिलियन के सीमित कवरेज के लिए परिवर्तन किया गया । वित्तीय बाजार में स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च सीमा की स्थापना की गई थी। चूंकि प्रणाली नैतिक खतरे के जोखिम से सुरक्षित नहीं है, केडीआईसी बीमाकृत वित्तीय संस्थानों के वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों जोखिमों की बारीकी से निगरानी करता है[21] ।	बीमाकृत वित्तीय उत्पादों में बैंकों के मामले में मांग जमा, बचत जमा, किस्त जमा, विदेशी मुद्रा जमा, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति पेंशन खाते में जमा अथवा व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति पेंशन खाते जो केडीआईसी-बीमित उत्पादों में निवेश किए जाते हैं, जमा सुरक्षा के अधीन वित्तीय उत्पाद जो व्यक्तिगत बचत खातों में शामिल हैंऔर मूल गारंटी के साथ मनी ट्रस्ट शामिल किए गए हैं।	-

21. कोरिया जमा बीमा निगम की वेबसाइट।

अनुबंध 3 : *(जारी)*

देश/जमा बीमा एजेंसी	दायरा	कवरेज	ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों के प्रति व्यवहार
कनाडा **कनाडा जमा बीमा निगम**	कनाडा में, जमाकर्ताओं का बीमा या तो राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा जमा बीमा निगम (सीडीआईसी) द्वारा या प्रांतीय स्तर पर स्थानीय जमा बीमाकर्ता प्रणालियों (डीआई) द्वारा किया जाता है। सीडीआईसी संघीय चार्टर्ड बैंकों, ट्रस्ट कंपनियों, ऋण कंपनियों, सहकारी क्रेडिट संघों और क्रेडिट यूनियनों, और प्रांतीय चार्टर्ड ट्रस्ट कंपनियों और ऋण कंपनियों में प्रति जमाकर्ता और संस्थान सीएडी$ 100,000 तक जमा राशि का बीमा करता है। प्रांतीय चार्टर्ड क्रेडिट यूनियनों और केस्स पॉप्यूल (caisses *populaires*) में जमा अपने प्रांत के भीतर काम करने के लिए प्रतिबंधित हैं और प्रांतीय स्तर पर जमा बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकृत हैं [22]।	सीडीआईसी में चेकिंग खाते, बचत खाते, कर-मुक्त बचत खाते, गारंटीकृत निवेश प्रमाणपत्र और पांच साल या उससे कम समय में परिपक्व होने वाली अन्य सावधि जमा, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और सदस्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाणित चेक शामिल हैं। विदेशी मुद्रा खाते, जैसे अमेरिकी डॉलर में जमा, कुछ सेवानिवृत्ति खातों में जमा, जैसे पंजीकृत सेवानिवृत्ति बचत योजना और पंजीकृत सेवानिवृत्ति आय कोष, पंजीकृत शिक्षा बचत योजनाओं में जमा और प्रति लाभार्थी सीएडी$100,000 तक की पंजीकृत दिव्यांगता बचत योजना योजनाएँ जमा बीमा के अंतर्गत आती हैं। संघीय क्रेडिट यूनियनों में जमा सीडीआईसी के अंतर्गत आते हैं। प्रांतीय क्रेडिट यूनियनों में धारित जमाराशियों प्रांतीय जमा बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किया जाता है और कवरेज प्रांत के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है जो सीएडी $100,000 कवरेज सीमा (ओंटारियो, क्यूबेक) से लेकर पूर्ण जमा कवरेज (अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और सस्केचेवान) तक हो सकती है ।	जमा सुरक्षा, सीडीआईसी सदस्य संस्थानों में जमा रखने वाले तृतीय पक्षों द्वारा पेश किए गए ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों[23] पर अप्रत्यक्ष रूप से लागू हो सकती है, यह इस पर निर्भर करता है कि 1) क्या जमा सीडीआईसी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और 2) सीडीआईसी सदस्य संस्थान में निधि कैसे धारित है। परिणामस्वरूप, समान जमा जैसे उत्पाद, जैसे प्रीपेड कार्ड, में सदस्य संस्थान की विफलता की स्थिति में इन उत्पादों के उपभोक्ताओं के लिए जमा सुरक्षा का एक अलग स्तर हो सकता है।

22. एफएसबी (2012), जमा बीमा प्रणाली पर विषयगत समीक्षा: पीयर रिव्यू रिपोर्ट, फरवरी।

23. कनाडा में ई-मनी या डिजिटल स्टोर्ड वैल्यू उत्पाद पदों का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, कानून एंड-यूज़र फंड्स को संदर्भित करता है।

अनुबंध 3 : *(जारी)*

देश/जमा बीमा एजेंसी	दायरा	कवरेज	ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों के प्रति व्यवहार
यूरोपीय संघ **जमा गारंटी योजना**	जमा गारंटी योजना निर्देश (डीजीएसडी) 2014 में पूरे यूरोपीय संघ (ईयू) में पेश किया गया था। यह 1994 में शुरू किए गए मूल डीजीएसडी का वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एक संशोधन था। डीजीएसडी सभी 28 यूरोपीय संघ के देशों में कानून बन गया और इसे 3 जुलाई, 2015 तक राष्ट्रीय कानून में शामिल किया जाना था। इसे अधिकतम सामंजस्य निर्देश माना जाता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रीय कानून निर्देश की शर्तों से ऊपर नहीं हो सकता है। जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने, बैंक रन के जोखिम को कम करने और संपूर्ण यूरोपीय संघ बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करने के लिए डीजीएसडी को यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक जमा गारंटी योजना (डीजीएस) शुरू करने की आवश्यकता है जिसमें सभी जमा स्वीकार करने वालों को शामिल होना चाहिए। कवरेज सीमा ईयूआर 100,000 है। डीजीएसडी यूरोपीय आयोग को मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने और कम से कम हर पांच साल में कवरेज स्तर की समीक्षा करने का अधिकार देता है।	कुछ जमाराशियाँ, जैसे कि जो जीवन की घटनाओं (तलाक, सेवानिवृत्ति, बेकारी, अमान्यता या मृत्यु) से जुड़ी हुई हैं और आमतौर पर यह टीएचबी, अस्थायी उच्च शेष कहलाती हैं। इन्हें एक सीमित अवधि के लिए ईयूआर 100,000 से अधिक के लिए संरक्षित की जा सकती हैं। डीजीएस को व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा धारित सभी जमाओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वित्तीय संस्थानों, पेंशन और सेवानिवृत्ति निधियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जमाराशियों को कवरेज से बाहर रखा गया है। सदस्य राज्य इससे हटकर छोटे और मध्यम उद्यमों की पेंशन योजनाओं और स्थानीय प्राधिकारियों की जमा राशि के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं[24]। जर्मनी में, वाणिज्यिक बैंक दो वैधानिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा कवर किए जाते हैं, जर्मन निजी बैंक संघ और जर्मन सार्वजनिक बैंक संघ। ये बैंक स्वैच्छिक और निजी तौर पर संचालित सुरक्षा प्रणाली में भी शामिल हो सकते हैं जो वैधानिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से "टॉप अप" करती है। वे ईयूआर 100,000 से अधिक सुरक्षा स्तर प्रदान करते हैं और अधिक प्रकार के जमाकर्ताओं और जमाओं को कवर करते हैं। सहकारी और बचत बैंकों के लिए संस्थागत सुरक्षा प्रणाली, संस्थाओं की व्यवहार्यता की रक्षा करके, केवल जमाकर्ताओं की बजाय विभिन्न व्यवस्थाओं और गारंटियों के माध्यम से सहकारी बैंकों और बचत बैंकों की रक्षा करती है। इन दो प्रणालियों के सदस्य संस्थान सांविधिक डीजीएस में भाग नहीं लेते[25]।	ईयू में जमा गारंटी योजना पर यूरोपीय संघ के निर्देश के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी के बदले प्राप्त धन को जमा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए[26]।

24. आईएडीआई (2021) जमा बीमा कवरेज स्तर और दायरा, शोध पत्र, दिसंबर।
25. एफएसबी (2012), जमा बीमा प्रणाली पर विषयगत समीक्षा: सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट, फरवरी 8।
26. जमा गारंटी योजनाओं पर यूरोपीय संसद और 16 अप्रैल 2014 की परिषद के निर्देश 2014/49/ईयू।

अनुबंध 3 : *(समाप्त)*

देश/जमा बीमा एजेंसी	दायरा	कवरेज	ई-मनी और डिजिटल संग्रहीत मूल्य उत्पादों के प्रति व्यवहार
जापान जापान जमा बीमा निगम	जापान जमा बीमा निगम (डीआईसीजे) को जापान में जमा बीमा प्रणाली स्थापित करने और जमाकर्ताओं और अन्य की सुरक्षा के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के रखरखाव में योगदान करने के लिए और विफल वित्तीय संस्थानों से संबंधित निधियों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित है। 'व्यवस्थित समाधान' व्यवस्था शुरू करने के लिए जून 2013 में डीआई अधिनियम में संशोधन किया गया। बैंकों और ऋण सहकारी समितियों के लिए डीआईसीजे के अलावा, कृषि और मत्स्य सहकारी बचत बीमा निगम (एएफसीएसआईसी) मौजूद है।	जमा की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली भुगतान और निपटान उद्देश्यों के लिए जमाराशियां (जो तीन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं: कोई ब्याज नहीं, मांग पर देय, और भुगतान और निपटान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम) पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि अन्य श्रेणियों (सामान्य जमा) के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों को प्रति संस्थान प्रति जमाकर्ता विफलता के दिन तक 10 मिलियन येन और ब्याज तक संरक्षित किया जाता है। सामान्य जमा में शामिल हैं, ब्याज वाली साधारण जमा, सावधि जमा, नोटिस पर जमा, बचत जमा, करों की तैयारी के लिए जमा, किस्त बचत, किस्त जमा, मूलधन की गारंटी के तहत धन ट्रस्ट, बैंक डिबेंचर (कस्टडी उत्पादों तक सीमित)।	प्रीपेड कार्ड (या उनके संग्रहीत मूल्य) को जमा के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि वे नकद-प्रतिदेय नहीं हैं, और जमा बीमा द्वारा संरक्षित नहीं हैं[27] ।

27. पूर्वोक्त फुटनोट 9

3. निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

जमा बीमा छोटे जमाकर्ता के हितों की रक्षा करके और इस तरह जनता का विश्वास सुनिश्चित करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली और डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत गठित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को भारत में जमा बीमा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2021-22 के दौरान निगम के प्रमुख कार्य यथा दावों का निपटान, प्रीमियम संग्रह, निपटाए गए दावों की वसूली, निधियों का निवेश, लेखा मामलों और कर अनुपालन को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया।

वर्ष के दौरान एक ऐतिहासिक घटना अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधन थी, जिसने आरबीआई द्वारा 'सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी)' के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को समयबद्ध अंतरिम भुगतान को सक्षम किया, जो आमतौर पर अन्य अधिकार क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। संशोधनों ने अपनी समाधान भूमिका के संदर्भ में डीआईसीजीसी के मेनडेट को मजबूत किया है। इस मील के पत्थर को यादगार बनाने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और गवर्नर, आरबीआई ने राष्ट्र को संबोधित किया और 12 दिसंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में चुनिंदा बैंकों के जमाकर्ताओं को चेक वितरित किए। इन संशोधनों के अनुसरण में, एआईडी के तहत रखे गए 22 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों को डीआईसीजीसी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया। एक अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटना यूनिटी लघु वित्त बैंक (यूएसएफबी) को विलय पर तत्कालीन पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को जमा बीमा भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान था। इस रिपोर्ट में वित्तीय खातों की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ निगम के कामकाज के प्रमुख परिचालन मानकों को प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ *

	विवरण	निम्न तिथियों के अनुसार स्थिति	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	खातों की कुल सं. (करोड़)	262.2	252.6
2	पूर्णतया संरक्षित खाते (करोड़) ^	256.7	247.8
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	97.9	98.1
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़)	1,65,49,630	1,49,67,770
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़)	81,10,431	76,21,251
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	49.01	50.9

* सितंबर 2021 और सितंबर 2020 के जमा आधार के आधार पर यानी संदर्भ तिथि से छह महीने पहले।
^ जमा बीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है।

निगम के पास पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 31 मार्च, 2022 तक 2,040 थी जिसमें 141 वाणिज्यिक बैंक [6 भुगतान बैंक (पीबी), 12 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), दो स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)] और 1,899 सहकारी बैंक (परिशिष्ट सारिणी 1) शामिल हैं। वर्ष के दौरान 21 सहकारी बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया; फिर भी, पंजीकृत संस्थाओं के मामले में सहकारी बैंक प्रमुख रहे (परिशिष्ट सारिणी 2)। वर्ष के दौरान, एक सहकारी बैंक और दो लघु वित्त बैंकों को बीमित बैंकों के रूप में पंजीकृत किया गया (परिशिष्ट सारिणी 3)।

I.1 निक्षेप बीमा योजना – मुख्य तथ्य

वर्तमान में निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों (यूटी) में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ

मार्च 2022 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों (256.7 करोड़) की संख्या बैंकिंग प्रणाली में कुल खातों की संख्या (262.2 करोड़) का 97.9 प्रतिशत थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 80 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारिणी 4)। जमा बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उच्चतम हिस्सेदारी 82.9 प्रतिशत है इसके बाद एलएबी 76.4 प्रतिशत, सहकारी बैंक 66.5 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 54.1 प्रतिशत, एसएफबी 43.1 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंक 38.5 प्रतिशत और विदेशी बैंक की 10.8 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारिणी 5)।

I.1.2 जमा बीमा प्रीमियम

2021-22 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹19,491 करोड़ था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 93.6 प्रतिशत और सहकारी बैंकों का योगदान शेष 6.4 प्रतिशत था (सारणी 2)।

चार्ट 1: मार्च के अंत के अनुसार जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा का विस्तार

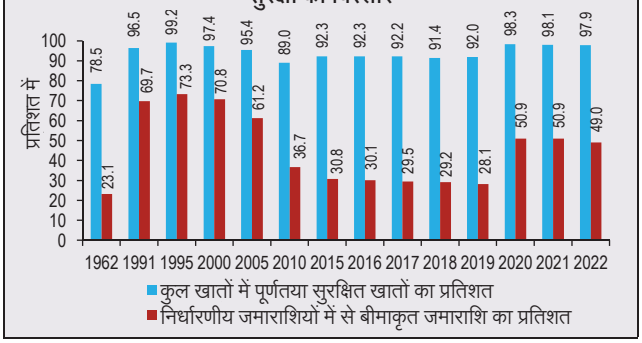

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एलएबी और आरआरबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234
2018-19	11,192	851	12,043

I.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा (सारिणी 3)।

सारिणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति

(प्रतिशत)

से	तक	बैंक दर	दंड स्वरूप ब्याज दर	चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर
22.05.2020	31.03.2022	4.25	8.00	12.25

I.2 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) बीमित बैंकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों[1] में निवेश पर प्राप्त कूपन आय से बनाया गया है। डीआईएफ को परिसमापकों / प्रशासकों / अंतरिती बैंकों से की गई वसूली से भी अंतर्वाह प्राप्त होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को यह निधि ₹1,46,842 करोड़ थी, और आरक्षित अनुपात (आरआर)[2] 1.81 प्रतिशत (चार्ट 2) था।

चार्ट 2: निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

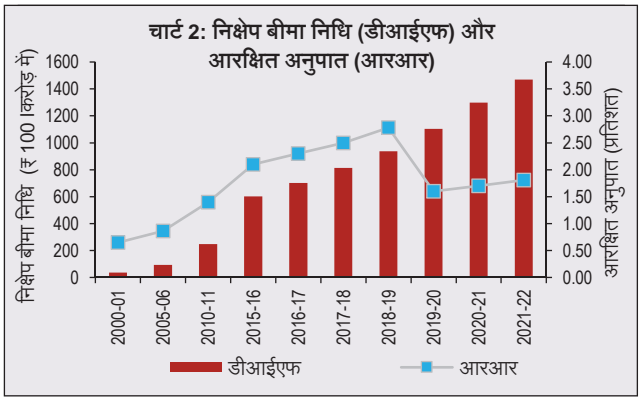

I.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन की मुख्य विशेषताएं बॉक्स 3.1 में प्रदान की गई हैं।

2021-22 के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय की गई संस्था बैंकों और एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के बीमित जमाकर्ताओं के लिए ₹8,516.6 करोड़[3] के दावों का निपटारा किया। परिसमाप्त और विलय किए गए बैंकों के दावों पर ₹5,059.2 करोड़[4] (परिशिष्ट सारिणी 6 और चार्ट 3) और एआईडी के तहत बैंकों से संबंधित ₹3,457.4 करोड़ के दावों का निपटान किया। (परिशिष्ट सारिणी 6ए और चार्ट 3ए)। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया था।

निगम के पास ₹44.5 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्राप्य जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के कारण परिसमापकों द्वारा वापस की गई राशि को दर्शाता है और भविष्य के दावों, यदि कोई हो, के निपटान के

बॉक्स 3.1: डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधन की मुख्य विशेषताएं

1 सितंबर, 2021 से लागू हुए संशोधन के संदर्भ में, एक बीमित बैंक को एआईडी लगाने के 45 दिनों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। निगम को 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करवाना होता है और अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को भुगतान करना होता है।

यदि आरबीआई बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/ पुनर्निर्माण की योजना के तहत लाना समीचीन पाता है, तो अंतरिम जमा बीमा का भुगतान करने की निगम की देयता का भुगतान करने के लिए अवधि 90 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी।

अन्य संशोधनों में आरबीआई की मंजूरी के साथ बीमा प्रीमियम पर जमा राशि के प्रति 100 रुपये पर 15 पैसे की सीमा बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, बीमित बैंक के लिए पुनर्भुगतान अवधि को स्थगित या बदल सकता है और देरी के मामले में रेपो दर पर 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल सकता है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, दावों के निपटान और बीमाकृत बैंकों को दावों की वसूली के लिए समय देने से संबंधित प्रक्रिया पर विनियमों में भी संशोधन किया गया है।

1. निगम ने 1 अप्रैल, 2020 से पहले की 10 पैसे की दर से निर्धारणीय जमा राशि के प्रीमियम दर को बढ़ाकर 12 पैसे प्रति ₹100 कर दिया।
2. बीमाकृत जमाराशियों और डीआईएफ का अनुपात।
3. ₹8,516.6 करोड़ में परिसमाप्त/विलय किए गए बैंकों के दावों के लिए मंजूर ₹8,474.1 करोड़ और 'दावों के शीघ्र निपटान पर नीति - जमाकर्ताओं को बैंकों की तरल निधियों से भुगतान' के तहत डीआईसीजीसी द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करके तीन बैंकों को निपटान किया गया ₹42.6 करोड़ शामिल है जैसा कि परिशिष्ट तालिका 6 में दर्शाया गया है।
4. इसमें पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी लघु वित्त बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के प्रावधानों के अनुसार निपटान किए गए पीएमसीबीएल के दावे के संबंध में स्वीकृत ₹3,791.6 करोड़ शामिल हैं।

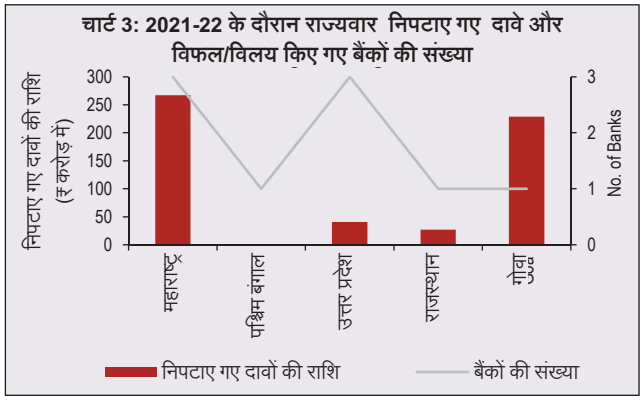

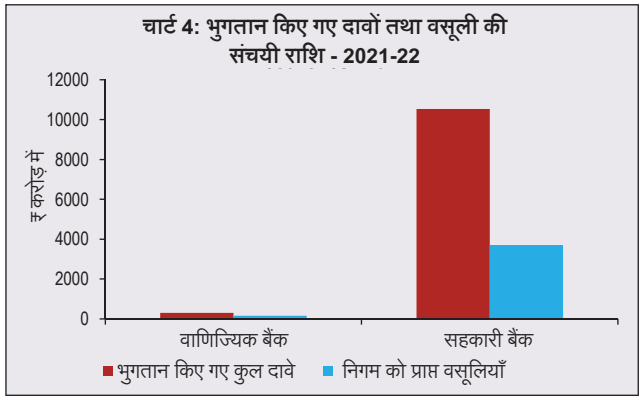

लिए अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹202.3 करोड़ का प्रावधान है। ऐसे छह बैंक थे जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और आकस्मिक देयता सृजित कर दी गई थी लेकिन दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (परिशिष्ट सारिणी 7)। एआईडी के तहत बैंकों के मामले में आकस्मिक देयता के तहत प्रावधान ₹ 2,619.1 करोड़ था (परिशिष्ट तालिका 7ए)।

दावों की प्राप्ति के बाद डीआईसीजीसी द्वारा परिसमाप्त बैंकों के मुख्य दावों के निपटान के लिए लिए गए दिनों की औसत संख्या 2020-21 के दौरान 7 दिनों के मुकाबले 2021-22 के दौरान घटकर 3 दिन हो गई, यानी 2 महीने के भीतर, जो कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में निर्धारित अवधि है।

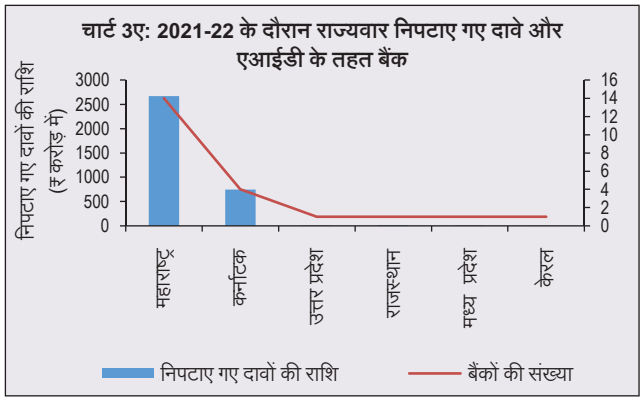

I.4 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ

जमा बीमा की शुरुआत से 31 मार्च, 2022 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त दावों की संचयी राशि ₹295.9 करोड़ है, 374 परिसमाप्त सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹10,524.3 करोड़ (वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹5,059.2 करोड़ सहित) (चार्ट 4 और परिशिष्ट सारिणी 8) और एआईडी के तहत रखे गए 22 सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹3,457.4 करोड़ (चार्ट 5 और परिशिष्ट सारिणी 8ए) है।

परिसमापकों/अंतरिती वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त संचयी वसूली 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹2.9 करोड़ सहित कुल ₹155.9 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान 4 बैंकों के संबंध में ₹94.1 लाख की राशि बट्टे खाते में डाली गई है। सहकारी बैंकों के मामले में, परिसमापक/अंतरिती बैंकों से कुल वसूली ₹3,689[5] करोड़ हुई, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त ₹399 करोड़ शामिल हैं।

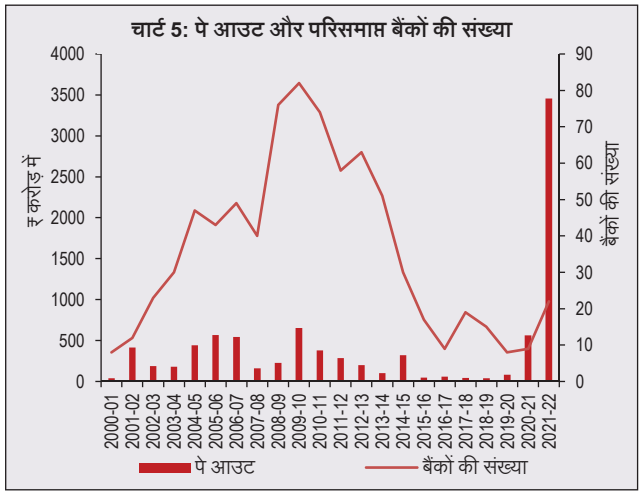

5. तरल निधि के माध्यम से तीन बैंकों के मामले में त्वरित निपटान नीति के तहत निपटाए गए दावों की राशि ₹42.6 करोड़ को गणना से बाहर रखा गया है।

I.5 कोर्ट – मामले

31 मार्च, 2022 को निगम की जमा बीमा गतिविधि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित अदालती मामलों की संख्या 31 मार्च, 2021 को 49 की तुलना में 55 थी। वर्ष के दौरान, कोई मामला बंद नहीं किया गया, जबकि पांच नए मामले दर्ज किए गए। 55 लंबित मामलों में से, छह मामले निगम (वसूली के लिए) द्वारा दायर किए गए थे, जबकि 49 मामले निगम को पक्ष या प्रतिवादी बनाते हुए (मुख्य रूप से परिसमापन/लाइसेंस रद्द करने/विनियामक कार्रवाई के खिलाफ) दायर किए गए थे।

चार्ट 6: मामलों का न्यायालयवार ब्रेकअप 2021-22

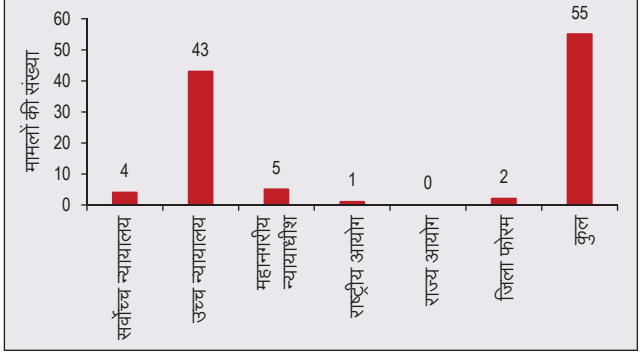

I.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में निगम द्वारा कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.36 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹0.49 लाख की वसूली प्राप्त हुई।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण प्रयास / प्रगति

II.1 दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए उपाय

निगम ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधनों के परिणामस्वरूप निर्धारित समय में एआईडी के तहत बैंकों के संबंध में दावों के भुगतान के लिए पहल की है (बॉक्स 3.2)।

दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा किए गए प्रयासों को विधिवत मान्यता दी गई और सराहना की गई।

II.2 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय:

एआईडी के तहत सभी बैंक जिनके लिए धारा 18ए के तहत दावों का निपटारा किया गया है, उन्हें सूचित किया गया है कि 31 दिसंबर, 2022 के बाद शुरू होने वाली पांच समान किश्तों में निगम को चुकौती की जानी है। कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड से ₹112.1 करोड़ की राशि की चुकौती

बॉक्स 3.2: 2021-22 के दौरान दावों के समय पर निपटान के लिए पहल

- संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए एक नीति तैयार की गई।
- डीआईसीजीसी को दावे प्रस्तुत करने के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।
- निविदा की उचित प्रक्रियाओं के बाद प्रत्येक बैंक के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्मों को नियुक्त किया गया।
- एआईडी के तहत बैंकों और सीए फर्मों को कई दौर की बैठकों, चर्चाओं और अप्रत्यक्ष कार्यशालाओं के माध्यम से दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
- जन जागरूकता पहल जैसे समाचार पत्रों में विज्ञापन, डीआईसीजीसी की वेबसाइट को अपडेट करना, प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए बैंकों को पर्चे और पोस्टर जारी करना और जमाकर्ताओं द्वारा सम्मति फॉर्म जमा करने और दावों के निपटान के बारे में ब्योरे को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने का काम किया गया।
- पहली दावा सूची सभी पात्र बैंकों द्वारा 45 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई थी, जिनमें से प्रत्येक का निपटान 90 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर किया गया।

के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण किया गया है। बोर्ड के अनुमोदन से चार बैंकों से ₹94.1 लाख की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

भाग III: लेखा-विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित प्रपत्र में, तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में निगम के मामलों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई है और यह अलग से संलग्न है ।

III.1 बीमा देयताएं

(क) निगम ने 2021-22 के दौरान ₹8,121करोड़ के निवल दावों को संसाधित किया है। 2021-22 के दौरान ₹8,474 करोड़ (₹524करोड़)[6] का भुगतान बीमा दावों के लिए किया गया इसमें पिछले वर्ष की क्रिस्टलीकृत देयता से भुगतान किया गया ₹353 करोड़ शामिल था।

(ख) बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के जमा बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹13,974 करोड़ (₹12,275 करोड़) थी, जो डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधनों से उत्पन्न एआईडी के तहत बैंकों के संबंध में बढ़े हुए भुगतान के कारण पिछले साल की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) में अधिशेष ₹20,566 करोड़ (₹26,555 करोड़) था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹5,989 करोड़ (22.5 प्रतिशत) की कमी दर्शाता है। इसका कारण थे मुख्य रूप से शुद्ध दावों के कारण व्यय में ₹ 7,128 करोड़ की वृद्धि, बीमांकिक देयता में ₹ 1,699 करोड़ की वृद्धि और भुगतान किए गए दावों की वसूली में ₹ 170 करोड़ की कमी जो आंशिक रूप से ₹ 1,974 करोड़ के प्रीमियम में वृद्धि और निवेश से आय में ₹846 करोड़ की वृद्धि से ऑफसेट हुई थी। 2021-22 के दौरान अप्राप्य जमाकर्ताओं के मामले में प्रावधान का प्रतिलेखन पिछले वर्ष के ₹29.7 करोड़ के मुकाबले शून्य था।

(ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹45.0 करोड़ (₹ 4 3.4 करोड़) रहा। अधिक अधिशेष का श्रेय निवेश से हुई आय में ₹1.6 करोड़ की वृद्धि को जाता है ।

(ग) सामान्य निधि (जीएफ) में अधिशेष ₹36.0 करोड़ (₹10.8 करोड़) था जिसके मुख्य कारण थे ₹18 करोड़ के आयकर रिफंड पर ब्याज, मूल्यह्रास में ₹7.6 करोड़ की कमी, स्टाफ की लागत, स्थापना, यात्रा और ठहराव भत्ते, विज्ञापन, सेवा अनुबंध / रखरखाव, के कारण व्यय में ₹0.4 करोड़ कमी जो निवेश से आय में ₹ 0.7 करोड़ की कमी से ऑफसेट हुई।

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष /रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹1,32,868 करोड़ (₹1,17,629 करोड़), ₹576 करोड़ (₹542 करोड़) और ₹585 करोड़ (₹558 करोड़) था।.

6. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से आसन्न कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी स्थिति को दर्शाते हैं।

III.4 निवेश

2021-22 के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमशः ₹1,48,747 करोड़ (₹1,32,223 करोड़), ₹589 करोड़ (₹555 करोड़) और ₹616 करोड़ (₹630 करोड़) रहा है। सभी निधियों में अभिमूल्यन दर्ज हुआ और तीनों निधियों में निवेश का बाज़ार मूल्य क्रमशः ₹1,50,588 करोड़, ₹623 करोड़ और ₹627 करोड़ रहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष (बकाया) क्रमश: ₹17,578 करोड़ (₹25,349 करोड़), ₹42 करोड़ (₹61 करोड़) और ₹11 करोड़ (₹18 करोड़) है । कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹15,757 करोड़ (₹23,658 करोड़), ₹33 करोड़ (₹46 करोड़) और ₹13 करोड़ (₹18 करोड़) रहा ।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹3,509 करोड़ का भुगतान किया गया। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग IV : खजाना परिचालन

IV.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2022 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार 31 मार्च 2021 के ₹1,33,407 करोड़ की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,49,952 करोड़ रहा। पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य ₹1,51,837 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2021 को ₹1,40,436 करोड़ की तुलना में 8.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और 31 मार्च, 2021 के बही मूल्य के 1.05 गुना की तुलना में 1.01 गुना है । वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न[7] 2020-21 में 6.47 प्रतिशत की तुलना में 3.66 प्रतिशत था। यह मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में कम अभिमूल्यन के कारण हुआ। वर्ष के दौरान मौजूदा और नए निवेशों का बाजार मूल्य प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्यों के आधार पर किया जाता है। निवेश पर लेखांकन नीति के संदर्भ में, शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो मान्य होता है। शुद्ध अभिमूल्यन, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। 31 मार्च 2022 के अनुसार सभी निधियों में शुद्ध अभिमूल्यन हुआ। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व निधि (आईएफआर) का रखरखाव करता है। 31 मार्च, 2021 को ₹6,388.7 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च, 2022 के अनुसार, मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा परिकलित, ₹ 6,536.4 करोड़ की निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) निधि अनुरक्षित थी।

IV.3 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (31 मार्च, 2022 को 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 6.84 प्रतिशत था, जबकि 31 मार्च, 2021[8] को 6.18 प्रतिशत) बढ़ा । इसके बाद वर्ष के दौरान प्रतिफल बढ़ा क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति के दबावों के जवाब में मौद्रिक नीति को सामान्य बनाना शुरू कर दिया। पिछली तिमाही के दौरान, संपत्ति की खरीद में कुछ कमी और दरों में बढ़ोतरी के बाद, भू-राजनीतिक शत्रुता ने प्रतिफल को काफी हद तक बढ़ा दिया।

7. टीडबल्यूआर की गणना डायटज़ विधि का उपयोग करके की जाती है, जैसे टीडबल्यूआर = [एमवीवी-एमवीबी + आई-सी] / [एमवीबी + (0.5 X सी)], जहां एमवीई/ बी = अंत/ शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = नए प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।
8. 31 मार्च, 2020 को 10-वर्षीय बेंचमार्क 5.85 जीएस 2030 था। इसके बाद, 6.10 जीएस 2031 जुलाई 2021 में जारी किया गया था, और 6.54 जीएस 2032 (वर्तमान 10-वाई ऑन-द-रन प्रतिभूति) जनवरी 2022 में जारी किया गया था।

भाग V : संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है। डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

श्री पम्मि विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत नियुक्त, सेवानिवृत्ति के कारण 31 मई, 2021 से निगम के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। श्री. आर. सुब्रमणियन को आरबीआई द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में 25 अगस्त, 2021 से 3 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए नामित किया गया था। 4 जनवरी, 2022 से डॉ दीपक कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया।

श्रीमती वंदिता कौल, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 21 नवंबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए की धारा 6(1) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र सरकार द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 6(1) (सी) के तहत निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2022के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1. श्री गोविंद राजुलु चिंतल	अध्यक्ष
2. श्रीमती वंदिता कौल	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3. डॉ दीपक कुमार	निदेशक

वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए तरलता लागत, आईटी विक्रेता की प्रोजेक्ट अनुरक्षण लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

मेसर्स देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2022-23 के लिए निगम के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मासिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दिसंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए सीएसएए किया गया है और रिपोर्ट को प्रबंधन टीम के समक्ष रखा गया।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

डीआईसीजीसी की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

निगम अपने कर्मचारियों को कौशल उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में प्रतिनियुक्त करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ-साथ विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी जमा बीमा संस्थानों द्वारा संचालित किए जाते हैं। 2021-22 के दौरान, 27 अधिकारियों, एक श्रेणी III और एक श्रेणी IV कर्मचारी को वेबेक्स के माध्यम से इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया । इसके अलावा तीन अधिकारियों को मलेशिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मलेशिया द्वारा आयोजित 'आईएडीआई, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) सम्मेलन वार्षिक आम बैठक और सीईओ संवाद' पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया और सात अधिकारियों को 2021 कोरिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ग्लोबल ट्रेनिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। ।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भा.रि.बैं. से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च 2022 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च 2021 के 52 की तुलना में 59 है (सारिणी 4)।

सारिणी 4: 31 मार्च 2022 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	*जिसमें*		प्रतिशत (%)	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	35*	3	3	9	9
श्रेणी III	22	4	2	18	9
श्रेणी IV	2	0	0	0	0
कुल	59	7	5	12	8

अजा -अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति
* कार्यपालक निदेशक को छोड़कर

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, निगम सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। 2021-22 के दौरान कुल 64 आरटीआई अनुरोध और 1 अपील प्राप्त हुई। वे मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की सुरक्षा में आरबीआई और डीआईसीजीसी की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर की सीमा, विफल बैंकों की जमा राशि पर भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी और बढ़े हुए जमा बीमा कवर पर पूछताछ से संबंधित थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नों का निपटारा किया गया।

V.7 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2021-22 में निगम का हिन्दी पत्राचार 98.96 प्रतिशत रहा । निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितंबर 2021 किया गया ।

V.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम के खिलाफ जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष का संचालन

किया जाता है। ग्राहक सेवा कक्ष दावा निपटान के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में है। परिसमापकों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और पर्यवेक्षण विभाग /विनियमन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के साथ समन्वय स्थापित करके शिकायतों का निपटान किया गया । शिकायतों से संबंधित मुद्दों को निपटान के लिए विशिष्ट मामलों को शहरी सहकारी बैंकों पर कार्यदल (टैफकब) की उप समिति में भी उठाया गया।

V.9 जन जागरूकता

निगम बीमाकृत बैंकों, अपनी वेबसाइट, ब्रोशर और पुस्तिकाओं के माध्यम से जनता को जमा बीमा के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के मूल सिद्धांतों के सिद्धांत 10 के अनुपालन में, निगम वेबसाइट पर वास्तविक समय के आधार पर निपटान/लंबित दावों की स्थिति को अद्यतन करता है। वर्ष के दौरान, जमा बीमा कवर की उपलब्धता के संबंध में असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्टिकर भेजे गए थे। एआईडी के तहत बैंकों के मामले में दावों के निपटारे की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई और समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए। निगम द्वारा एआईडी के तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए जमाकर्ताओं के मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भी भेजे गए। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से बीमित बैंकों के पंजीकरण को रद्द करने, परिसमापक की नियुक्ति, मुख्य दावों की प्रस्तुति और तत्पश्चात दावों के निपटान के बारे में जानकारी अपडेट की जाती है। जमाकर्ताओं द्वारा दावा सम्मति फॉर्म जमा करने के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले पोर्टल को वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है।

V.10 अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ में भूमिका

निगम के चार अधिकारियों ने 14-17 जून, 2021 के दौरान आयोजित फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफ़डीआईसी) वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। दो अधिकारियों ने जून 30, 2021 को वेबेक्स के माध्यम से आयोजित 69वीं कार्यकारी परिषद (ईएक्ससीओ), वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। कजाकिस्तान जमा बीमा कोष (केडीआईएफ) से प्राप्त ऑनलाइन भुगतान पर प्रश्नावली के जवाब प्रदान किए गए। 5 अगस्त, 2021 को आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई), एपीआरसी की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया गया। 2020-21 के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट को आईएडीआई के सदस्यों के बीच ईमेल के माध्यम से परिचालित की गई। निगम के अधिकारियों ने 24-25 फरवरी, 2022 को वेबेक्स के माध्यम से आयोजित डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ जापान (डीआईसीजे) गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

निगम के कार्यपालक निदेशक का विवरण समय-समय पर आईएडीआई और एपीआरसी सचिवालय के साथ अद्यतन किया गया है। निगम ने 24 नवंबर, 2021 को आयोजित एपीआरसी बैठक में भाग लिया। 31 मार्च, 2021 को निगम के कामकाज के आधार पर 2021 के लिए आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। आईएडीआई की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और सम्मेलन आउटलुक का सारांश भी प्रस्तुत किया गया। आईएडीआई से संबंधित अन्य संपर्क कार्यों में भी भाग लिया गया।

V.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स एन.बी.एस. एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वर्ष 2021-22 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मुंबई

दिनांकः 23 मई 2022

(एम. डी. पात्र)

अध्यक्ष

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक – स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

परिशिष्ट सारिणी 2-क: बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-ख: बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार (मार्च 2022 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	46	69
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	23	4	28
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	4	5
7.	गुजरात	1	18	214	233
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	260	282
12.	केरल	1	1	60	62
13.	मध्य प्रदेश	1	38	48	87
14.	महाराष्ट्र	1	31	482	514
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोरम	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	35	65
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	129	154
24.	तेलंगाना	1	0	51	52
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	60	111
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	42	60
	संघशासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
4.	एनसीटी दिल्ली	1	0	14	15
5.	पुडुचेरी	1	0	1	2
कुल		**33**	**352**	**1,514**	**1,899**

परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत (3)

बैंक का प्रकार	क्रम सं.	बैंक का नाम
सहकारी बैंक (1)	1.	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सुपौल, बिहार
लघु वित्त बैंक (2)	1.	शिवालिक लघु वित्त बैंक
	2.	यूनिटी लघु वित्त बैंक

ख. विपंजीकृत (21)

बैंक प्रकार	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
सहकारी बैंक (21)	दिल्ली	1	वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लिमिटेड (पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	गोवा	1	मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	गुजरात	1	टेक्सको कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		2	बड़ौदा ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा (प्राइम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		3	महिला विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (जूनागढ़ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		4	सलाल सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि. सूरत (वराछा सहकारी बैंक लि. सूरत के साथ विलय)
	कर्नाटक	1	बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (विकास सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
		2	श्री शरणबसवेश्वर सौहार्द सहकारी बैंक लि. करतगी (एसयूसीओ सौहार्द शहरी सहकारी बैंक लि. बेल्लारी के साथ विलय)
	मध्य प्रदेश	1	नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय)
	महाराष्ट्र	1	भाग्योदय फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		2	शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड
		3	शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		4	इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		5	मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		6	सरजेरावदादा नायक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, सांगली
		7	पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन)
		8	करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड
		9	नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सुटेक्स सहकारी बैंक के साथ विलय)
	उत्तर प्रदेश	1	पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर, यूपी
		2	शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्वैच्छिक परिवर्तन)
	पश्चिम बंगाल	1	यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान, पश्चिम बंगाल

परिशिष्ट सारिणी 4: जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की (संख्या करोड़ में)*	खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (₹100 करोड़)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹100 करोड़)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	256.7	262.2	97.9	81,104	1,65,496	49.0
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,213	1,49,678	50.9
2019-20	216.1 (231.0)	235.0	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500, 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000, 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000, 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000, 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹ 30,000, 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधिक नहीं थीं। कोष्ठक में आंकड़े ₹5,00,000 बीमा कवरेज के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि सितंबर 2019 से संबंधित जमा बीमा रिटर्न डेटा में ₹ 3,00,000 से ऊपर पूर्णतया विभाजित जानकारी नहीं थी।

टिप्पणी: 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंकवार श्रेणी : बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹100 करोड़)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹100 करोड़)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2021-22	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	98	70,130	1,50,215	46.7
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	18,594	34,372	54.1
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11	31,458	58,168	54.1
	iii) विदेशी बैंक	45	867	8,001	10.8
	iv) निजी बैंक	21	18,710	48,601	38.5
	v) भुगतान बैंक	6	63	63	99.6
	vi) लघु वित्त बैंक	12	431	1,001	43.1
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	7	10	76.4
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,087	4,930	82.9
	III. सहकारी बैंक	1,899	6,886	10,352	66.5
	कुल (I+II+III)	**2,040**	**81,104**	**1,65,496**	**49.0**
2020-21	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	96	65,410	1,35,088	48.4
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	18,273	30,928	59.1
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	30,422	56,165	54.2
	iii) विदेशी बैंक	46	675	7746	8.7
	iv) निजी बैंक	19	15,676	39,483	39.7
	v) भुगतान बैंक	6	36	36	99.5
	vi) लघु वित्त बैंक	10	321	721	44.5
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	7	9	80.1
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	3,915	4,665	83.9
	III. सहकारी बैंक	1,919	6,888	9,925	69.4
	कुल (I+II+III)	**2,058**	**76,213**	**1,49,678**	**50.9**
2019-20	I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) भारतीय स्टेट बैंक	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) विदेशी बैंक	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) निजी बैंक	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) भुगतान बैंक	6	16 (16)	16	100.0 (100.0)
	vi) लघु वित्त बैंक	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. सहकारी बैंक	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	कुल (I+II+III)	**2,067**	**36,961 (68,715)**	**1,34,889**	**27.4 (50.9)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ₹5 लाख बीमित जमा के आधार पर अनुमानित हैं क्योंकि जमा बीमा कवर में वृद्धि 4 फरवरी, 2020 से प्रभावी है। पूर्णांकन के कारण अनुपातों का मिलान नहीं होने की संभावना है।

परिशिष्ट सारिणी 6: 2021-22 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे
(परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों की राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सहकारी बैंक				
	महाराष्ट्र (12)			
1	कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	मुख्य	39,032	329.77
2	शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड	मुख्य	3,595	2.71
3	शिवाजीराव भोसले एसबीएल	मुख्य	60,192	281.49
4	करनाला एनएसबीएल	मुख्य	38,325	374.07
5	पीएमसी बैंक लिमिटेड	मुख्य	8,47,506	3,791.55
6	वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद $	मुख्य	लागू नहीं	32.83
7	भाग्योदय फ्रेंड्स यूसीबीएल $	मुख्य	लागू नहीं	8.05
8	डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल $	मुख्य	लागू नहीं	1.69
9	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	13	0.04
10	सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	7,163	58.62
11	कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	1,383	13.93
12	शिवाजीराव भोसले एसबीएल	अनुपूरक	606	6.20
कुल (महाराष्ट्र)		**मुख्य (8) और अनुपूरक (4)**	**9,97,815**	**4,900.93**
	पश्चिम बंगाल (1)			
1	बड़ानगर सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	1	0.01
कुल (पश्चिम बंगाल)		**अनुपूरक (1)**	**1**	**0.01**
	राजस्थान (1)			
1	भीलवाड़ा महिला यूसीबीएल, राजस्थान	अनुपूरक	798	2.06
कुल (राजस्थान)		**अनुपूरक (1)**	**798**	**2.06**
	गोवा (2)			
1	मडगाम यूसीबीएल	मुख्य	32,221	136.04
2	मापुसा यूसीबीएल	अनुपूरक	2,311	20.14
कुल (गोवा)		**मुख्य (1) और अनुपूरक (1)**	**34,532**	**156.18**
कुल (सभी राज्य)		**मुख्य (9) और अनुपूरक (7)**	**10,33,146**	**5,059.18**

$ त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए दावे।

परिशिष्ट सारिणी 6क: 2021-22 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत बैंक)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावों की राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सहकारी बैंक				
	महाराष्ट्र (14)			
1	मंथा यूसीबीएल$	मुख्य	28,946	45.82
2	इंडिपेंडेंस सीबीएल $	मुख्य	269	2.36
3	श्री आनंद सीबीएल लिमिटेड	मुख्य	10,931	9.42
4	मराठा एसबीएल	मुख्य	8,441	137.04
5	सिटी सीबीएल	मुख्य	12,544	230.47
6	सरजेरोदादा नाइक एसबीएल $	मुख्य	10,888	68.26
7	पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	मुख्य	212	3.06
8	कपोल सीबीएल	मुख्य	18,234	211.32
9	सेवा विकास सीबीएल	मुख्य	13,344	151.28
10	बाबाजी दाते महिला एसबीएल	मुख्य	14,241	253.61
11	लक्ष्मी सीबीएल	मुख्य	16,405	192.68
12	मलकापुर यूसीबीएल	मुख्य	22,685	478.16
13	नगर यूसीबीएल	मुख्य	9,462	181.71
14	रूपी सीबीएल	मुख्य	64,024	700.44
कुल (महाराष्ट्र)		**मुख्य (14)**	**2,30,626**	**2,665.63**
	कर्नाटक (4)			
1	मुधोल सीबीएल	मुख्य	1,155	16.69
2	डेक्कन यूसीबीएल	मुख्य	1,759	13.01
3	मिलथ सीबीएल	मुख्य	2,359	10.38
4	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएन	मुख्य	22,149	709.44
कुल (कर्नाटक)		**मुख्य (4)**	**27,422**	**749.51**
	राजस्थान (1)			
1	सीकर यूसीबीएल	मुख्य	1,001	16.24
कुल (राजस्थान)		**मुख्य (1)**	**1,001**	**16.24**
	मध्य प्रदेश (1)			
1	गढ़ा सीबीएल	मुख्य (1)	643	12.37
कुल (मध्य प्रदेश)		**मुख्य (1)**	**643**	**12.37**
	उत्तर प्रदेश (1)			
1	पीपुल्स सीबीएल $	मुख्य	872	7.40
कुल (उत्तर प्रदेश)		**मुख्य (1)**	**872**	**7.40**
	केरल (1)			
1	अदूर सीबीएल	मुख्य	252	6.29
कुल (केरल)		**मुख्य (1)**	**252**	**6.29**
कुल (सभी राज्य)		**मुख्य (22)**	**2,60,816**	**3,457.44**

$ डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही से परिसमाप्त बैंक।

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान
(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़)
क	**> 10 वर्ष पुराने**		
	-	-	-
	कुल (क)	**-**	**-**
ख	**> 5 और 10 वर्ष पुराने**		
	-	-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**		
1	24 दिसंबर, 2020	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (यू/एल)*	7.75
2	11 जनवरी 2021	यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यू/एल) बगनान, पबं#	2.23
3	03 फरवरी, 2022	इंडिपेंडेंस सीबीएल (यू/एल)$	2.08
4	16 फरवरी, 2022	मंथा यूसीबीएल (यू/एल)$	19.84
5	मार्च 02, 2022	सरजेराव दादा नाइक शिराला एसबीएल (यू/एल)$	20.62
6	21 मार्च 2022	पीपुल्स सीबीएल, कानपुर (यू/एल)$	1.99
	कुल (ग)	**(6 बैंक)**	**54.51**
कुल योग (क+ख+ग)		**(6 बैंक)**	**54.51**

* 31 मार्च, 2022 तक परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया। मामला विचाराधीन।
# दावा सूची परिसमापक से अभी प्राप्त नहीं हुई है।
$ बैंकों को वित्तीय वर्ष 22 की 4थी तिमाही में परिसमाप्त कर दिया गया।

परिशिष्ट सारिणी 7क: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान - एआईडी के तहत बैंक (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़)
1	मुधोल सीबीएल	8.81
2	मिलथ सीबीएल	4.26
3	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएन	695.05
4	डेक्कन यूसीबीएल	4.15
5	अदूर सीबीएल	1.90
6	लक्ष्मी सीबीएल	66.89
7	मलकापुर यूसीबीएल	344.30
8	मराठा एसबीएल	71.76
9	नगर यूसीबीएल	288.10
10	रूपी सीबीएल	263.93
11	सेवा विकास सीबीएल	120.16
12	बाबाजी दाते महिला एसबीएल	179.69
13	सिटी सीबीएल	126.87
14	पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	3.94
15	श्री आनंद सीबीएल लिमिटेड	3.88
16	द्वारकादास मंत्री नगरी एसबीएल $	239.52
17	कपोल सीबीएल	124.21
18	गढ़ा सीबीएल	15.52
19	सीकर यूसीबीएल	21.62
20	इंडियन मर्कैंटाइल सीबीएल	34.57
कुल		**2,619.13**

$ परिसमापक से दावा सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट सारिणी 8: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2022 तक
परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I	**वाणिज्यिक बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)				
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		704.06	704.06	-
	3 लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	6 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	7 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)		3,70,000.00	3,70,000.00	-
	कुल 'क'		**3,91,139.79**	**3,91,139.79**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ख)				
	8 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई 1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
	9 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
	10 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	11 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	14 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	15 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	16 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985)*		3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
	17 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	18 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
	19 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	20 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	कुल 'ख'		**8,17,291.74**	**1,91,403.91 (6,25,887.83)**	-
	iii)आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)				
	21 नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि.,दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	22 बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
	23 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*		2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
	24 बैंक ऑफ तंजावुर लि.,तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*		1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
	25 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		1,72,956.25	-	1,72,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		10,56,442.08	5,74,403.31	4,82,038.77
	कुल 'ग'		**17,50,098.20**	**9,76,678.95**	**7,73,419.25**
	कुल (क+ख+ग)		**29,58,529.73**	**15,59,222.65 (6,25,887.83)**	**7,73,419.25**
II	**कोऑपरेटिव बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)				
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	244.99	(26.00)
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8 सोलापूर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	9 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'घ'		**47,835.02**	**47,861.02**	**(26.00)**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ड.)				
	10 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1977)		276.50	- (276.50)	-
	11 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड , मुंबई (1978)		60.31	- (60.31)	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	12 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	13 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	- (26.10)	-
	14 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64 (180.80)	-
	15 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	कुल 'ड.'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	**-**
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)				
	16 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	17 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	18 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	19 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	20 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	21 आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
	22 कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	484.89	-
	23 गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	24 मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
	25 हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	26 येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48
	27 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
	28 कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)		1,736.62	963.02	773.59
	29 मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	30 सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
31	बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
32	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
33	सिटिज़ेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
34	चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
35	बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली , कर्नाटक (1996)		2,413.42	2,413.43	-0.00
36	पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	29,279.79	7,265.73
37	स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
38	कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
39	धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^		915.79	915.79	-
40	दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
41	विंकार सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
42	त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि.,पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	28,556.47	-
43	आवामी मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
44	रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
45	गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
46	अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
47	इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)		1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
48	नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
49	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
50	शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	17,600.00	9,894.76
51	दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
52	अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी , कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
53	नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
54	इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
55	नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
56	इचालकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	5,068.09	-
57	परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,939.70	6.91
58	माधवपुर मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#	3,160	40,15,185.54	40,15,185.54	-0.00
59	कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
60	सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
61	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत),मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
62	श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		1,40,667.57	62,046.41	78,621.16
63	मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
64	लातूर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
65	श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक , (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	7,821.24	-
66	फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
67	भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
68	अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
69	दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	26,553.64	-
70	श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
71	श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
72	मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	73 मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
	74 श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
	75 खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	76 जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
	77 निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	11,289.66	-
	78 दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	79 कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	47,432.57	-
	80 यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	81 प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	82 चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		14,32,344.30	9,44,695.05	4,87,649.26
	83 राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
	84 श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	34,033.48	-
	85 आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
	86 दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	87 कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
	88 अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	33,331.32	(1.97)
	89 थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	33,177.94	-
	90 दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2003)		1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
	91 मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	92 धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	93 अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	37,343.88	-
	94 दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	95 दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	41,281.62	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	96 मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	97 भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	98 नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	3,038.47	-
	99 पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,698.00	(0.03)
	100 श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	101 संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		1,15,872.42	27,318.21	88,554.22
	102 पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	22,952.19	-
	103 नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	104 जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		7,15,200.69	4,25,756.90	2,89,443.79
	105 वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
	106 चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		20,65,143.58	20,65,143.58	-
	107 प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	26,848.87	7,343.46
	108 विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,गुजरात (2004)		38,46,162.46	28,76,836.93	9,69,325.52
	109 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	110 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	111 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	3,293.11	22,148.10
	115 विजया कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	116 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	118 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	119 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	120 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	121 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	122 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक , महाराष्ट्र (2005)		1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
	123 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,84,048.60	4,06,291.83	1,77,756.77
	124 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	27,619.38	21,818.50
	125 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	68,227.40	18,303.13
	126 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	5,725.86	-
	127 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
	128 मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	30,901.60	(9.20)
	129 डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^		6,06,403.31	6,06,403.31	-
	130 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		74,035.71	66,870.29	7,165.42
	131 नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		2,99,340.86	50,849.32	2,48,491.54
	132 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		2,23,150.28	67,681.19	1,55,469.08
	133 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	134 प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		1,30,437.03	1,30,437.03	-
	135 उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	15,706.37	-
	136 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
	137 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	138 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	139 दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	18,999.84	-
	140 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	141 श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	142 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
	143 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
	144 पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	24,741.48	-
	145 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2005)		1,20,659.85	103.13	1,20,556.72

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	146 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.तेहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	148 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	10,038.93	30,789.25
	149 दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		67,739.63	23,933.43	43,806.20
	150 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
	151 मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
	152 नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		3,01,592.15	1,92,552.62	1,09,039.53
	153 सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.29
	154 महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2006)		3,04,703.46	3,04,703.46	-
	155 मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		1,45,661.51	1,27,713.27	17,948.24
	156 छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	157 श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
	158 श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा , गुजरात (2006)		4,34,251.94	3,27,993.29	1,06,258.66
	159 जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		3,23,292.67	2,06,629.70	1,16,662.97
	160 नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		5,52,716.70	2,06,459.84	3,46,256.86
	161 मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
	162 दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत,गुजरात (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	163 जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2006)		1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
	164 मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		2,57,956.99	2,57,956.99	-
	165 कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
	166 आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		3,71,586.77	2,02,586.25	1,69,000.52
	167 कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,तमिलनाडु (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
168	दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
169	कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	4,846.70	-
170	बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	12,825.48	-
171	दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		1,65,896.38	98,183.34	67,713.04
172	धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
173	समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		1,16,051.52	26,444.24	89,607.27
174	प्रूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		7,55,959.06	7,55,959.06	-
175	लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
176	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
177	सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		1,03,903.73	33,949.78	69,953.95
178	श्रीराम सहकारी बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र (2007)		3,23,215.02	3,23,215.02	-
179	परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		3,67,807.52	2,27,393.79	1,40,413.73
180	पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
181	यशवंत सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,938.96	-
182	दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
183	महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
184	करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
185	भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
186	लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
187	वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
188	बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	189 दतिया नागरिक सहकारी बैंक .,मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
	190 आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11
	191 उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	2,962.98	19,115.95
	192 सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		1,60,286.13	73,518.98	86,767.15
	193 श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
	194 ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
	195 दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	3,377.84	6,884.52
	196 श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	11,238.00	-
	197 आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	1,84,558.65	1,84,558.65	-
	198 राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	199 सेवालाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
	200 नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	201 सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202 चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203 बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	204 इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205 तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	206 चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	207 डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	208 जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	4,54,367.84	3,255.92	4,51,111.91
	209 मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	1,85,521.69	1,85,521.69	-
	210 श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	211 परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2008)	11,350	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
212	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर , छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	1,64,573.59	34,173.51	1,30,400.08
213	इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	24,167.12	-
214	कित्तूर रानी चेन्नमा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
215	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	55,022.95	44,645.78
216	रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
217	श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	2,68,254.02	2,29,771.10	38,482.92
218	जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि.,दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
219	हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
220	वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी ,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	7,395.14	17,846.88
221	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	1,12,933.28	56,013.28	56,920.00
222	श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	79,008.26	-
223	श्री कमलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	16,201.67	9,086.82
224	दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	66,092.12	1,568.33
225	प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर,महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
226	श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
227	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद,उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
228	फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
229	सिद्धपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
230	नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	1,28,916.02	57,376.93	71,539.10
231	भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	3,74,582.84	3,05,503.72	69,079.12
232	संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
233	श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
234	श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर , गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	51,821.99	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
235	ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
236	अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	31,359.23	21,768.76
237	रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	3,70,674.45	59,841.14	3,10,833.31
238	साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*	56,817	3,59,787.81	82,696.99	2,77,090.82
239	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	2,38,318.86	1,93,121.36	45,197.50
240	अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	2,92,978.03	1,32,836.14	1,60,141.88
241	श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
242	हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.34
243	श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,791	5,66,073.61	35,805.32	5,30,268.28
244	चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	3,00,915.66	3,01,044.55	(128.88)
245	दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
246	सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
247	वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	1,41,317	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
248	दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	43,375.25	-
249	मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	4,20,307.59	3,89,698.93	30,608.66
250	फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	33,463.64	-
251	डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
252	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	1,25,438.26	91,584.87	33,853.39
253	दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	1,44,067.26	87,944.96	56,122.30
254	गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2010)	43,934	4,36,184.64	1,07,422.59	3,28,762.05
255	अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण , कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
256	यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
257	प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	70,182.85	-
258	सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	4,87,115.50	2,10,279.84	2,76,835.66
259	बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	56	58.72	0.74	57.98
260	श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
261	साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,386	15,629.02	5,615.61	10,013.41
262	प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
263	श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर , गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
264	सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर , मध्य प्रदेश (2010)	27,123	2,32,261.93	2,32,261.93	-0.00
265	यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज , महाराष्ट्र , (2010)	21,235	1,14,638.37	1,14,638.37	-0.00
266	अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
267	अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	4,48,117.96	3,45,514.98	1,02,602.98
268	सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	2,60,370.86	1,02,147.10	1,58,223.76
269	काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	39,912	1,46,202.60	50,586.60	95,616.00
270	श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	35,219	4,03,741.10	3,53,859.76	49,881.34
271	नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	54,036	4,76,606.19	3,09,031.48	1,67,574.71
272	राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,424	25,845.79	15,063.13	10,782.66
273	बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	16,052.04	33,260.39
274	श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , कर्नाटक , (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
275	विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
276	अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
277	अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
278	कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	12,948	1,14,105.43	1,14,105.43	-
279	राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	13,833	1,67,648.97	1,67,648.97	-
280	रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
281	चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2011)	14,811	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
282	श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित , महाराष्ट्र , (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
283	रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2011)	26,422	1,33,960.02	82,799.93	51,160.08
284	श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	179.27	179.27	-
285	अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात,2011	71,262	5,91,664.24	3,04,181.07	2,87,483.17
286	केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
287	रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	44,788.02	22,605.36
288	श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
289	श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
290	दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
291	समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	4,06,275.99	50,467.79	3,55,808.20
292	हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
293	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
294	दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	1,99,311.58	51,833.76	1,47,477.83
295	विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	1,60,023.77	73,071.28	86,952.49
296	इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	5,57,696.71	4,37,870.71	1,19,826.00
297	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
298	आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
299	श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	3,545.78	18,456.66
300	रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
301	चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	71,269.83	-
302	दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
303	श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
304	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	18,516	2,43,635.93	2,140.89	2,41,495.04
305	बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	45,494.11	42,836.70	2,657.41
306	मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)*	85,990	2,37,520.12	2,37,520.12	-
307	नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
308	भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
309	भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
310	इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	32,042.29	24,042.29	8,000.00
311	श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंक लि.,गुजरात (2012)	6,599	45,780.63	39,485.15	6,295.48
312	ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा 2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
313	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
314	भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	12,203	1,01,677.83	1,01,701.63	(23.80)
315	सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	4,59,890.08	3,21,890.08	1,38,000.00
316	वासो कोऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	20,243.26	51,976.12
317	कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	0.00
318	अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
319	अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
320	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
321	अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	34,801.30	26,853.32
322	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
323	वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	7,27,615.26	7,27,615.26	-0.00
324	सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
325	गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	1,30,638	28,77,206.83	6,95,716.81	21,81,490.02
326	दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
327	श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	1,57,616.06	1,57,616.06	0.00
328	दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)	28,759	3,01,759.34	3,01,759.34	-0.00
329	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	1,19,188.84	1,19,188.84	-
330	म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	1,56,382.66	1,56,382.66	-0.00

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
331	वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , राजस्थान (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
332	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2016)	14,190	77,816.31	38,211.72	39,604.59
333	बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2015)	19,137	1,52,079.54	59,588.31	92,491.23
334	तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (2011)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
335	मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00
336	अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014) $		3,18,602.37	-	-
337	धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
338	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
339	श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	6,592	21,888.06	21,888.60	-0.54
340	विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
341	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	7,398	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
342	कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	21,045	2,42,174.75	1,67,801.58	74,373.17
343	लमका अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	317	261.65	0.00	261.65
344	छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
345	गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
346	जामखेड़ मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)	6,119	52,055.23	52,353.69	(298.46)
347	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा) $	-	2,946.90	-	-
348	श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुख्य दावा)$	-	27,601.00	-	-
349	मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (मुख्य दावा)&	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
350	दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) &	6,446	1,51,659.37	1,51,659.37	0.00
351	पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
352	गोकुल यूसीबीएल आंध्रा प्रदेश/ तेलंगाना (2017)$		13,579.00	-	-
353	भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2018)$		84,394.67	-	-
354	यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	2,47,534.55	1,66,492.73	
355	मर्केंटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2017)	19,087	27,434.83	7,956.74	
356	अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2018)	4,216	1,01,184.47	20,038.00	
357	महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2017)	33,004	3,01,398.79	20,755.49	2,80,643.29
358	सी के पी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	50,883	30,92,587.01	22,59,329.38	8,33,257.63
359	नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,125	1,53,640.88	5,000.00	1,48,640.88
360	श्री साई यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27

परिशिष्ट सारिणी 8: *(समाप्त)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	361 भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	12,723	2,91,299.96	1,79,270.00	1,12,029.96
	362 ब्रह्मवर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी (2021)$	26,425	2,51,000.00	-	-
	363 गाजियाबाद यूसीबीएल, यूपी (2021)$	लागू नहीं	1,16,856.00	-	-
	364 हरदोई यूसीबीएल, यूपी (2021)$	11,918	42,022.68	-	-
	365 मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	66,062	24,87,343.79	21,43,025.32	3,44,318.47
	366 वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद (2021) $	लागू नहीं	3,28,300	-	-
	367 कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (2021)	40,415	34,36,995	11,21,333.72	23,15,661.46
	368 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड (2021)	3,595	27,067		27,066.96
	369 शिवाजीराव भोसले एसबीएल (2021)	60,798	28,76,872	1,72,326.27	27,04,545.83
	370 भाग्योदय फ्रेंड्स यूसीबीएल (2021) $	लागू नहीं	80,464	-	-
	371 डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल (2021) $	लागू नहीं	16,886	-	-
	372 करनाला एनएसबीएल (2022)	38,325	37,40,551	-	37,40,551.30
	373 मडगाम यूसीबीएल (2022)	32,221	13,60,410	-	13,60,410.47
	374 पीएमसी सीबीएल (2022)) *	8,47,506	3,79,15,533	-	3,79,15,533.37
	कुल 'च'		**10,51,87,529.15**	**3,68,42,683.96**	**6,83,44,845.19**
	कुल (घ +ड.+च)		**10,52,43,192.59**	**3,68,92,878.75 (5,494.65)**	**6,83,44,819.19**
कुल (क+ख+ग+घ+ड.+च)			**10,82,01,722.32**	**3,84,52,101.40 (6,31,382.48)**	**6,91,18,238.44**

*समामेलन और पुनर्गठन की योजना

पुनर्निर्माण की योजना।

@ बैंक के परिसमापन पर निपटाए गए दावे

$ शीघ्र निपटान योजना के अंतर्गत निपटाए गए दावे।

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

नोट : 1. मूल दावों के निपटान का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2022 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

परिशिष्ट तालिका 8क: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ – 31 मार्च 2022 तक सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्र. सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	मुधोल सीबीएल	1,155	1,66,937.15	-	1,66,937.15
2	गढ़ा सीबीएल	643	1,23,690.13	-	1,23,690.13
3	मंथा यूसीबीएल $	28,946	4,58,209.67	-	4,58,209.67
4	इंडिपेंडेंस सीबीएल $	269	23,570.22	-	23,570.22
5	डेक्कन यूसीबीएल	1,759	1,30,057.73	-	1,30,057.73
6	सीकर यूसीबीएल	1,001	1,62,438.79	-	1,62,438.79
7	पीपुल्स सीबीएल $	872	73,956.08	-	73,956.08
8	श्री आनंद सीबीएल	10,931	94,182.23	-	94,182.23
9	मराठा एसबीएल	8,441	13,70,405.09	-	13,70,405.09
10	सिटी सीबीएल	12,544	23,04,702.12	-	23,04,702.12
11	मिलथ सीबीएल	2,359	1,03,775.63	-	1,03,775.63
12	सरजेरोदादा नाइक एसबीएल $	10,888	6,82,626.80	-	6,82,626.80
13	पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	212	30,610.71	-	30,610.71
14	कपोल सीबीएल	18,234	21,13,173.64	-	21,13,173.64
15	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएन	22,149	70,94,360.06	-	70,94,360.06
16	अदूर सीबीएल	252	62,934.00	-	62,934.00
17	सेवा विकास सीबीएल	13,344	15,12,751.64	-	15,12,751.64
18	बाबाजी दाते महिला एसबीएल	14,241	25,36,110.03	-	25,36,110.03
19	लक्ष्मी सीबीएल	16,405	19,26,841.75	-	19,26,841.75
20	मलकापुर यूसीबीएल	22,685	47,81,587.85	-	47,81,587.85
21	नगर यूसीबीएल	9,462	18,17,103.59	-	18,17,103.59
22	रूपी सीबीएल	64,024	70,04,409.34	-	70,04,409.34
कुल		**2,60,816**	**3,45,74,434.25**	**-**	**3,45,74,434.25**

$ डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही से परिसमाप्त बैंक।

टिप्पणी : 31 दिसंबर, 2022 के बाद से निगम को पांच समान किश्तों में चुकौती की जानी है

4. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Tel.: (91-22) 22870588/0939/4140/2288/5229
Fax: (91-22) 2288 4910
Email: admin@nbsandco.in
Web: www.nbsandco.in

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का निदेशक मण्डल

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उपरोक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") द्वारा यथासंशोधित द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2022 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के भाग "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्व का विषय

हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं

1. 01 सितंबर, 2021 से डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में नई धारा 18ए को शामिल करने के संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 2। तदनुसार, संशोधन के अनुसार वर्ष के दौरान डीआईसीजीसी ने 23 बैंकों के संबंध में ₹3,457.85 करोड़ स्वीकृत किए हैं और 22 बैंकों के संबंध में ₹3,457.43 करोड़ का भुगतान किया है।
2. समामेलन योजना (पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड) के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 3। वर्ष के दौरान डीआईसीजीसी ने योजना के अनुसार पीएमसी बैंक लिमिटेड के बीमित जमाकर्ताओं को ₹3791.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तविक रूप से वित्तीय विवरणों के और लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तविक रूप से गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख भी निदेशक मण्डल का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट भी जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का दमन शामिल हो सकते हैं।

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

(ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते एनबीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 110100W

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार
एम. नं. 46940
यूडीआईएन : 22046940AJNCFY5238

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 मई 2022

5. तुलन पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	देयताएं	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
12,27,527.00		**1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)**	**13,97,403.00**	0.00
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:		
98,29,709.88	50,986.93	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,17,62,903.41	54,235.83
19,33,193.53	3,248.90	जोड़ें :राजस्व खाते से अंतरित	15,23,939.73	3,366.89
1,17,62,903.41	**54,235.83**	वर्ष के अंत में शेष	**1,32,86,843.14**	**57,602.72**
		3. (क) निवेश रिज़र्व		
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	0.00
0.00	0.00	जोड़ें :राजस्व खाते से अंतरित	0.00	0.00
0.00	**0.00**	वर्ष के अंत में शेष	**0.00**	**0.00**
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
5,77,412.68	3,462.16	वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,31,378.18	3,462.16
53,965.51	0.00	राजस्व खाते से अंतरित	14,767.22	0.00
6,31,378.18	**3,462.16**	वर्ष के अंत में शेष	**6,46,145.40**	**3,462.16**
55,641.88	**0.00**	**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**	**20,318.85**	**0.00**
0.00	0.00	**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबन्धित अनुमानित देयताएं**	0.00	0.00
0.00	0.00	**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**	0.00	0.00
4,456.31	**0.00**	**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**	**4,452.61**	**0.00**
		8. अन्य देयताएं		
915.31	0.00	(i) फुटकर लेनदार	552.88	0.00
23,65,813.37	4,615.42	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	15,75,704.48	3,255.75
35,798.35	0.00	(iii) रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	19,198.25	0.00
171.56	0.00	(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	135.98	0.00
31.39	0.00	(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	0.01	0.00
24,02,729.99	**4,615.42**		**15,95,591.60**	**3,255.75**
1,60,84,636.77	**62,313.41**	**कुल**	**1,69,50,754.60**	**64,320.63**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)
मुंबई

23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

N B S & CO. MUMBAI FRN 110100W CHARTERED ACCOUNTANTS

एम डी पात्र
अध्यक्ष

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष			आस्तियां	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि			निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि			राशि	राशि
105.77	**7.25**	**1.**	**भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**	**8.11**	**413.72**
0.00	**0.00**	**2.**	**मार्गस्थ नकदी**	**0.00**	**0.00**
		3.	**केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)**		
0.00	0.00		खजाना बिल	0.00	0.00
1,32,22,298.58	55,455.26		दिनांकित प्रतिभूतियाँ	1,48,74,725.92	58,852.38
1,32,22,298.58	**55,455.26**			**1,48,74,725.92**	**58,852.38**
1,28,14,437.65	*54,514.15*		***अंकित मूल्य***	*1,44,71,139.01*	*57,838.75*
1,39,15,041.82	*60,432.66*		***बाज़ार मूल्य***	*1,50,58,810.45*	*62,272.81*
2,34,096.76	**777.05**	**4.**	**निवेशों पर उपचित ब्याज**	**2,57,786.25**	**842.44**
		5.	**अन्य आस्तियां**		
0.00	0.00		(I) फुटकर देनदार	3,134.57	0.00
25,34,919.76	6,073.84		(ii) अग्रिम आयकर	17,57,829.18	4,212.09
35,812.13	0.00		(iii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	19,210.81	0.00
35,798.35	0.00		(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	19,198.25	0.00
2,764.65	0.00		(v) प्राप्य सेवा कर/सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	20.75	0.00
18,840.76	0.00		(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	18,840.76	0.00
26,28,135.65	**6,073.84**			**18,18,234.32**	**4,212.09**
1,60,84,636.77	**62,313.41**		**कुल**	**1,69,50,754.60**	**64,320.63**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

पंकज शर्मा
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	व्यय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
		1. दावे:		
52,233.89	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त	8,09,381.59	0.00
50,026.72	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए	2,699.99	0.00
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबन्धित अनुमानित देयताएं		
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**
		(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियाँ		
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**
(2,974.49)	0.00	(ड.) घटाएँ पता न लगाए जाने योग्य जमकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00	0.00
99,286.12	**0.00**	**निवल दावे**	**8,12,081.58**	**0.00**
12,27,527.00	**0.00**	**2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**	**13,97,403.00**	**0.00**
26,55,493.69	**4,341.59**	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**	**20,56,621.27**	**4,499.26**
39,82,306.81	**4,341.59**	**कुल**	**42,66,105.85**	**4,499.26**
		कराधान के लिए प्रावधान		
6,68,334.65	1,092.69	चालू वर्ष	5,17,610.44	1,132.37
0.00	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	303.88	0.00
0.00	0.00	आस्थगित कर	0.00	0.00
53,965.51	0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	14,767.22	0.00
19,33,193.53	**3,248.90**	**अधिशेष खाते में ले जाया गया शेष**	**15,23,939.73**	**3,366.89**
26,55,493.69	**4,341.59**		**20,56,621.27**	**4,499.26**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)
मुंबई
23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

एम डी पात्र
अध्यक्ष

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
के लिए राजस्व खाता
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष			चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	आय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
12,08,730.00	**0.00**	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	**12,27,527.00**	**0.00**
17,51,716.58	**0.00**	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	**19,49,081.80**	**0.00**
56,853.70	**0.37**	**3. भुगतान/निपटान किए गए दावों के संबंध में वसूलियों द्वारा (अतिदेय पुनर्भुगतान पर ब्याज सहित)**	**39,894.92**	**0.50**
		4. निवेशों पर आय द्वारा		
9,33,143.16	4,341.22	(क) निवेशों पर ब्याज	10,53,530.27	4,498.76
30,407.56	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	(8,067.33)	0.00
1,455.81	0.00	(ग) रिवर्स रेपों ब्याज आय खाता	4,139.19	0.00
9,65,006.53	**4,341.22**		**10,49,602.13**	**4,498.76**
		5. अन्य आय		
0.00	0.00	प्रतिलेखित निवेश का मूल्यह्रास	0.00	0.00
39,82,306.81	**4,341.59**	**कुल**	**42,66,105.85**	**4,499.26**
26,55,493.69	4,341.59	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**	20,56,621.27	4,499.26
26,55,493.69	**4,341.59**		**20,56,621.27**	**4,499.26**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

प्रंकज शर्मा
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू वर्ष
राशि		राशि
5,000.00	**1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)**	**5,000.00**
	2. रिज़र्व	
	क) सामान्य रिज़र्व	
55,009.58	वर्ष के प्रारंभ में शेष	55,819.36
809.78	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	2,695.48
55,819.36		**58,514.84**
	ख) निवेश रिज़र्व	
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00
0.00	राजस्व खाते से अंतरित	0.00
0.00		**0.00**
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व	
4,030.06	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. चालू देयताएं और प्रावधान	
869.04	बकाया व्यय	201.08
22.60	फुटकर लेनदार	21.46
1,765.41	आयकर के लिए प्रावधान	1,343.87
0.18	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	1.34
2,657.23		**1,567.74**
67,506.65	**कुल**	**69,112.64**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डबल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)
मुंबई
23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

एम डी पात्र
अध्यक्ष

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	आस्तियां	चालू वर्ष राशि
	1. नकद	
0.00	(i) हाथ में	0.00
53.49	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	19.73
53.49		**19.73**
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
0.00	खजाना बिल	0.00
45,068.43	दिनांकित प्रतिभूतियां	16,437.67
17,916.18	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य 4500)	45,170.34
62,984.61		**61,608.01**
62,686.20	***अंकित मूल्य :***	*62,121.94*
68,152.12	***बाजार मूल्य :***	*62,659.79*
456.98	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**	**1,113.41**
	4. अन्य आस्तियां	
10.75	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	23.18
35.48	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	31.16
0.00	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.00
11.06	स्टाफ अग्रिम	0.26
2,035.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	5,035.00
1,806.40	अग्रिम आय कर/ टीडीएस	1,058.73
112.88	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	223.16
4,011.57		**6,371.49**
67,506.65	**कुल**	**69,112.64**

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

प्रंकज शर्मा
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	व्यय	चालू वर्ष राशि	पिछला वर्ष राशि	आय	चालू वर्ष राशि
1,310.86	स्टाफ को भुगतान/प्रतिपूर्ति की लागत	1,162.09		निवेशों से आय	
0.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.00	4,610.82	(क) निवेशों पर ब्याज	4,539.59
0.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों का यात्रा और अन्य व्यय	0.36	0.00	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	0.00
313.66	किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि	347.96	4,610.82		4,539.59
418.67	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	369.25	0.00		
16.56	मुद्रण, लेखन सामग्री और कम्प्युटर उपभोग्य सामग्री	24.13		प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास	0.00
74.79	डाक, तार और टेलीफोन	88.18			
21.28	लेखापरीक्षकों का शुल्क	89.53		विविध प्राप्तियाँ	
21.55	विधि प्रभार	43.62	0.40	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
22.72	विज्ञापन	9.33	2.55	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (निवल)	(0.73)
0.00	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	2.95	आयकर वापसी पर ब्याज	1,792.34
0.00	विविध व्यय	0.00		अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.01
6.50	व्यावसायिक प्रभार	7.00			1,791.62
387.34	सेवा करार / अनुरक्षण	369.76			
4.65	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	7.06			
3.77	पुस्तक अनुदान	2.19			
0.32	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	1.28			
75.40	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	118.37			
74.46	अन्य	72.83			
552.43		578.49			
7.10	मूल्यह्रास	11.71			
772.02	आईएएसएस पर मूल्यह्रास	4.53			
1,082.12	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया	3,602.04			
4,613.77	कुल	6,331.21	4,613.77	कुल	6,331.21
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया		1,082.12	वर्ष में व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया	3,602.04
	आयकर के लिए प्रावधान				
272.35	चालू वर्ष	906.56			
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00			
0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	0.00			
809.78	सामान्य रिज़र्व खाता	2,695.48			
1,082.12	कुल	3,602.04	1,082.12	कुल	3,602.04

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डब्ल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)

मुंबई

23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

एम डी पात्र
अध्यक्ष

पंकज शर्मा
निदेशक

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष 31-03-2021 राशि		विवरण		31-03-2022 को समाप्त अवधि राशि	
डीआईएफ	सीजीएफ			डीआईएफ	सीजीएफ
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
26,55,493.69	4,341.59	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	20,56,621.27	4,499.26
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(9,34,598.97)	(4,341.22)	निवेशों पर ब्याज		(10,57,669.46)	(4,498.77)
(30,407.56)	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		8,067.33	0.00
0.00		निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		-	0.00
0.00		निवेश रिज़र्व में अंतरण		-	0.00
		प्राप्त धनवापसी पर ब्याज		-	0.00
		कर		-	0.00
18,797.00		निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		1,69,876.00	
(9,46,209.53)	**(4,341.22)**		(ख)	**(8,79,726.13)**	**(4,498.77)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(6,67,454.85)	(2,228.36)	अग्रिम आयकर/स्त्रोत पर कर कटौती में वृद्धि		(5,30,932.64)	(630.29)
0.00		फुटकर देनदार		(3,134.57)	0.00
(161.88)		प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी		36.09	0.00
1,08,679.21		अन्य आस्तियां		35,909.23	0.00
0.00		विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता		-	
(5,58,937.52)	**(2,228.36)**		(ग)	**(4,98,121.89)**	**(630.29)**
		देयताएं :			
		(कमी) वृद्धि			
49,855.30		सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		(35,323.02)	0.00
(2,886.07)		अदावी जमाराशियाँ		(3.70)	0.00
758.16		फुटकर लेनदार		(362.45)	0.00
0.00		फुटकर जमा खाता		-	0.00
0.00		सेवाकर देय खाता		(35.59)	0.00
(54,122.51)		रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		(16600.10)	0.00
0.00		भुगतान योग्य स्वच्छ भारत			
30.52		भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(31.38)	
(6,364.61)			(घ)	**(52,356.23)**	**0.00**
11,43,982.03	**(2,227.99)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)**	(क)	**6,26,417.02**	**(629.80)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
9,08,130.22	4,295.02	प्राप्त निवेशों पर ब्याज		10,33,979.98	4,433.38
30,407.56		प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/(हानि)		(8,067.33)	0.00
0.00		सामान्य निधि में अंतरित		-	0.00
		कमी (वृद्धि)			
(21,00,453.92)	(2484.73)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(16,52,427.33)	(3,397.12)
(11,61,916.14)	**1810.29**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	(ख)	**(6,26,514.68)**	**1,036.26**
		वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(ग)		
(17,934.10)	**(417.70)**	**नकदी में निवल वृद्धि / कमी**	(क+ख+ग)	**(97.66)**	**406.46**
18,039.88	**424.95**	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		**105.77**	**7.25**
105.77	**7.25**	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**8.11**	**413.72**

टिप्पणी: निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डब्ल्यू

एम डी पात्र
अध्यक्ष

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)

पंकज शर्मा
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

मुंबई

23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि (जीएफ)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष 31 मार्च 2021 राशि	विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
1,082.12	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	3,602.04
	शुद्ध नकदी के परिचालन से आय से अधिक व्यय का सामंजस्य करने के लिए समायोजन		
7.10	मूल्यह्रास		11.71
772.02	आईएएसएस पर मूल्यह्रास		4.53
(4,610.82)	निवेशों पर ब्याज		(4,539.59)
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		0.00
0.00	निवेश रिज़र्व को अंतरण		0.00
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		0.00
(0.40)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
(2.55)	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		0.73
0.00	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		0.01
0.00	आयकर		0.00
(3,834.65)		(ख)	**(4,522.62)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
0.89	लेखन सामग्री/ अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		0.00
69.13	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(110.27)
133.92	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		10.80
(316.79)	अग्रिम आयकर		(587.43)
(505.00)	सीसीआईएल के पास उपांत जमा		(3,000.00)
57.65	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		0.00
134.53	फुटकर देनदार		0.00
761.27	परियोजना लागत		(12.43)
335.60		(ग)	**(3,699.33)**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
	भारतीय रिज़र्व बैंक में		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
22.36	बकाया व्यय		(667.97)
(2.08)	फुटकर लेनदार		(1.14)
(0.14)	अन्य जमा / स्त्रोत पर कर कटौती		6.99
0.18	भुगतान करने योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		1.16
20.32		(घ)	**(660.96)**
(2,396.60)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	(क)	**(5,280.87)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
5,129.79	निवेशों से प्राप्त ब्याज		3,883.16
0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		0.00
0.40	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.00	डीआईएफ से प्राप्त निधि		(0.01)
0.00	अन्य		0.00
	कमी (वृद्धि)		
(785.85)	अचल आस्तियाँ		(12.66)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
0.00	खजाना बिल		0.00
(27,772.60)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		28,630.76
25,757.97	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(27,254.16)
2,329.72	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	(ख)	**5,247.10**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	(ग)	**0.00**
(66.88)	**नकदी में निवल वृद्धि**	(क+ख+ग)	**(33.77)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
0.00	हाथ में		0.00
120.37	भारिबैं के पास		53.49
53.49	**वर्ष के अंत में नकद शेष**		**19.73**

टिप्पणी: निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नही है, अत: इसे नकदी शेष मे समाविष्ट नहीं किया गया है।

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफ़आरएन 110100 डब्ल्यू

सीए प्रदीप शेट्टी
भागीदार (एम सं. 46940)

मुंबई

23 मई 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

एम डी पात्र
अध्यक्ष

दीपक कुमार
कार्यपालक निदेशक

गोविंद राजुलु चिंतल
निदेशक

पंकज शर्मा
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस. सतीश कुमार
महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार:

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ जहाँ तक संभव हो सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और देश में सामान्यत: प्रचलित पद्धतियों के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में प्रोद्भवन आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर आस्तियों, देनदारियों, व्यय, आय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से जमा बीमा के तहत दावों के संबंध में। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्तियों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमित बैंकों के लिए पहले से मान्यता प्राप्त असंग्रहीत प्रीमियम आय, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बीमाकृत जमा की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बीमाकृत बैंक के रूप में विपंजीकरण पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश/निषेध के तहत रखे गए बीमित बैंकों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा।

(ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के संदर्भ में दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा (ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को उलट दिया है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जमा देयता के अनुसार क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।

(घ) इसके अलावा, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए के तहत दावा निपटान के लिए ऊपर बताई गई लेखा नीति समान है। बैंक द्वारा प्रस्तुत इच्छुक जमाकर्ताओं की पहली सूची के अनुसार देयता का प्रावधान तब तक रहेगा जब तक कि निगम द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के अनुसार दावे का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जाता या निर्देश/विलय/समामेलन पूर्ण न हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो।

(ङ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के बाद 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या – 1060100) खाताशीर्षों में किए गए प्रावधानों को रिवर्स किया गया और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) प्रतिलेखित राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया । यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है।

इसी प्रकार निपटाए गए और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है। डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में चुकौती की प्राप्ति, विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बीमित बैंकों की क्षमता पर विचार करते हुए बोर्ड द्वारा तय की गई समय सीमा पर निर्भर करेगी और इसे आस्थगित किया जा सकता है (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (3) के अनुसार)। चुकौती में निर्धारित समयावधि से अधिक देरी के मामले में, निगम को चुकाई जाने वाली राशि के लिए प्रति वर्ष रेपो दर से अधिकतम दो प्रतिशत अधिक की दर से दंडात्मक ब्याज निगम द्वारा लिया जाएगा (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (4) के अनुसार)।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन), यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

iii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। बाज़ार जोखिम से अधिक निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) , यदि है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय को विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण हस्तांतरण की तारीख को बही मूल्य पर किया जाता है।

vi) रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार / उधार संचालन के रूप में माना जाता है। रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर लिया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफटवेयर आदि	33.33%
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20.00%

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियॉं (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टबल इलैक्टॉनिक आस्तियां जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोडकर) को आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्त अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

8. आय पर कराधान

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आंकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर-योग्य आय में तथा एक ही समयावधि में शुरू लेखा आय/ व्यय जो एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में पलटने में सक्षम हैं, में अंतर होने के आधार पर आस्थगित कर को माना जाता है । प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर उनके कैरींग मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति से वसूल की जाने वाली राशि इसकी रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) से कम है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है।आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है । किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली योग्यता को किसी आस्ति की वहन राशि की अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना करके मापा जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को दुर्बल माना जाता है, तो दुर्बलता को मान्यता दी जानी चाहिए और इसे उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा आस्ति को वहन करने की राशि उससे अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

(i) एएस 29, प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप, निगम प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

(ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्य से कम नहीं किए जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

(iii) किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

(iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

(v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

क. सेवा कर:

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा कर	175.51	175.51

स्पष्टीकरण टिप्पणी:

I. 1 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़):

निक्षेप बीमा निगम की गतिविधियों को "सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने 01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में 20 सितंबर 2011 से पहले की अवधि के लिए ₹5,367.42 करोड़ की मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है। तथापि सीईएसटीएटी ने माना कि निगम " सामान्य बीमा व्यवसाय" की श्रेणी में आता है और निगम सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सेवा कर विभाग ने ₹ 5,367.42 करोड़ की संपूर्ण मांग को खारिज करते हुए सीईएसटीएटी के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। निगम ने 20 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला सुनवाई के लिए आना बाकी है। निगम ने "सामान्य बीमा व्यवसाय" के अंतर्गत आने वाली गतिविधि के वर्गीकरण की पुष्टि के खिलाफ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 09 सितंबर, 2015 को एक अपील भी दायर की।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 की अवधि के लिए धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के अनुसार निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। [धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

II. अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 (₹118.64 करोड़ धन विलंब हेतु ब्याज ₹56.87 करोड़):

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी लेखा परीक्षा) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर रहित" मानते हुए "अतिरिक्त कर देयता" के रूप में निगम से ₹118.64 करोड़ की मांग की है। निगम ने उक्त अवधि में प्राप्त प्रीमियम को "सेवा कर सहित" माना है। निगम ने "आपत्ति के अधीन" 8 जनवरी 2015 को ₹88.44 करोड़ तथा 30 जून 2015 को ₹30.2 करोड़ (कुल ₹118.64 करोड़) का भुगतान किया है। निगम ने आपत्ति के अधीन ₹39.46 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान किया (सेवा कर अधिकारियों ने 31 मार्च और 06 अक्टूबर को ब्याज की गणना के लिए देय तिथि के रूप में माना जिसके विरुद्ध निगम द्वारा 06 जून और 06 दिसंबर को निर्धारित किया गया ।

आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। निगम ने तदनुसार सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी आयुक्त

(अपील) के फैसले के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

विभाग ने ₹17.40 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था (डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹39.6 करोड़ के भुगतान को छोड़कर)। आयुक्त ने 16 अगस्त, 2018 को दिए गए आदेश द्वारा मांग की पुष्टि की है। निगम ने 26 नवंबर, 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की है। डीआईसीजीसी ने विरोध के तहत भुगतान किए जाने के कारण ₹158 करोड़ के लिए 1 जून 2018 के पत्र के माध्यम से धनवापसी के लिए आवेदन दायर किया। सहायक आयुक्त ने 20 मई, 2020 के आदेश के तहत धनवापसी के अनुरोध को खारिज कर दिया। निगम ने आदेश के खिलाफ 20 अक्टूबर, 2020 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। इसके बाद, ₹158 करोड़ के रिफंड के संबंध में एक व्यक्तिगत सुनवाई 06 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। परिणामस्वरूप, निगम को 18 मार्च, 2021 को एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें आयुक्त (अपील) ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और ₹158 करोड़ की धनवापसी से संबंधित मुद्दे का निर्णय निगम के पक्ष में लिया।

चूंकि निर्णय निगम के पक्ष में था, निगम ने 02 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से रिफंड के लिए सेवा कर विभाग से संपर्क किया। हालांकि, सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी में निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है । इस संबंध में एक प्रति निगम को 17 अगस्त, 2021 को प्राप्त हुई।

ख. दावे

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित से संबंधित आकस्मिक देयता	लेखांकन कोड	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
ए) विपंजीकृत बैंक	1080002	54.51	59.37(3)*
बी) लापता जमाकर्ता	1080006	149.59	149.59
सी) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	87.65	87.65
डी) एआईडी के तहत बैंक	1080003	2,619.13	-

** कोष्ठक में दिया गया आंकडा बैंकों की संख्या दर्शाता है।*

2. डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18 का संशोधन:

डीआईसीजीसी अधिनियम (1961) में संशोधन के अनुमोदन से अधिनियम में 01 सितंबर, 2021 से एक नई धारा 18ए सम्मिलित की गई है, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिनके संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है या कोई निषेध या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत आदेश या योजना बनाई जाती है और इस तरह के निर्देश, निषेध, आदेश या योजना ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करती है। तदनुसार, डीआईसीजीसी ने वर्ष के दौरान 23 बैंकों के संबंध में ₹3,457.85 करोड़ के बीमाकृत जमा के दावों को मंजूरी दी है और 22 बैंकों के संबंध में ₹3,457.43 करोड़ का भुगतान किया है।

3. समामेलन योजना (पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड) के तहत भुगतान किए गए दावे:

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई के बीमित जमा दावों के संबंध में, {पीएमसी बैंक लिमिटेड का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) लिमिटेड के साथ पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत समामेलन के अनुसार} डीआईसीजीसी ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत ₹3,791.55 करोड़ का भुगतान किया है।

4. निवेश अस्थिरता रिज़र्व:

निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2022 को ₹6,536 करोड़ आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2021 को यह ₹6,389 करोड़ था)।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई एक दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

6. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ करोड़ में)

प्रकटीकरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2022की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ	10	8955	1251	187
2) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

7. आयकर

निगम वित्तीय वर्ष 2021-22 (मूल्यांकन वर्ष 2022-23) के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा 115बीएए में प्रदान किए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करना जारी रखेगा।

8. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

1. श्री पम्मि विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 31 मई 2021 तक कार्यभार संभाल रहे थे।

2. श्री आर. सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, 25 अगस्त 2021 से 03 जनवरी 2022 तक कार्यभार संभाल रहे थे।

3. डॉ. दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 04 जनवरी 2022 से कार्यभार संभाल रहे हैं।

उपरोक्त प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का वेतन और अनुलाभ भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए जाते हैं।

9. खण्ड वार रिपोर्ट

वर्तमान में निगम प्राथमिक रूप से बैंकों को बैंक की श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रीमियम की एक समान दर पर जमा बीमा प्रदान करने में लगा हुआ है। अत: प्रबंधन की राय में, कोई विशिष्ट रिपोर्ट योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है।

10. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

60th Annual Report of the Board of Directors
Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2022

MISSION

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors

VISION

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders

CONTENTS

Page No.

Letters of Transmittal ..... i-ii

Board of Directors iii

Organisation Structure iv

Contact information of the Corporation v

Principal Officers of the Corporation vi

Abbreviations vii

2021-22 at a Glance ..... viii-ix

Highlights ..... x-xiii

1. AN OVERVIEW OF DICGC 1-7

Introduction 1

History 1

Institutional Coverage 2

Registration of Banks 2

Insurance Coverage. 2

Types of Deposits Covered 3

Insurance Premium 3

Cancellation of Registration 3

Supervision and Inspection of Insured Banks 4

Settlement of Claims 4

Recovery of Settled Claims 5

Funds, Accounts and Taxation 5

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 8-22

Deposit Insurance Scope, Coverage and Financial Stability 8

Claims Settlement Process in Select Jurisdictions 11

Annex 1: Deposit Insurance Cover and Per Capita Income in Select Countries as at end-December 2021 16

CONTENTS

Page No.

Annex 2: Deposit Insurance Coverage Ratio (ID/AD) and Key Components of Insured Deposits in Select Countries 17

Annex 3: Deposit Insurance Scope, Coverage and Treatment of E-Money in Select Jurisdictions 18

3. DIRECTORS' REPORT 23-60

Part I: Operations and Working 23

Deposit Insurance Scheme - Stylised Facts 24

Deposit Insurance Fund 25

Settlement of Deposit Insurance Claims 25

Claims Settled / Repayments Received 26

Court Cases 27

Credit Guarantee Schemes 27

Part II: Other Important Initiatives/Developments 27

Measures to Facilitate Early Settlement of Claims 27

Measures Related to Recovery Management 27

Part III: Statement of Accounts 28

Insurance Liabilities 28

Revenue during the Year 28

Accumulated Surplus 28

Investments 29

Taxation 29

Part IV: Treasury Operations 29

Part V: Organisational Matters 30

Board of Directors 30

Audit Committee of the Board 30

Internal Controls 30

Training and Skill Development 31

CONTENTS

Page No.

Staff Strength 31

The Right to Information Act, 2005 31

Use of Hindi 31

Customer Care Cell in the Corporation 31

Public Awareness 32

Role in International Association of Deposit Insurers 32

Auditors 32

APPENDIX TABLES

1 Banks under the Deposit Insurance - Progress Since Inception 33

2A Insured Banks - Category-wise 34

2B Insured Cooperative Banks - State-wise 34

3 Banks Registered / De-Registered during 2021-22 35

4 Deposit Protection Coverage: Since Inception 36

5 Bank-wise Category - Insured Deposits 37

6 Deposit Insurance Claims Settled during 2021-22 (Liquidated/Merged Banks) 38

6A Deposit Insurance Claims Settled during 2021-22 (Banks under All Inclusive Directions) 39

7 Provision held under Contingent Liability 40

7A Provision held under Contingent Liability - Banks under AID 41

8 Insurance Claims Settled and Repayment Received - All Banks Liquidated /Amalgmated / Reconstructed up to March 31, 2022 42

8A Insurance Claims Settled and Repayment Received - Banks Placed under All-inclusive Dirctions (AID) upto March 31, 2022 60

4. AUDITORS' REPORT 61-63

5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS 64-79

CONTENTS

Page No.

BOXES

2.1 Methodology of Determination of Deposit Insurance Cover 9

2.2 Fintech and Deposit Insurance 10

3.1 Salient Features of Amendments to the DICGC Act 1961 25

3.2 Initiatives for Timely Settlement of Claims during 2021-22 27

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S588 / 01.01.016/ 2022-23 June 29, 2022

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2022

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

i. the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2022 together with the Auditors' Report, and

ii. the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2022.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

M. Ramaiah

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S589/ 01.01.016 /2022-23 June 29, 2022

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2022

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

i. the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2022 together with the Auditors' Report, and

ii. the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2022.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (*i.e.,* Balance-sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz.,* the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid*. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: As above

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई- 400 008
दूरभाष : 022-23019792 Ext :8207, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008
Tel: 022-23019792 Ext: 8207. Mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

BOARD OF DIRECTORS*

CHAIRMAN	
Dr. M. D. Patra **Deputy Governor** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from March 31, 2020)
DIRECTORS	
Shri Pammi Vijaya Kumar **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from May 3, 2020 to May 31, 2021)
Shri R Subramanian **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from August 26, 2021 to January 3, 2022)
Dr. Deepak Kumar **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from January 4, 2022)
Dr. Madnesh Kumar Mishra **Joint Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from November 6, 2020 to November 10, 2021)
Smt. Vandita Kaul **Additional Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from November 11, 2021 to March 31, 2022)
Shri Pankaj Sharma **Joint Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from April 1, 2022)
Dr. Govinda Rajulu Chintala **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 13, 2020 to July 12, 2022)

* As on July 31, 2022.

ORGANISATION STRUCTURE

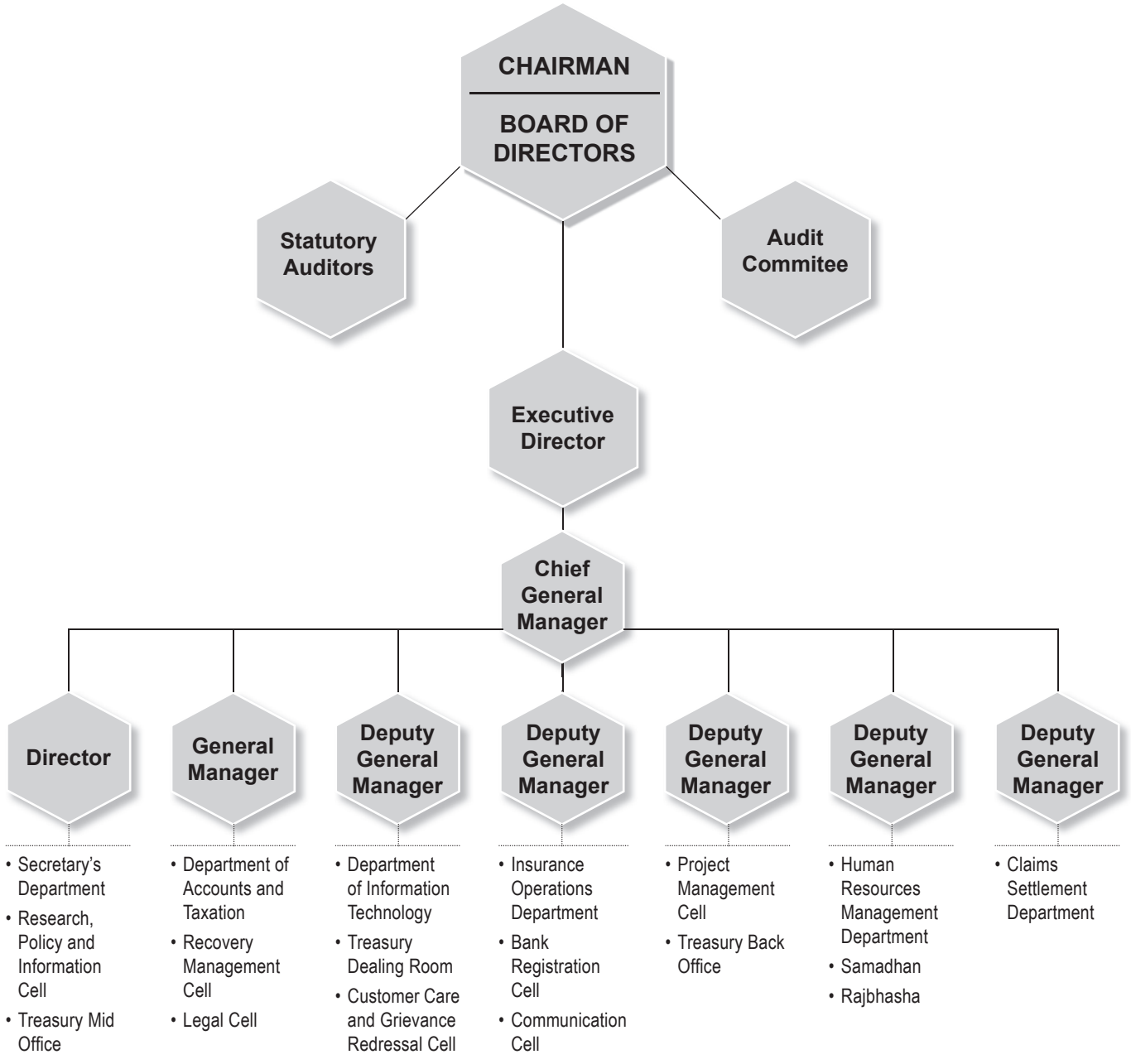

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Tel. Nos.	
022-2306 2161	Premium
022-2302 1624	Claims
022-2306 2162	RMC
022-2301 1991	RTI

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India Building, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008. INDIA

Chief General Manager	anupkumar@rbi.org.in	022-2301 9603
Director	mramaiah@rbi.org.in	022-2301 9792
General Manager	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8204
Deputy General Manager	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201
Deputy General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206
Deputy General Manager	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
Deputy General Manager	cmsamuel@rbi.org.in	022-2302 1150
Deputy General Manager	navodita@rbi.org.in	022-2302 8209

Email : dicgc@rbi.org.in

Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

Dr. Deepak Kumar

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Anup Kumar

SECRETARY & DIRECTOR

Shri M. Ramaiah

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri M. Ramaiah

GENERAL MANAGER

Shri S. Sathish Kumar

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri Mangesh Y. Sorte

Smt Pawanjeet Kaur Rishi

Smt Sangita E

Shri C. M. Samuel

Smt Navodita

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s. NBS & Co.,

Chartered Accountants

14/2, Western India House

Sir P. M. Road, Fort

Mumbai 400 001, India

* As on July 31, 2022

ABBREVIATIONS

AGM	:	Annual General Meeting
AID	:	All Inclusive Directions
APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
CA	:	Chartered Accountant
CD	:	Certificate of Deposits
CDIC		Canada Deposit Insurance Corporation
CESTAT	:	Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGS	:	Credit Guarantee Scheme
CPs	:	Core Principles
DGS	:	Deposit Guarantee Scheme
DGSD	:	Deposit Guarantee Scheme Directive
DI	:	Deposit Insurance
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DICJ	:	Deposit Insurance Corporation of Japan
DIF	:	Deposit Insurance Fund
DIS	:	Deposit Insurance System
DNB	:	De Nederlandsche Bank
DSP	:	Digital Stored Value Product
DSR	:	Data and System Requirement
ED	:	Executive Director
EU	:	European Union
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GF	:	General Fund
GoI	:	Government of India
GST	:	Goods and Services Tax
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IPAB	:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
KDIC	:	Korea Deposit Insurance Corporation
KYC	:	Know Your Customer
LABs	:	Local Area Banks
MI	:	Member Institution
NABARD	:	National Bank for Agriculture and Rural Development
NCUA	:	National Credit Union Administration
PBs	:	Payment Banks
PCI	:	Per Capita Income
PHS	:	Provisional Hold System
PMC	:	Punjab & Maharashtra Cooperative Bank Ltd.
RBI	:	Reserve Bank of India
RCS	:	Registrar of Cooperative Societies
RO	:	Regional Office
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTI	:	Right to Information
SCV	:	Single Customer View
SFBs	:	Small Finance Banks
SLGS	:	Small Loan Guarantee Scheme
TAFCUB	:	Task Force on Cooperative Urban Banks
USFB	:	Unity Small Finance Bank
UTs	:	Union Territories

2021-22 AT A GLANCE

61 Years of securing public confidence in the banking system through deposit insurance

₹19,491 crore
Premium collected

2,040
Registered Insured banks

Claim Settlement

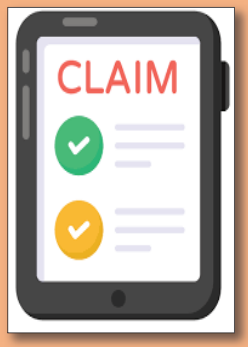

₹8,516.6 crore
Claims settled in 2021-22, as against **₹5,762 crore** Claims settled till 2020-21, since inception

₹3,457.4 crore
Interim payments made to 2,60,816 depositors of banks under All Inclusive Directions (AID)

₹3,791.6 crore
Sanctioned towards Amalgamation of PMCBL with USFB

₹1,46,842 crore
Deposit
Insurance Fund

Reserve Ratio - 1.8%

3 days

Average number of days for settlement of main claim, after submission of claim list by CA

Depositor Protection

97.9% Fully Protected Accounts

49 % Fully Protected Deposits

Amendment to DICGC Act, 1961

Interim payments to depositors of banks under AID imposed by RBI within

90 days

₹399 crore
Recoveries from settled claims

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(Amount in ₹ 100 crore)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	2004-05	2018-19	2019-20#	2020-21	2021-22
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE									
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.1	78.2	937.5	1,103.8	1,299.0	1,468.4
(ii) Insured Banks (Nos. in actual)	276	476	1,683	1,931	2,547	2,098	2,067	2,058	2,040
(iii) Assessable Deposits @	19	74.6	423.6	2,443.8	16,198.2	1,20,051	1,34,889	1,49,678	1,65,496
(iv) Insured Deposits @	4.5	46.6	317.7	1,645.3	9,913.7	33,700	36,961 (68,715)	76,213	81,104
(v) Total number of Accounts (in crore)	0.77	3.41	15.98	35.43	64.95	217.40	235.00	252.63	262.19
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in crore)	0.60	3.28	15.81	33.95	61.95	200.00	216.10 (231.00)	247.80	256.67
(vii) Claims paid since inception	-	0.01	0.03	1.8	14.9	51.2	52.0	57.6	142.78^

* Under General Fund of the Corporation.

** Consists of actuarial fund and fund surplus.

@ Data is as per new reporting format since 2009-10.

$ As at end of March from 1992-93 onwards.

^ Includes claims of banks under liquidation and banks placed under “All Inclusive Directions” by the RBI.

Data in parenthesis relates to estimates for deposit insurance cover of ₹5 lakh.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II : DEPOSIT INSURANCE

(Amount in ₹ 100 crore)

PARTICULARS	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
REVENUE STATEMENTS							
Premium Income	194.91	175.17	132.34	120.43	111.28	101.22	91.99
Investment Income	104.96	96.50	85.32	72.45	64.18	56.19	47.83
Net Claims	81.21	9.93	0.54	(1.52)	(1.83)	(0.27)	(0.05)
Revenue Surplus Before Tax	205.66	265.55	154.86	191.47	184.57	157.20	146.73
Revenue Surplus After Tax	152.39	193.32	103.02	119.31	115.07	97.15	95.96
BALANCE SHEET							
Fund Balance (Actuarial)	139.74	122.75	120.87	57.56	53.67	55.98	54.12
Fund Surplus	1,328.68	1,176.29	982.97	879.95	760.64	645.57	548.42
Outstanding Liability for Claims	Nil	Nil	Nil	Nil	0.04	2.22	2.52
PERFORMANCE METRICS							
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement[@]	3	7	11	11	12	23	28
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)[@ $]	184	500	508	1,425	2,075*	634	269
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.14	0.20	0.29	0.30	0.16	0.27	0.18
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.06	0.10	0.10	0.12	0.08	0.17	0.11

[@] Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

* Sharp increase was due to a bank deregistered in 2003, whose claim was settled in 2017.

$ The date of court order/appellate authority (MoF) order is considered for computation of number of days from 2019-20 onwards. The delay in receipt of claim is mainly due to appeal before Mof/Legal cases.

Note : Data for amalgamation/merger cases (PMC Bank Ltd.) has not been incorporated for arriving at figures under Sl. No. 1 & Sl. No. 2 under performance metrics for 2021-22.

HIGHLIGHTS - III

Chart I: Number of Insured and Fully Protected Accounts
(As on March 31, Each Year)

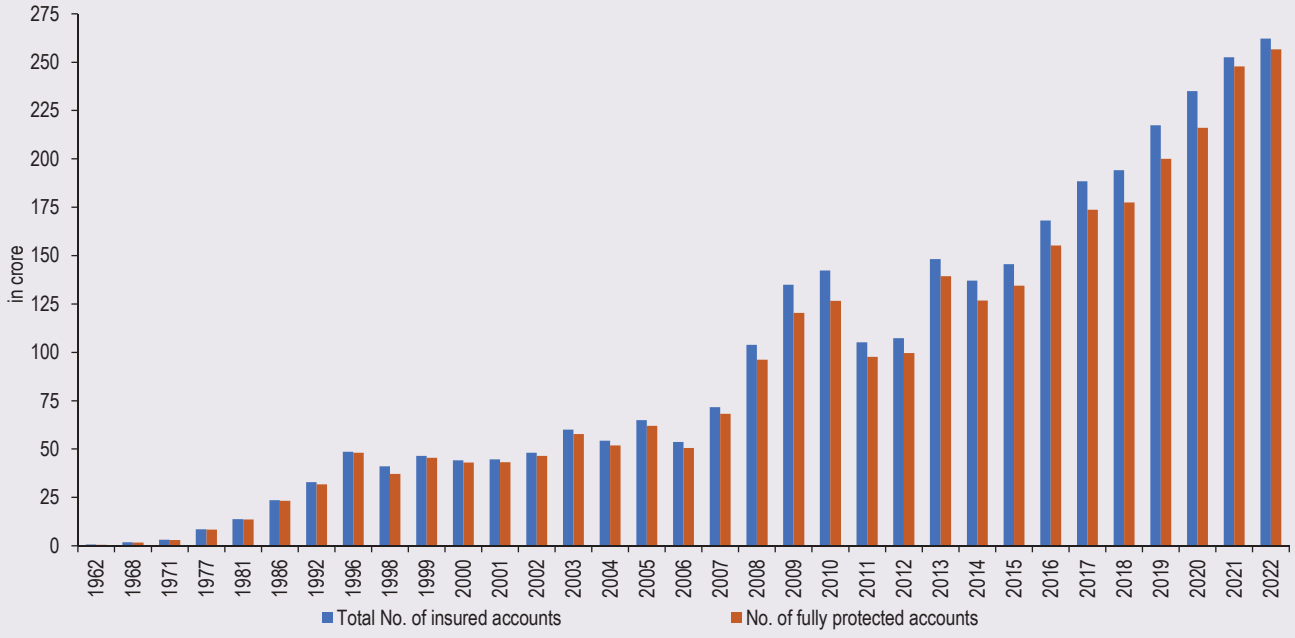

Note: Data since 2010-11 is as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - IV

Chart II: Amount of Assessable/Insured Deposits
(As on March 31, Each Year)

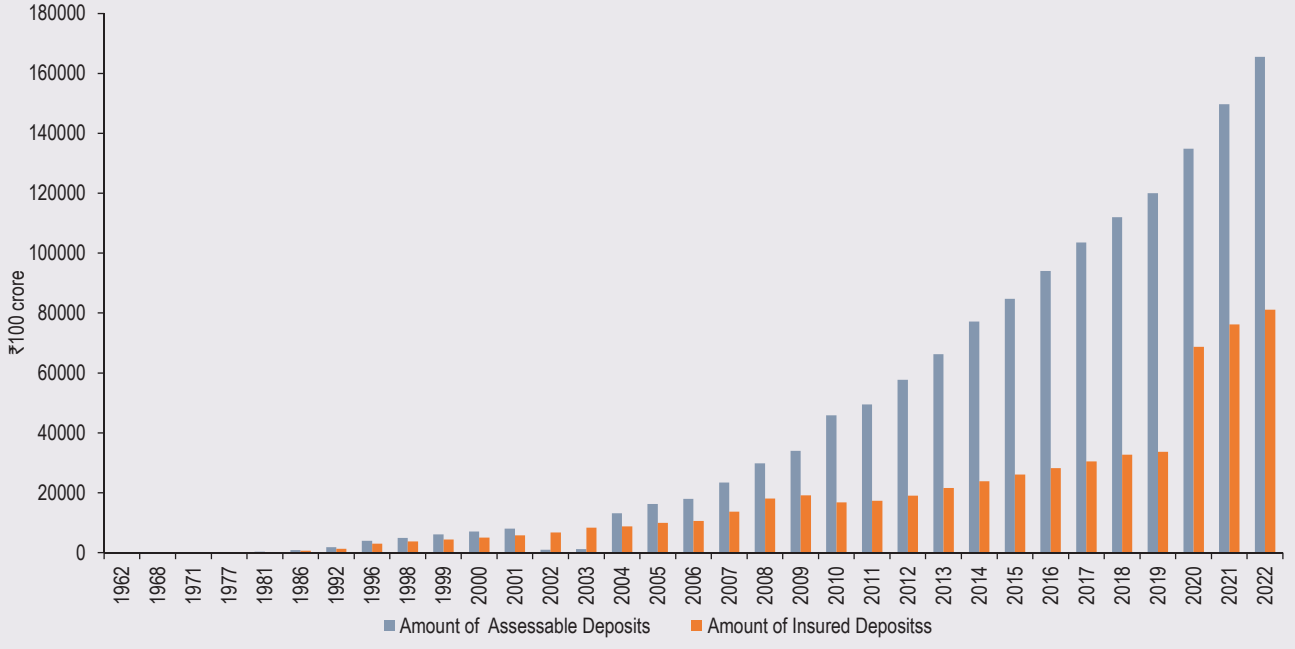

Note: Data since 2009-10 is as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - V

CHART III: EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS (MARCH 31, 2022)

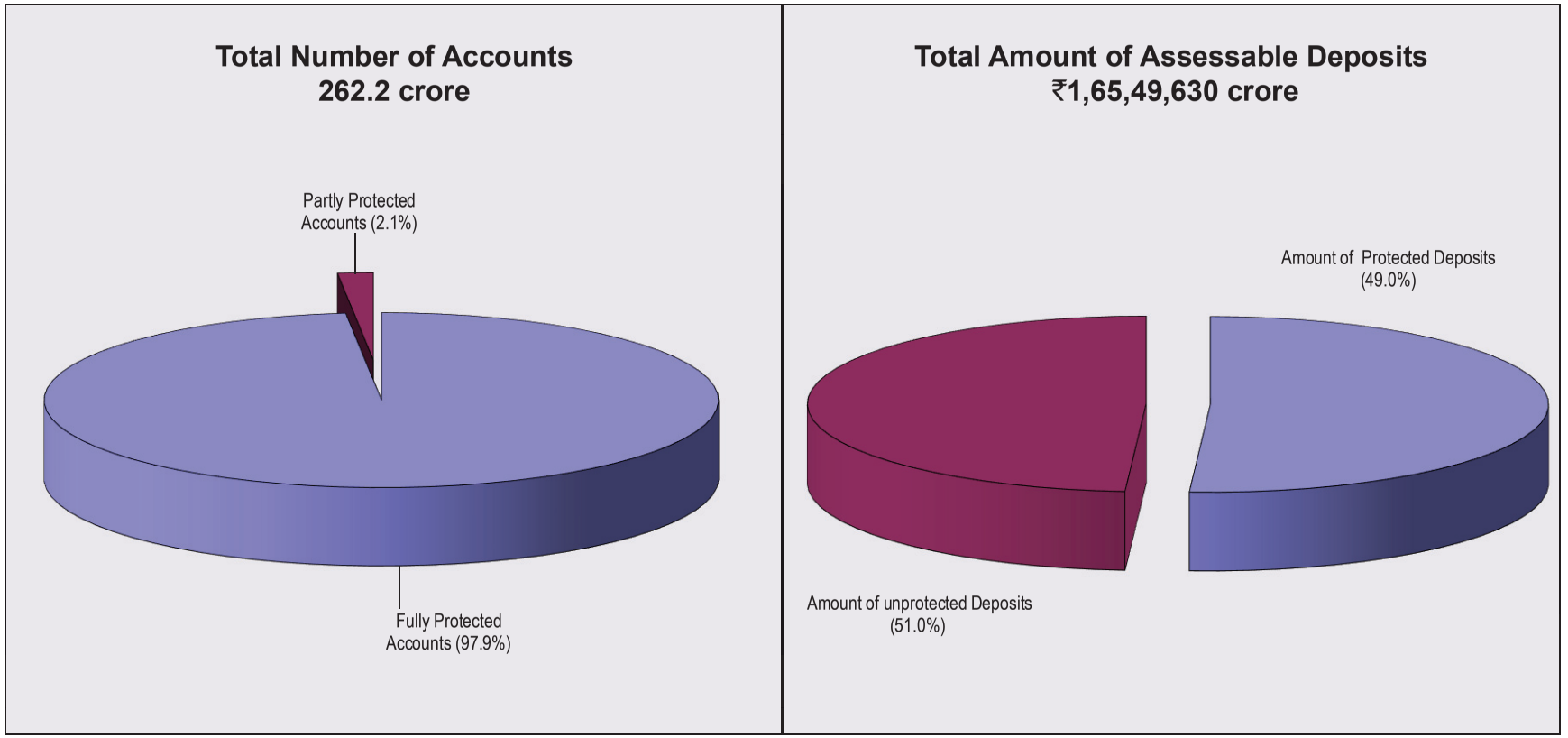

Notes: 1. Data as per new reporting format.
2. Figures relate to ₹5 lakh deposit insurance cover at ₹81,10,431 crore.

1. AN OVERVIEW OF DICGC

1. INTRODUCTION

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee schemes administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

2. HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" [see para 3 (ii)] as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, *viz.* the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme.

With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

3. INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All commercial banks including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks and Payment Banks are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible co-operative banks as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories (UTs), which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/UTs to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and Ladakh do not have any insured/registered Co-operative Bank.

4. REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) In terms of section 13A of DICGC Act 1961, the Corporation shall register a primary credit society becoming a primary co-operative bank after such commencement within three months of its having made an application for a licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it. In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.,* the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, *etc.*

5. INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits

held by him in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit
February 4, 2020	₹5,00,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5,000/-
January 1, 1962	₹1,500/-

The cover increased to ₹5 lakh is applicable for those banks whose licenses are cancelled/de-registered with effect from February 4, 2020.

6. TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, *etc.* except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/ State Governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of the Reserve Bank.

7. INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment. As per the amendment to Section 15 (1) of the DICGC Act made in August 2021, DICGC may raise the limit of 15 paise per ₹100 of deposits on insurance premium with the prior approval of the Reserve Bank, considering its financial position and the interests of the banking sector in the country as a whole.

PREMIUM RATES PER DEPOSIT OF ₹100

Date from	Premium (in ₹)
April 1, 2020	0.12
April 1, 2005	0.10
April 1, 2004	0.08
July 1, 1993	0.05
October 1, 1971	0.04
January 1, 1962	0.05

8. CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration, if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled, if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank or it is wound up either voluntarily or compulsorily or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949 or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority

where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

9. SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

In terms of Section 35 of DICGC Act 1961, the Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

10. SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (*i.e.*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, the Corporation pays to the depositors upto the deposit insurance limit in force at that time in consonance with the terms and conditions of the merger scheme. In such cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart 1).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, *etc.* sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, *etc.* comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount by crediting the account opened with the Agency Bank, in the name of the Liquidator of the liquidated bank/ Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are not sanctioned

till such time as the Liquidator/ Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(vii) Further, as per Section 18 A of the amendment to the DICGC Act made in August 2021, Corporation is liable to make payment to depositors, up to the deposit insurance limit, of the banks placed under All Inclusive Directions (AID) by RBI. The payment is to be completed within 90 days from the date of imposition of AID by the Reserve Bank. The insured bank has to submit claims within 45 days of imposition of AID, and the Corporation has to get genuineness and authenticity of the claims verified within 30 days and pay the depositors who have submitted willingness within the next 15 days. In case the Reserve Bank finds it expedient to bring a scheme of amalgamation/ compromise or arrangement/ reconstruction, the liability of the Corporation will get extended by a further period of 90 days. The procedure relating to claims payment for banks under AID are as per Regulation 21A.

11. RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred. As per Section 21 (3) of the amendment to DICGC Act made in August 2021, the DICGC, with the approval of its Board, may defer or vary the repayment period for the insured bank to discharge its liability to the DICGC and based on Section 21 (4) charge a penal interest of 2 per cent over the repo rate in case of delay in repayment of settled claims. The time period for recovery of claims settled for banks under AID are as per Regulation 22 A.

12. FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz.,* (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹50 crore which is entirely subscribed by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter- Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of the Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to the Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows accrual system of accounting while it is on receipt basis in the case of repayment of settled claims.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation was also subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax w.e.f. July 1, 2017.

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

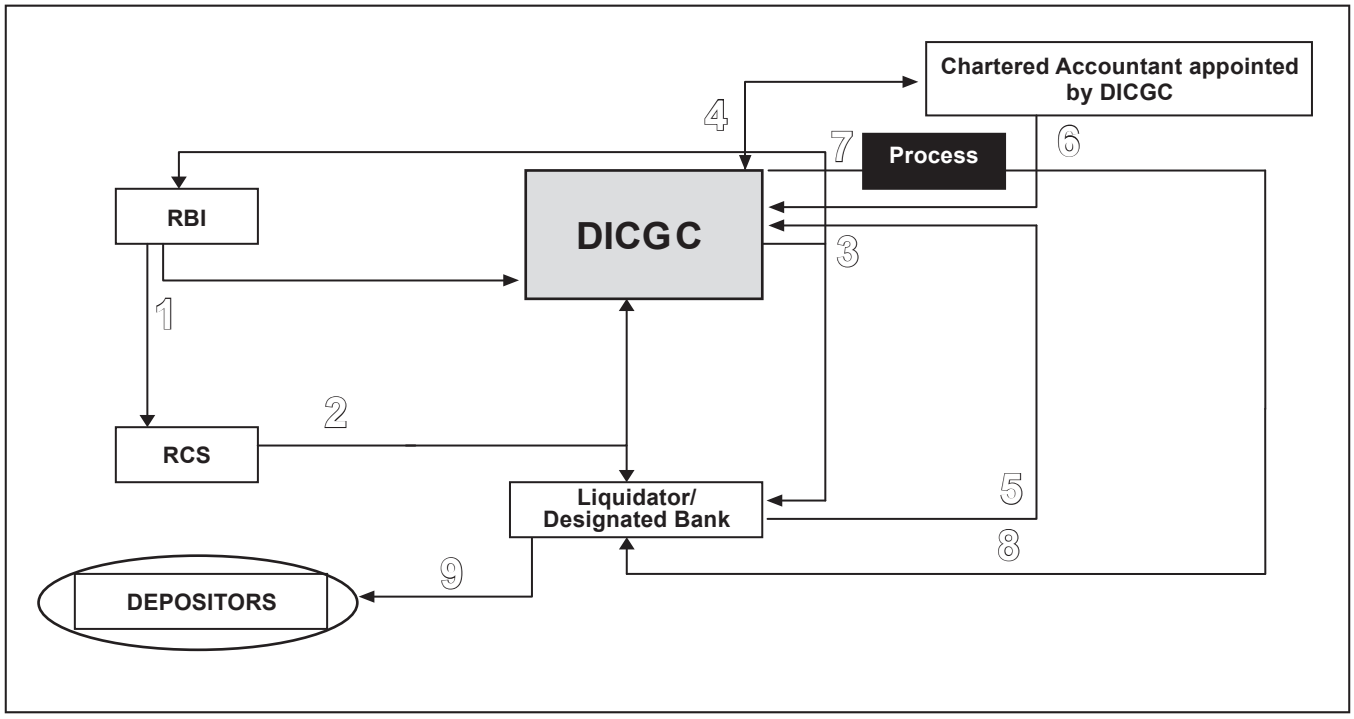

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC. The DICGC also writes to the concerned RCS for early appointment of liquidator.
2. The RCS appoints a liquidator for the liquidated bank with an endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.
4. The DICGC has a panel of CA firms for verification of claim list including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank. The DICGC conducts a familiarisation session for CAs for onsite verification of claim list and books of records of the bank.
5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/KYC non-compliant) and submits the list to the DICGC in softcopy form for payment to the depositors.
6. The CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental in preparation of the claim list.
7. The Part-A of main claim is processed, and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with, the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
8. The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of the concerned liquidator, maintained with agency bank.
9. The designated bank releases the payment to the depositors through National Electronic Funds Transfer/Demand Draft.

Chart 2: Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions (Under provisions of Banking Regulation Act, 1949)

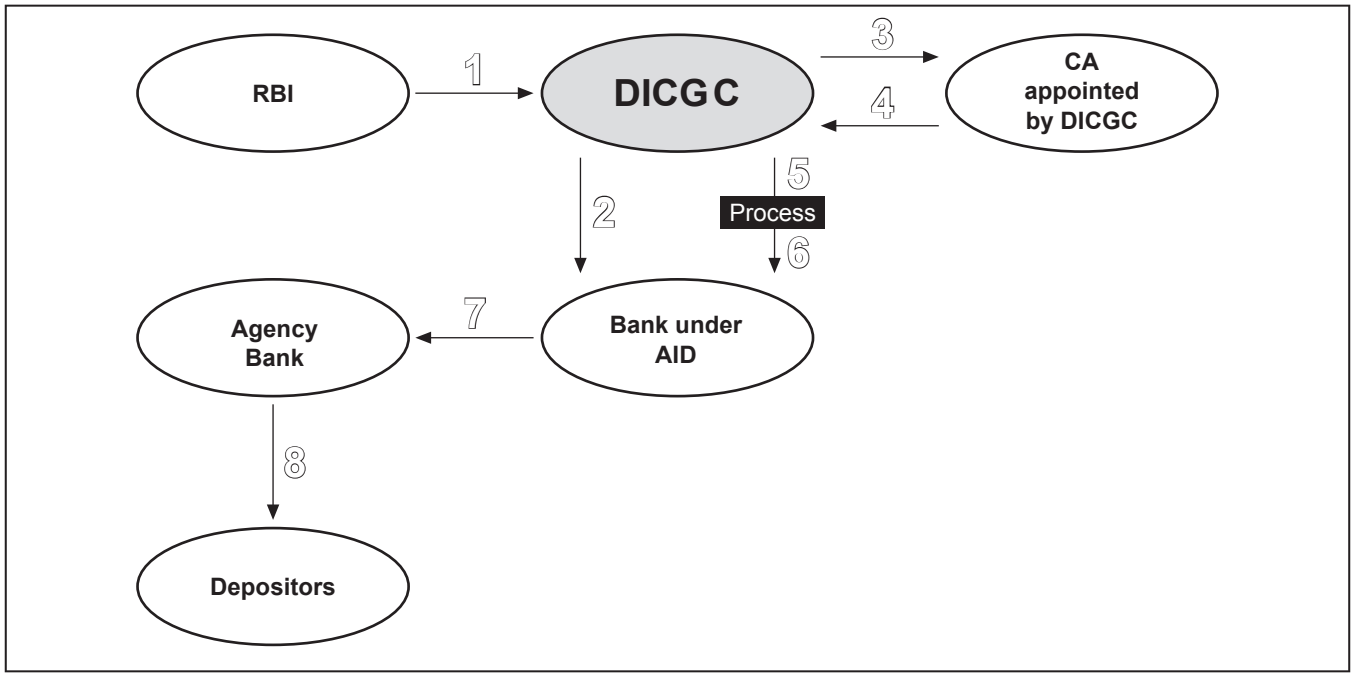

1. The Reserve Bank of India imposes AID under Section 35A of Banking Regulation Act, 1949 and advises concerned bank under AID of the restrictions imposed on deposit/withdrawals with an endorsement to the DICGC, where the bank is registered for deposit insurance.
2. The DICGC issues Guidelines to the concerned bank placed under AID for preparation of comprehensive list showing the outstanding deposits of each depositor (in same capacity and in same right after setting off all loans/advances) as on the date on which the direction was imposed. As mandated under the DICGC (Amendment) Act, 2021, concerned banks are required to furnish to the DICGC, the list of such depositors (who have expressed their willingness to receive the eligible deposit amount) within 45 days of date of imposition of AID.
3. The DICGC has a panel of CA firms for verification/certification of claims of liquidated banks and banks under AID including compliance with KYC and books of account/core banking system of the concerned bank. The CA firm is advised to do on-site verification of claim as per the Guidelines issued by the DICGC and Act provisions.
4. The CAs furnish their observations and findings on the claim list and any such record of the bank incidental to settlement of deposit insurance claim.
5. On receipt of CA report, the claim is processed by the DICGC and a to-be-paid list is arrived at for payment of eligible claims to depositors who have expressed their willingness.
6. The DICGC then shares the to-be-paid list with the concerned bank with an advice to furnish details of alternate account of depositors for disbursement of claim through Agency Bank.
7. The bank then shares the duly filled in list to the Agency bank under advice to the DICGC.
8. The claims are then disbursed by the Agency Bank to the depositors as per the to-be-paid list and mandate furnished by the bank under AID.

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Deposit Insurance System is an important financial safety net which plays a significant role in maintaining the confidence of the public in the banking system and in promoting financial stability. The scope and coverage of deposit insurance and reimbursing the insured funds of depositors' promptly have an important bearing on the efficacy of the deposit insurance system. While the scope and coverage is well defined in the statutes/regulations of the deposit insurance agencies, the innovations of e-money and introduction of digital stored value products have posed new challenges regarding the adequacy of coverage of these products under deposit insurance. The prompt and timely reimbursement to depositors of distressed banks is an important public policy objective of an effective deposit insurance system. Two topics *viz*. 'deposit insurance scope, coverage and their implications towards financial stability' and 'claims settlement process in select jurisdictions' are presented under management discussion and analysis.

I. Deposit Insurance Scope, Coverage and Financial Stability

Deposit insurance system has generally two complementary objectives within the overall framework of financial safety net. The first is to contribute to the stability of the financial system as an adjunct to the central bank's lender of last resort function. The second is to provide a minimum level of protection to the depositors in the event of failure of a bank. The nature of the deposit contract gives an incentive for bank runs to develop, even if a bank is solvent because of the "first come, first serve" basis on which depositors' demand for liquidity is met. Until the bank declares closure, it must meet deposit withdrawals on demand. Once its liquid assets and capacity to borrow liquidity are exhausted, the bank is likely to be insolvent owing to the need to dispose of liquid assets at distress prices. The bank heads towards closure after which the depositors may or may not be repaid in full. Deposit insurance removes the incentive to be the first in the queue and assures that depositor's funds will be protected from risks and uncertainties of the normal liquidation process. Thus, deposit insurance stabilises the situation by removing the incentives for bank-runs to develop[1].

As per IADI Core Principles (No.8), policy makers should define clearly the level and scope of deposit coverage. Coverage should be limited, credible and cover the large majority of depositors but leave a substantial amount of deposits exposed to market discipline. Deposit Insurance System's (DIS) coverage should be consistent with its public policy objectives and related design features. An examination of deposit insurance (DI) cover and per capita income (PCI) among 28 jurisdictions covering advanced economies and emerging market economies suggest that the median DI/PCI cover in 2021 was 3.0. The DI/PCI ratio in India at 2.9 is closer to median level of 28 countries (Annex 1). In the literature there is no laid down procedure for the fixation of deposit insurance cover. However, as a rule of thumb it is considered around two times the PCI (Box 2.1).

The scope and coverage of deposit insurance in select jurisdictions as well as treatment of the emerging e-money and digital stored value products (DSPs) by the deposit insurance agencies suggest that while the scope of deposit insurance coverage is generally uniform in terms of banks and credit cooperatives, the practice followed in South Korea

1. David S. Hoelscher, Michael Taylor, and Ulrich H. Klueh (2006), The design and implementation of deposit insurance systems. IMF Occasional Paper No.251.

Box 2.1: Methodology of Determination of Deposit Insurance Cover

The coverage should be set at levels that are consistent with the deposit insurance system's objectives and that can be supported by available funding. Setting an appropriate and credible limit to deposit insurance coverage is central design feature of an explicit deposit insurance system. A set of mechanisms had been tried in the past to identify the appropriate coverage limit. An early approach was to examine the statistical distribution of coverage across select countries. Researchers noted that, on average, coverage levels amounted to two times per capita GDP, although it is not a policy recommendation. An effort to introduce a more robust policy approach was the suggestion of "80/20" rule: fully cover 80 percent of the number of depositors but only 20-30 percent of the value of deposits. The analytical backing for the measure was limited but the emphasis was on the need to balance depositor protection and market discipline[2]. The adequacy of coverage is primarily a function of the proportion of covered deposits and depositors rather than of the absolute coverage level.

As per IADI survey 2020, 70 per cent of deposit insurers have a consultative process involving the Central Bank, Ministry of Finance or other regulatory bodies and Parliament to set the scope and coverage level. Thirteen per cent mention that they involve stakeholders in the consultation process. For 7.5 per cent of respondents, the process itself is initiated by a different organisation *viz*. the Central Bank, the Ministry of Finance or the Parliament. Only 4 per cent report doing the process by themselves. Most respondents employ a combination of tools to determine the coverage level. Thirty-two per cent report using statistical, discretionary methods or expert opinion while 36 per cent use a combination of these two approaches. Most of the respondents in the European Union indicated that the level is set by the European Union Directive. With regards to the scope of deposit insurance, 62 per cent indicated that they rely on inputs from other members of the financial safety net[3]. Countries often issue guarantees on top of pre-announced, statutory limits particularly during banking crises[4]. Although a high coverage level reduces the incentives for depositors to run, adequate controls are needed to ensure a proper balance between financial stability and market discipline. National authorities that have done so should consider adopting compensatory measures - such as more intensive supervision, the introduction of risk based premium, exclusion of certain categories of deposits from coverage, and timely intervention and resolution - that are commensurate to the level of coverage in order to mitigate the risk of moral hazard[5].

Unlimited deposit coverage whether *via* the complete protection of eligible deposits in some institutions (like the provincially chartered Canadian Credit Unions) or the existence of guarantee arrangements protecting the institution itself (like German cooperative and savings banks, some Swiss cantonal banks) – could lead to greater risk taking and adversely affect the DIS's effectiveness, and should therefore be avoided[6].

As per Section 16 (1) of DICGC Act, 1961 prior approval of the Government of India is required for the hike in deposit insurance cover in India. The factors which were considered for the hike in cover in February 2020, *inter alia*, included the median deposit insurance cover with respect to per capita GDP covering advanced as well as emerging market economies, amount of deposit insurance fund and reserve ratio, average inflation witnessed since the previous revision in cover in May 1993 and the overall financial position of the banking system. The procedure adopted in India is broadly in tandem with the practice followed in other jurisdictions. As per the latest information the insured deposits as per cent of total assessable deposits in India at around 50 per cent is broadly tracking median ratio of 55 per cent in case of 25 jurisdictions (Annex 2).

2. IAD (2013), Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage, March.
3. IADI (2021), Deposit Insurance Coverage Level and Scope, Research Paper, December.
4. Asli Demirgüç-Kunt, Edward Kane, and Luc Laeven (2014), Deposit Insurance Data Base, IMF Working Paper No.118.
5. FSB (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems, Peer Review Report, February 8.
6. *Ibid* footnote 5

also include securities companies and insurance companies under deposit insurance. The financial products like checking accounts, saving accounts, money market deposit accounts, certificates of deposit, cashier's checks, money orders, and instalment deposits have been generally covered under deposit insurance in jurisdictions. In case of South Korea and Canada, retirement pension accounts and foreign currency accounts are also considered for deposit insurance cover. In the European Union, some deposits, like those linked to life events commonly called temporary high balances are protected above EUR 100,000 for a limited period of time. The efforts are underway to specify treatment of e-money and DSPs under the ambit of insured deposit insurance although prepaid cards are generally insured having linkage with bank accounts. The details are provided in Annex 3.

Fintech and Deposit Insurance

The introduction of Fintech innovations creates challenges for deposit insurers and more broadly financial safety net. Advances in digital payments, especially e-money are posing immediate challenges that are important to be addressed by deposit insurers (Box 2.2).

Box 2.2: Fintech and Deposit Insurance

The Financial Stability Board has defined Fintech as "technologically enabled financial innovation that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on financial markets and institutions and the provision of financial services". These new business models blur the lines between financial product and services offered within and outside the traditional financial system and have the potential to create uncertainty as to whether a product is guaranteed by the DIS[7].

The Consultative Group to Assist the Poor has identified three general approaches that encompass the decision taken regarding protection of DSPs by DIS[8]. These approaches are (i) *Direct approach*: DSPs are directly insured by a deposit insurer and their providers must become members of the deposit insurance system; (ii) *Exclusion approach*: DSPs are explicitly excluded from deposit insurance coverage; and (iii) *Pass-through approach*: Deposit insurance coverage "passes through" a custodial account at a depository institution that is a deposit insurance member and holds customer funds from DSPs, to the individual customer of the digital product provider, although this provider is not a deposit insurance member. It has been adopted in countries such as Kenya and Nigeria[9]. As per the European Union Directive on Deposit Guarantee Scheme in the EU, electronic money and funds received in exchange for electronic money should not be treated as a deposit[10]. Further, Financial Services Compensation Scheme also does not provide protection to electronic money account holders in the United Kingdom.

Deposit insurance for Fintech products is still evolving and there is no uniformity and clarity *per se*. However, deposit insurance for Fintech products must be determined by taking country specifics into account. The deposit insurers should collaborate with other stakeholders to better understand Fintech platforms, their products, and business strategies. The deposit insurers will also need to increase public awareness initiatives and work towards improving consumer financial literacy in order to help consumers obviate information asymmetry and better understand the difference between an uninsured e-money and a DIS insured product.

7. Rachel Yousseff, Rose Kushmeider and Diane Ellis (2021), Introductory Brief: Challenges for Deposit Insurers, Fintech Brief No.1.
8. Juan Carlos Izaguirre, Timothy Lyman, Claire McGuire and Dave Grace (2016), Deposit Insurance and Digital Financial Inclusion, CGAP Brief, October.
9. IADI (2020), Deposit Insurance and Financial Inclusion: Current Trends in Insuring Digital Stored Products, March.
10. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes.

II. Claims Settlement Process in Select Jurisdictions

The Core principle 15 of IADI on 'reimbursing depositors' prescribes that 'the deposit insurance system should reimburse promptly, depositors' insured funds in order to contribute to financial stability. There should be a clear and unequivocal trigger for insured depositor reimbursement'. The Essential Criteria under this CP, *inter alia*, specifies a set of conditions for effective reimbursement process such as 'the deposit insurer is able to reimburse most insured depositors within seven working days. If the deposit insurer cannot currently meet this target, the deposit insurer has a credible plan in place to do so'. Prompt and timely disbursement of claims enhances the credibility of the deposit insurance system. The scope and level of deposit insurance coverage must be clearly defined in law and well understood by the public. Public must be aware of the institutions, products, and types of accounts covered; the amount of coverage; and adjustments that may be made to that coverage. A well-designed deposit insurance system will provide the information that is necessary for an orderly and fair claims process[11]. Accordingly, the claims settlement process in select jurisdictions is presented in this Section.

Canada

The Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) automatically insures the eligible deposits of member institutions. In 2021, CDIC introduced the Data and System Requirements (DSR), which by-law, requires member institutions (MI) to implement a method of identifying, capturing, organising and producing deposit liability data. The objective is to ensure that in the event of failure, the MI has specific data readily available and organized properly to allow CDIC to undertake a pay-out. The DRS technical specification allows for uniformity of the data extracts received across the membership. Every year CDIC requests MIs to submit deposit data for the purpose of ensuring compliance with the specifications. The data requested from the institution for compliance testing is masked, *i.e*., all personal and private depositor information is de-identified. For institutions which are riskier, a more detailed data assessment work is carried out wherein an unmasked deposit data extract with other information such as the financial records are obtained. This assessment looks into data quality and other challenges in case of pay-out.

A preparatory examination is undertaken when an institution's probability of failure is high. The objective of the examination is to obtain an up-to date and comprehensive understanding of the member's deposit liabilities and depositors profile, estimate CDIC's insurance liability and develop pay-out strategy that can be communicated to the institution's depositors, if required in the event of failure.

Japan

As per the Deposit Insurance Act of Japan the trigger events of the deposit insurance system are of two types: (i) suspension of the reimbursement of deposits by the financial institution; and (ii) cancellation of a financial institution's license. In the first type, either the insurance pay-out is made or financial assistance (preferred) is provided to the institution as decided by the policy board within one month from the occurrence. In the second type, insurance pay-out method is adopted. Provisional payments up to 600,000 yen can be made by DICJ in either case. In case of pay-out, two methods are adopted *viz*. direct payment to depositors or deposit placing method,

11. FDIC Quarterly (2010), A Guide to Processing Deposit Insurance Claims: A Cross-Country Perspective, Vol 4, No.2

wherein deposits are transferred to another insured financial institution. The measures for smooth reimbursement of deposits in the event of financial institution failure include maintenance of data of depositors for the name-based aggregation of depositors for prompt submission to DICJ. Financial institutions are required to develop systems to promptly reflect the feedback of the results of the name-based aggregation database processing from the DICJ, systems for preparing data on changes in deposits and 'procedures and manuals' for failure resolution. In the event of failure, this data is submitted and DICJ uses its own system to check whether the database conforms to the prescribed format.

Mexico

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) serves as Mexico's deposit insurer. It provides deposit coverage and assists troubled banking institutions. The changes in regulations based on financial reforms undertaken in 2014 enabled IPAB to intervene in failing banks more easily to protect the eligible depositors. In effect, before problems arise, the IPAB has the ability to conduct *in situ* inspection visits and impose sanctions on troubled banks. IPAB has the authority to design and implement remediation processes for insolvent banks, as well as determine and approve transfers of assets and liabilities to special vehicles[12].

The process of payout is executed by IPAB, consequent to revocation of bank's license, through an agent bank after ensuring the quality of deposit records. The quality of deposit records is ensured by IAPB in the claim settlement process. There is an established procedure for dissemination of information to depositors through bank's branches and call centers. The depositor is responsible for registration and authentication of details through an electronic web platform managed by IPAB. The authentication is carried out using data provided by the bank in resolution.

Netherlands

The Deposit Guarantee Scheme protects the money held in Dutch bank accounts up to EUR 100,000 and applies per person, per bank[13]. De Nederlandsche Bank (DNB) manages the Dutch Deposit Guarantee on behalf of the Government[14]. The single customer view (SCV) policy rule ensures timely pay-outs by the DGS and supports orderly resolution in case of failure of a bank. The SCV information, which is a standardised list of all deposits held by each depositor is presented according to a data model prescribed by DNB and enables deposits pay out in time[15]. A bank must provide DNB with the SCV file within three working days of (i) DNB having decided to trigger the DGS as provided for in statute; and (ii) DNB having made a specific request to that effect.

A bank creates the SCV for all its depositors (regardless of whether they are eligible for the DGS) and submits them to DNB. DNB periodically assesses the quality of the SCV file, including its timely submission. If a bank goes bankrupt, DNB publishes information about the deposit guarantee on its website and in national media. Thereafter, a letter is sent to the depositors quickly to ensure that everyone gets the information for claim reimbursement. Within seven business days, a website is launched wherein the depositors can

12. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644609/Comunicado-Moodys_30-Abril-2021.pdf
13. https://www.dnb.nl/en/sector-information/deposit-guarantee-scheme/deposit-guarantee-scheme/
14. https://www.dnb.nl/en/public-register/dutch-deposit-guarantee-scheme-register/?p=1&l=10&rc=V0ZUREc
15. https://www.dnb.nl/media/iwgfuivt/policy-rules-for-the-dgs-for-banks-october-2021-third-version.pdf

log in using the Digital ID issued by the Dutch government. The depositors can view the entire amount in the failed bank in the portal and the same can be transferred at one go after entering the alternate account number[16]. As a prudent practice every bank is obliged to keep customers informed about the protection provided by the Dutch Deposit Guarantee on an annual basis.

United States

A bank failure is the closing of a bank by a federal or state banking regulatory agency, generally resulting from a bank's inability to meet its obligations to depositors and others. In an unlikely event of a bank failure, the FDIC acts quickly to ensure that depositors get prompt access to their insured deposits. The FDIC acts in two capacities following a bank failure: as the "Insurer" of the bank's deposits, the FDIC pays deposit insurance to the depositors up to the insurance limit; and as the "Receiver" of the failed bank, the FDIC assumes the task of collecting and selling the assets of the failed bank and settling its debts, including claims for deposits in excess of the insured limit. During the resolution planning and failure of an insured financial institution, it obtains information about the institution and its assets and reimburses individuals who have insured deposits with the institution. There is a small window of time available to analyse and process claims from these depositors and creditors, and determine whether these individuals or entities are entitled to receive pay-outs from FDIC, acting in its receivership capacity[17].

The processes involved in insurance determination and pay-outs use IT systems as described below:

(i) Claims Administration System (CAS): This is meant for loading datasets containing depositor information as part of an overall transfer of depositor information files to FDIC during financial institution closing process;

(ii) Non-deposit Claims (NDC): FDIC is also responsible for processing NDC during the financial institution closing process. NDCs may come from a range of businesses, government agencies, or other entities. NDC supports the collection of creditor claims data which was submitted to FDIC in its capacity as the receiver.

(iii) Dividend Processing System (DPS): The purpose of DPS is to calculate and issue the appropriate payments to proven claimants, as well as reconciling those payments with the FDIC's New Financial Environment (NFE) General Ledger.

(iv) Provisional Hold System (PHS) and Associated Statistical Analysis System (SAS) Applications: FDIC uses the PHS and SAS applications to verify and validate the data format and relationship of the Deposit, Hold, and Sweep files sent to the FDIC, and to validate the accuracy of provisional holds placed by the financial institution before and after it closes. When an institution fails, FDIC facilitates the transfer of the institution's deposits to an acquiring institution or pays insured depositors directly. Together with CAS and DPS, the FDIC

16. https://www.dnb.nl/en/reliable-financial-sector/dutch-deposit-guarantee/faq-dutch-deposit-guarantee/
17. FDIC (2021), Privacy Impact Assessment for Insurance Determinations and Payout, August

uses PHS to ensure that the FDIC can fulfil its legal obligation to resolve failed insured institutions and provide liquidity to depositors in a timely matter, usually within 48 business hours.

(v) Receivership Request Management Portal (RRMP): FDIC uses RRMP to track and manage requests, inquiries, and updates submitted by depositors, non-deposit claimants, and deposit brokers of failed financial institution.

India

In India, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has a mandate of reimbursing the depositors of de-registered banks wherein the liquidator is appointed by the regulator in the case of commercial banks and registrar of cooperative societies/central registrar of cooperative societies in the case of urban co-operative banks. The liquidator is required to submit the list of depositors "in same capacity and in same right" to DICGC for reimbursement of claims up to the deposit insurance limit of ₹5,00,000 within a stipulated time. DICGC is required to pay to the eligible depositors within two months upon the receipt of list of depositors from the liquidator. The Corporation also plays a pivotal role in the resolution process where financial support is extended to depositors of insured banks up to deposit insurance limit of ₹5,00,000 after a scheme of merger/ amalgamation/ reconstruction is sanctioned by the competent authority.

Further, as per DICGC (Amendment) Act, 2021 which came into effect from September 1, 2021, DICGC is also liable to pay, the deposit insurance cover of up to ₹5,00,000, to the depositors of banks placed under 'All Inclusive Directions (AID)' by the Reserve Bank that *inter alia* places restrictions on withdrawal of deposits, within 90 days of imposition such direction. In order to facilitate submission of willingness by the depositors, a dedicated portal is in place. The depositor's payout is generally done through an agency bank. The depositors of banks placed under AID are informed regarding receipt of claims and settlement of claims through electronic messages. (Please see overview Chapter of this Report for detailed claims settlement process in India).

Conclusion

An examination of deposit insurance cover in case of 28 jurisdictions suggest that the median deposit insurance cover with respect to per capita income is 3.0 which is well above the rule of thumb of two times of per capita income. In the case of India the ratio at 2.9 also is well above the thumb rule of 2 and is also in the vicinity of the median ratio of 28 countries. The deposit insurance cover offered is broadly uniform across jurisdictions barring few jurisdictions such as Germany where multiple deposit insurance agencies operate provide voluntary deposit insurance cover over and above the statutory deposit insurance cover. In Canada the deposit insurance cover provided by provincially chartered credit unions in some provinces is different from the deposit insurance cover offered by the CDIC. The coverage of institutions is somewhat unique in the case of South Korea where the financial products offered by banks, insurance traders and brokers, insurance companies, merchant banks, and mutual savings banks are also covered under deposit insurance.

E-money or digital stored value products are largely not covered under the ambit of deposit insurance, although issuance of e-money with linkage to bank accounts ensures deposit protection in some jurisdictions. Across jurisdictions, the efforts are underway to clearly define the e-money and digital stored value products under the scope

of deposit insurance cover. Globally DI will require collaboration with other stakeholders to better understand Fintech platforms, their products and business strategies before deposit insurance can be extended. Deposit Insurers will also need to increase public awareness initiatives in this direction to obviate information asymmetry on deposit protection. Best practices in expeditious claims settlement process adopted by select jurisdictions suggest *inter alia*, preparatory examination in case there is high chance of a bank failure, building up of robust data base in advance for prompt repayment, and IT enabled customer interface for depositors information on claim settlement.

ANNEX 1: DEPOSIT INSURANCE COVER AND PER CAPITA INCOME IN SELECT COUNTRIES AS AT END-DECEMBER 2021

Sr. No.	Country	DI Cover (USD)	Per Capita Income (PCI)	DI Cover / PCI	Levy of Premium
1	Singapore	56,732	66,263	0.86	Differential
2	Vietnam	3,239	3,694	0.89	Flat
3	South Korea	46,041	35,196	1.31	Differential
4	Canada	78,555	52,791	1.49	Both
5	Russia	18,933	11,654	1.62	Differential
6	Turkey	20,165	9,327	2.16	Differential
7	Sweden	1,27,467	58,639	2.17	Differential
8	Japan	96,862	40,704	2.38	Flat
9	Germany	1,22,160	50,788	2.41	Differential
10	United Kingdom	1,16,215	46,200	2.52	Differential
11	France	1,22,160	45,028	2.71	Differential
12	Norway	2,32,566	82,244	2.83	Differential
13	Philippines	10,414	3,646	2.86	Flat
14	**India**	**6,844**	**2,277**	**3.01**	**Flat**
15	Chinese Taipei	1,06,800	33,402	3.20	Both
16	Italy	1,22,160	35,585	3.43	Differential
17	United States	2,50,000	69,375	3.60	Both
18	Slovenia	1,22,160	28,939	4.22	Flat
19	Czech Republic	1,22,160	25,806	4.73	Differential
20	Portugal	1,22,160	24,457	4.99	Both
21	Malaysia	61,721	11,604	5.32	Differential
22	Greece	1,22,160	19,827	6.16	Differential
23	Hungary	1,22,160	18,528	6.59	Flat
24	Brazil	48,136	7,011	6.87	Flat
25	Poland- Banks	1,22,160	16,930	7.22	Flat
26	Romania	1,22,160	14,968	8.16	Differential
27	Bulgaria	1,22,160	11,321	10.79	Differential
28	Mexico	1,32,783	9,926	13.38	Flat

Source: IADI Annual Survey, 2021. World Bank Data Base.

ANNEX 2: DEPOSIT INSURANCE COVERAGE RATIO (ID/AD) AND KEY COMPONENTS OF INSURED DEPOSITS IN SELECT COUNTRIES

Sr No	Country	ID/AD Ratio	Components of Insured Deposits	Reserve Ratio
1	United States	0.51	Savings and checking account, money market deposit accounts, certificates of deposit (CD), prepaid cards (assuming certain FDIC requirements are met)	1.29
2	Canada	0.36	Savings and checking account, guaranteed Investment certificates (GICs) and other term deposits, foreign currency deposits	0.62
3	Germany	0.68	Savings and checking account, annuity contracts, foreign currency deposits	0.52
4	Chinese Taipei	0.49	Checking accounts, demand deposits, time deposits, deposits required by the law to be deposited in certain financial institutions, other deposits which the Financial Supervisory Commission has approved as insurable	0.47
5	Japan	0.73	Deposits, installment savings, installment deposits, money trust under the guarantee of principal, bank debentures (limited to custody products)	0.53
6	Czech Republic	0.65	Savings and checking account, foreign currency deposits	1.77
7	Poland- Banks	0.71	Savings and checking account, foreign currency deposits	1.81
8	Malaysia	0.32	Savings, current, fixed, foreign currency deposits, Islamic deposits, bank drafts, cheques, other payment instructions or instruments made against a deposit account	0.51
9	Portugal	0.72	Savings and checking account, foreign currency deposits, Government deposits	1.04
10	India	0.50	Savings, fixed, current, recurring deposit	1.70
11	Italy	0.62	Savings and checking account, CD, certified drafts of checks, foreign currency deposits	0.22
12	Bulgaria	0.71	Savings and checking account, CD, travellers check, money orders, foreign currency deposits	1.77
13	Philippines	0.21	Savings and checking account, CD, foreign currency deposits, interbank deposits, Government deposits	6.99
14	Hungary	0.55	Savings and checking account, CD, foreign currency deposits	0.46
15	Romania	0.58	Time deposits, current account, savings account, debit/credit card account, deposit account, joint account	2.71
16	Norway	0.63	Savings and checking account, foreign currency deposits	1.23
17	Greece	0.75	Savings account, foreign currency deposits	3.12
18	South Korea	0.51	Savings and checking account, CD, travellers check, certified drafts of checks, foreign currency deposits	0.49
19	Brazil	0.53	Savings and checking account, CD	3.71
20	Russia	0.54	Savings account, CD, foreign currency deposits	0.28
21	Turkey	0.41	Savings and checking account, foreign currency deposits	7.90
22	Spain	0.68	Savings and checking account, foreign currency deposits	0.51
23	Mexico	0.55	Savings account, CD	1.29
24	Macedonia	0.72	Savings account, CD, foreign currency deposits	6.83
25	EL Salvador	0.27	Savings and checking account, CD, foreign currency deposits, Government deposits	5.29

Source: IADI Annual Survey, 2021.

ANNEX 3: DEPOSIT INSURANCE SCOPE, COVERAGE AND TREATMENT OF E-MONEY IN SELECT JURISDICTIONS

Country/Deposit Insurance Agency	Scope	Coverage	Treatment of e-money and digital stored value products
United States **Federal Deposit Insurance Corporation/ National Credit Union Administration**	The United States has two federally mandated deposit insurance systems (DISs) depending on the type of institution: (i) deposits in banks and savings associations (thrifts) are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC); and (ii) deposits in credit unions are insured under a separate legislative mandate by the National Credit Union Administration (NCUA). The FDIC is an independent agency of the United States government that protects bank depositors against the loss of their insured deposits in the event that an insured bank or savings association fails. The NCUA created by the U.S. Congress in 1970 is an independent federal agency that insures deposits at federally insured credit unions, protects the members who own credit unions, and charters and regulates federal credit unions. It protects the safety and soundness of the credit union system by identifying, monitoring and reducing risks to the National Credit Union Share Insurance Fund. The Share Insurance Fund provides up to $250,000 of federal share insurance to account holders in all federal credit unions and the majority of state-chartered credit unions[18].	The coverage depends on whether the chosen financial product is a deposit product; and whether the bank is FDIC-insured. Coverage includes checking accounts, negotiable order of withdrawal accounts, savings accounts, money market deposit accounts, time deposits such as certificates of deposit (CDs), cashier's checks, money orders and other official items issued by a bank. The standard insurance amount is $250,000 per depositor, per insured bank, for each account ownership category. As separate coverage for deposits held in different account ownership categories is provided, depositors may qualify for coverage over $250,000, if they have funds in different ownership categories and all requirements are met. The FDIC does not cover stock investments, bond investments, mutual funds, life insurance policies, annuities, municipal securities, safe deposit boxes or their contents, and U.S. Treasury bills, bonds or notes[19].	Regardless of whether prepaid card issuers are banks or money transmitters, cardholders' funds deposited with banks are insured based on FDIC rules. Passthrough recognises the owners of a stored value card like prepaid card as the owner of the deposit in an insured depository institution subject to fulfilment of certain regulatory requirements[20].

18. National Credit Union Administration Website.
19. FDIC Website.
20. Hiroaki Kuwahara and Kazuaki Hara (2022), Prepaid Cards: A case Study of Japan, United States and the European Union, IADI Fintech Brief No.10

ANNEX 3: *(Contd.)*

Country/Deposit Insurance Agency	Scope	Coverage	Treatment of e-money and digital stored value products
South Korea **Korea Deposit Insurance Corporation**	The Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) started as a protector of bank depositors, while there were separate funds for non-bank financial sectors. The coverage was initially KRW 20 million per depositor, but the financial instability that resulted from the 1997 Asian financial crisis led the government to adopting a temporary blanket coverage scheme. The Deposit Protection Act was revised at the end of 1997, and, accordingly, separate deposit insurance funds were consolidated into the KDIC's Deposit Insurance Fund in April 1998. Not only deposits of banks but also those held by securities companies, insurance companies, merchant banks, mutual savings banks, and credit unions (excluded from the coverage since 2004) became eligible for protection. This created a single, comprehensive, and integrated deposit insurance system designed to enhance financial stability and ensure the public's confidence in the financial system. A transition was made to a limited coverage of KRW 50 million in 2001. The higher limit was established to ensure sustainable stability in the financial market. As the system is not immune to the risk of moral hazard, the KDIC closely monitors both financial and non-financial risks of insured financial institutions[21].	The insured financial products in the case of banks include demand deposits, savings deposits, instalment deposits, foreign currency deposits, reserves in defined contribution, retirement pension accounts or individual retirement pension accounts that are invested in KDIC-insured products, financial products subject to deposit protection which are incorporated into individual savings accounts, and money trusts with principal guarantees.	-

21. Korea Deposit Insurance Corporation Website.

ANNEX 3: *(Contd.)*

Country/Deposit Insurance Agency	Scope	Coverage	Treatment of e-money and digital stored value products
Canada **Canada Deposit Insurance Corporation**	In Canada, depositors are insured either at the national level by the Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) or at the provincial level by local deposit insurance systems (DISs). The CDIC insures deposits in federally chartered banks, trust companies, loan companies, cooperative credit associations and credit unions, and provincially chartered trust companies and loan companies up to CAD$100,000 per depositor and institution. Deposits in provincially chartered credit unions and *caisses populaires* are restricted to operating within their province and are insured by deposit insurers at the provincial level[22].	CDIC covers checking accounts, savings accounts, tax-free savings accounts, guaranteed investment certificates and other term deposits that mature in five years or less, money orders, bank drafts, and checks certified issued by members. Foreign currency accounts, such as those held in U.S. dollars, deposits held in certain retirement accounts, such as registered retirement savings plans and registered retirement income funds, deposits held in registered education savings plans and registered disability savings plans up to CAD $100,000 per beneficiary are covered under deposit insurance. Deposits at federal credit unions are covered under the CDIC. Those held at provincial credit unions are covered by provincial deposit insurers and the coverage varies by province, ranging from a CAD$100,000 coverage limit (Ontario, Quebec) to full deposit coverage (Alberta, British Columbia, Manitoba and Saskatchewan).	Deposit protection may apply indirectly to e-money and digital stored value products[23] offered by third parties that hold deposits at CDIC member institutions, depending on 1) whether the deposits meet CDIC eligibility requirements and 2) how the funds are held at the CDIC member institution. As a result, similar deposit-like products, such as prepaid cards, may have a different level of deposit protection for consumers of these products, in the event of member institution failure.

22. FSB (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems: Peer Review Report, February 8.

23. The terms e-money or digital stored value products are not widely used in Canada. Instead, the legislation refers to end-user funds.

ANNEX 3: *(Contd.)*

Country/Deposit Insurance Agency	Scope	Coverage	Treatment of e-money and digital stored value products
European Union **Deposit Guarantee Scheme**	The Deposit Guarantee Scheme Directive (DGSD) was introduced in 2014 across the European Union (EU). It was a revision, following the global financial crisis, of the original DGSD introduced in 1994. The DGSD became law in all 28 EU countries and had to be incorporated into national law by 3rd July, 2015. It is considered a maximum harmonisation directive, meaning national law may not exceed the terms of the directive. To provide protection for depositors, reduce the risk of bank runs and safeguard the stability of the whole EU banking system DGSD requires EU member states to introduce at least one deposit guarantee scheme (DGS) in their jurisdiction that all deposit-takers must join. The coverage limit is EUR 100,000. The DGSD empowers the European Commission to adjust for inflation and also to review the coverage level at least every five years.	Some deposits, like those linked to life events (divorce, retirement, redundancy, invalidity or death) commonly called THB, temporary high balances, may be protected above EUR 100,000 for a limited period of time. DGSs must protect all deposits held by individuals and companies, but deposits of financial institutions, pension and retirement funds and public authorities are excluded from coverage. Member states may deviate from this and offer protection for pension schemes of small and medium enterprises and for the deposits of local authorities[24]. In Germany, commercial banks are covered by two statutory protection systems, *viz.* The Association of Private German Banks and the Association of German Public Banks. These banks may also join a voluntary and privately-run protection system that effectively "tops up" the statutory system. They offer a higher protection level than EUR100,000 and cover more types of depositors and deposits. The institutional protection systems for cooperative and savings banks protect cooperative banks and savings banks, rather than just depositors, by safeguarding the viability of the institutions through various arrangements and guarantees. The member institutions of these two systems do not participate in the statutory DGS[25].	As per the European Union Directive on Deposit Guarantee Scheme in the EU, electronic money and funds received in exchange for electronic money should not be treated as a deposit[26].

24. IADI (2021) Deposit Insurance Coverage Level and Scope, Research Paper, December.
25. FSB (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems: Peer Review Report, February 8.
26. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes.

ANNEX 3: *(Concld.)*

Country/Deposit Insurance Agency	Scope	Coverage	Treatment of e-money and digital stored value products
Japan **Deposit Insurance Corporation of Japan**	The Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) is mandated to establish the deposit insurance system in Japan and to contribute to the maintenance of stability of the financial system in order to protect depositors and others and ensure the settlement of funds related to failed financial institutions. The DI Act was amended in June 2013 to introduce the 'orderly resolution' regime. In addition to the DICJ for banks and credit cooperatives, there exists the Agricultural and Fishery Cooperative Savings Insurance Corporation.	Deposits falling under the category of deposits for payment and settlement purposes (those meeting three requirements: bearing no interest, payable on demand, and capable of providing payment and settlement services) are fully protected while deposits falling under other categories (general deposits) are protected up to 10 million Yen plus interest until the day of failure per depositor per institution. General deposits include, interest bearing ordinary deposits, time deposits, deposits at notice, savings deposits, deposits for preparation for taxes, installment savings, installment deposits, money trusts under guarantee of principal, bank debentures (limited to custody products).	Prepaid cards (or their stored values) are not regarded as deposits since they are not cash-redeemable, and are not protected by deposit insurance[27].

27. *Ibid* footnote 9

3. DIRECTORS' REPORT

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

Deposit insurance plays an important role in maintaining the stability of the financial system by protecting the interests of the small depositor and thereby ensuring public confidence. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), wholly owned by the Reserve Bank of India (RBI) and constituted under the DICGC Act 1961 is vested with the responsibility of deposit insurance in India. The key operations of the Corporation *viz.,* premium collection, settlement of claims, recovery of settled claims, investment of funds, accounting matters and tax compliance were carried out satisfactorily during 2021-22.

A landmark event during the year was the amendment to the DICGC Act 1961 in August 2021 which enabled timebound interim payment to depositors of banks placed under 'All Inclusive Directions (AID)' by the RBI, a practice generally not observed in other jurisdictions. The amendments have strengthened the mandate of the DICGC in terms of its resolution role. With a view to commemorating this milestone, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Finance Minister and Governor, RBI addressed the nation and distributed cheques to depositors of select banks on December 12, 2021 at *Vigyan Bhawan*, New Delhi. Pursuant to these amendments, the claims of depositors of 22 urban co-operative banks placed under AID were settled by the DICGC in terms of provisions of the Act. Another major landmark event was the provision of financial assistance to the Unity Small Finance Bank (USFB) for making deposit insurance payment to depositors of the erstwhile Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd. (PMCBL) upon merger. The major operational parameters of the working of the Corporation along with the key features of the financial accounts are presented in this Report.

Table 1: Insured Deposits*

	Particulars	As at the end of	
		March 31, 2022	March 31, 2021
1	Total No. of Accounts (crore)	262.2	252.6
2	Fully Protected Accounts (crore)^	256.7	247.8
3	2 to 1 (%)	97.9	98.1
4	Assessable Deposits (₹ crore)	1,65,49,630	1,49,67,770
5	Insured Deposits (₹ crore)	81,10,431	76,21,251
6	5 to 4 (%)	49.01	50.9

* Based on deposit base of September 2021 and September 2020 *i.e* six months prior to the reference date.

^ Refers to accounts covered by deposit insurance.

The number of insured banks registered with the Corporation stood at 2,040 as on March 31, 2022 comprising 141 commercial banks [including six payment banks (PBs), 12 small finance banks (SFBs), 43 regional rural banks (RRBs) and two local area banks (LABs)] and 1,899 co-operative banks (Appendix Table 1). 21 co-operative banks were deregistered during the year; nonetheless, co-operative banks remained predominant in terms of registered institutions (Appendix Table 2). During the year one co-operative bank and two SFBs were registered as insured banks (Appendix Table 3).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME - STYLISED FACTS

At present, deposit insurance covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all States and Union Territories (UTs).

I.1.1 INSURED DEPOSITS

The number of fully protected accounts (256.7 crore) at end-March 2022 constituted 97.9 per cent of the total number of accounts (262.2 crore) in the banking system as against the international benchmark of 80 per cent (Appendix Table 4). Of the deposits covered under insurance protection, RRBs account for the highest share at 82.9 per cent, followed by LABs at 76.4 per cent, co-operative banks at 66.5 per cent, State Bank of India and public sector banks at 54.1 per cent each, SFBs at 43.1 per cent, private sector banks at 38.5 per cent and foreign banks at 10.8 per cent (Appendix Table 5).

I.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

The total premium received by the Corporation during 2021-22 stood at ₹19,491 crore, with commercial banks contributing 93.6 per cent and co-operative banks accounting for the remaining 6.4 per cent (Table 2).

Chart 1: Extent of Protection Accorded to Depositors as at March end

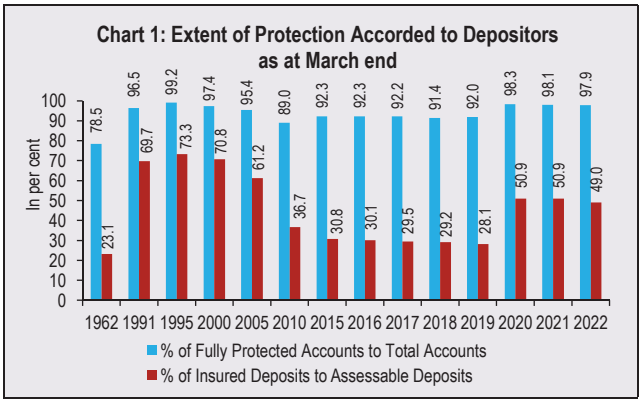

Table 2: Premium Received

(₹ crore)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517
2019-20	12,311	923	13,234
2018-19	11,192	851	12,043

I.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961 any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation interest for the period of such default at a rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed (Table 3).

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(Per cent)

From	To	Bank Rate	Penal Interest Rate	Interest Rate payable by Defaulting Banks
22.05.2020	31.03.2022	4.25	8.00	12.25

1.2 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities[1]. The DIF also gets inflows out of recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The Fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹1,46,842 crore as on March 31, 2022 yielding a Reserve Ratio (RR)[2] of 1.81 per cent (Chart 2).

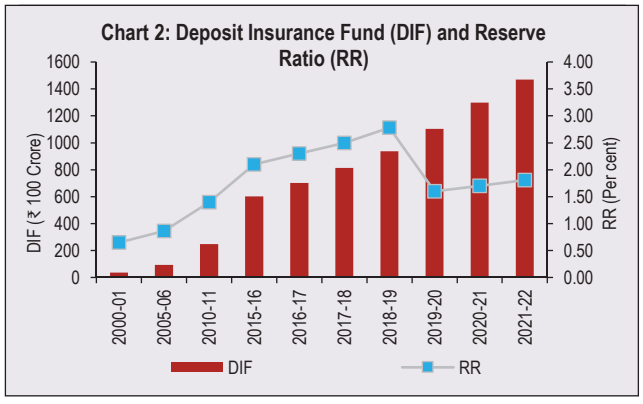

I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

The salient features of amendments to the DICGC Act are provided in Box 3.1.

During 2021-22, the Corporation settled claims amounting to ₹8,516.6 crore[3] to insured depositors of liquidated banks, merged entities banks and those placed under AID - ₹5,059.2 crore[4] on claims of liquidated and merged banks (Appendix Table 6 and Chart 3) and ₹3,457.4 crore pertaining to banks under AID (Appendix Table 6A and Chart 3A). There were no claims from commercial banks.

The Corporation holds a provision of ₹44.5 crore, reflecting the amount refunded by liquidators on account of untraceable depositors (claims sanctioned but depositors not traceable) and a provision of ₹202.3 crore towards unidentifiable

Box 3.1: Salient features of Amendments to the DICGC Act 1961

In terms of the amendment which came into effect from September 1, 2021, an insured bank is required to submit its claim within 45 days of imposition of AID. The Corporation has to get the claims verified within 30 days and pay the depositors within the next 15 days.

In case the RBI finds it expedient to bring the bank under a scheme of amalgamation/compromise or arrangement/reconstruction, the liability of the Corporation to pay interim deposit insurance will get extended by a further period of 90 days.

Other amendments include raising the limit of 15 paise per ₹100 of deposits on insurance premium with the approval of RBI. Furthermore, the DICGC, with the approval of its Board, may defer or vary the repayment period for the insured bank and charge penal interest of 2 per cent over the repo rate in case of delay. Consequent to these amendments, regulations on the procedure relating to claims settlement and granting time to insured banks for recovery of claims have also been amended.

1. The Corporation increased the premium rate to 12 paise per ₹100 of assessable deposits with effect from April 1, 2020 from the earlier rate of 10 paise.
2. Ratio of deposit insurance fund to insured deposits.
3. ₹8,516.6 crore includes ₹8,474.1 crore sanctioned towards claims of liquidated/ merged banks and ₹42.6 crore settled to three banks by way of granting in-principle approval by DICGC under 'Policy on Expeditious Settlement of Claims - Payment to Depositors out of Liquid Funds of banks', as indicated in Appendix Table 6.
4. This includes ₹3,791.6 crore sanctioned in respect of the claim of PMCBL settled as per the provisions of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022.

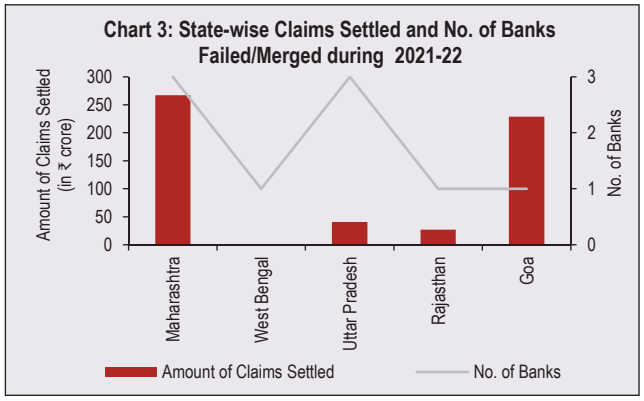

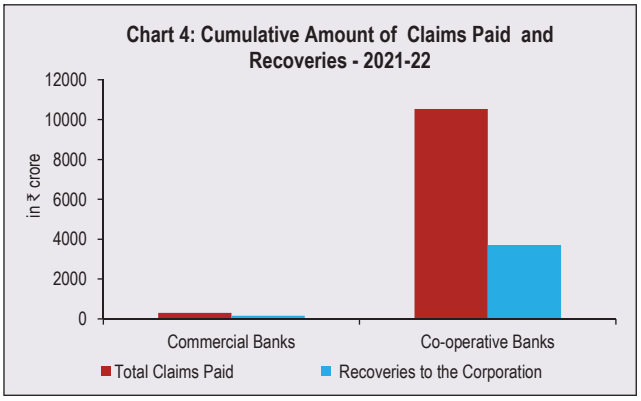

depositors for servicing future claims, if any. There were six banks whose licenses were cancelled and contingent liability was created whose claims are yet to be received (Appendix Table 7). In the case of banks under AID the provision held under contingent liability was ₹2,619.1 crore (Appendix Table 7A).

The average number of days taken for settlement of main claims of liquidated banks by DICGC after receipt of claims reduced to 3 days during 2021-22 as against 7 days during 2020-21, *i.e* well within 2 months, the period stipulated in the DICGC Act, 1961.

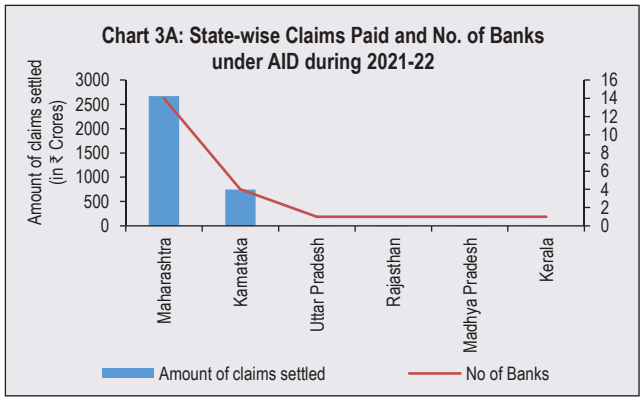

I.4 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED

Since the inception of deposit insurance, a cumulative amount of ₹295.9 crore has been paid up to March 31, 2022 towards claims of 27 commercial banks, ₹10,524.3 crore towards claims of 374 liquidated co-operative banks (including ₹5,059.2 crore settled during the year) (Chart 4 and Appendix Table 8) and ₹3,457.4 crore towards claims of 22 urban co-operative banks placed under AID (Chart 5 and Appendix Table 8A).

Cumulative recoveries received from liquidators/transferee commercial banks aggregated to ₹155.9 crore inclusive of ₹2.9 crore received during 2021-22. An amount of ₹94.1 lakh has been written off in respect of 4 banks during the year. In the case of co-operative banks, recoveries from liquidators / transferee banks aggregated to ₹3,689[5] crore, including ₹399 crore received during the year.

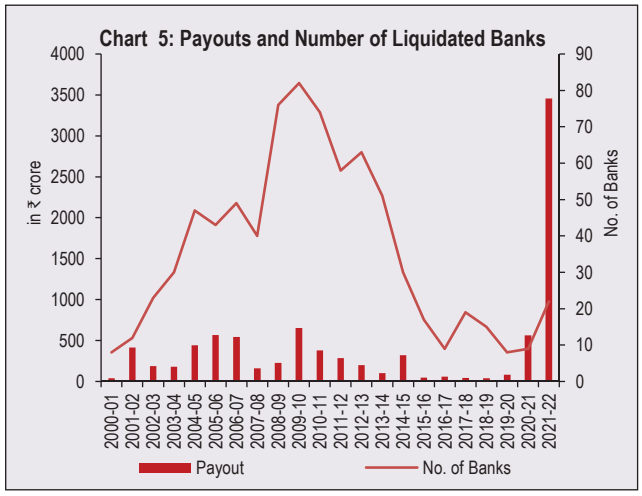

5. Exclusive of claims settled under expeditious policy in case of three banks amounting to ₹42.6 crore through liquid funds.

I.5 COURT CASES

As on March 31, 2022 the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various courts stood at 55, up from 49 as on March 31, 2021. During the year, no case was closed, while five new cases were filed. Out of the 55 pending cases, six cases were filed by the Corporation (for recovery), while in 49 cases the Corporation was made party or respondent (mainly against liquidation/cancellation of licence/regulatory action).

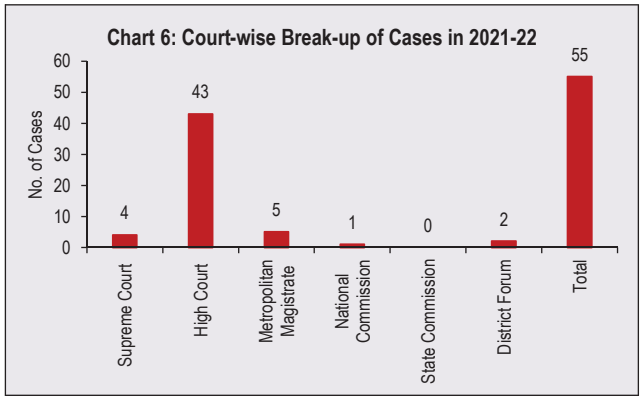

I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, no credit guarantee scheme is being administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) aggregated to ₹0.49 lakh during 2021-22 as against ₹0.36 lakh received during the previous year.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/DEVELOPMENTS

II.1 MEASURES TO FACILITATE EARLY SETTLEMENT OF CLAIMS

The Corporation has undertaken initiatives for payment of claims in respect of banks under AID consequent to the amendments in the DICGC Act, 1961 within the stipulated time (Box 3.2).

The efforts undertaken by the Corporation in ensuring timely settlement of claims were duly recognised and appreciated.

II.2 MEASURES RELATED TO RECOVERY MANAGEMENT

All banks under AID for which claims have been settled under Section 18A have been advised that repayment is to be made to the Corporation in five equal instalments beginning after December 31, 2022. The value free transfer of Government securities for repayment has been effected for an amount of ₹112.1 crore from Karad Janata Sahkari

Box 3.2: Initiatives for Timely Settlement of Claims during 2021-22

- A policy for implementing the provisions of the amended Act within timelines, was framed.
- Operational guidelines for submission of claims to DICGC were issued.
- Chartered accountant (CA) firms were appointed for each bank after due processes of tendering.
- The banks under AID and CA firms were guided on submission of claims through several rounds of meetings, discussions and virtual workshops.
- Public awareness initiatives *viz.* newspaper advertisements, updating of DICGC website, issue of pamphlets and posters to banks for display in prominent places and sending of bulk SMSes were undertaken to widely publicise details regarding submission of willingness forms by depositors and settlement of claims.
- The first claim list was successfully submitted by all eligible banks within 45 days, each of which was settled within the statutory timeline of 90 days.

Bank Ltd. An amount of ₹94.1 lakh of dues from four banks has been written off with the approval of the Board.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The financial statements of the Corporation comprising its balance sheet, revenue account, and cash flow for the year and main operations for the year ended March 31, 2022 have been prepared in the form mentioned in Section 28 of the DICGC Act for each of the three funds *viz.,* Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of the Section 29 of the Act have been audited by the Statutory Auditors and are appended separately.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

(a) The Corporation processed net claims amounting to ₹8,121 crore during 2021-22. An amount of ₹8,474 crore (₹524 crore)[6] was paid towards insurance claims during 2021-22 inclusive of ₹353 crore paid from the liability crystalised in the previous year.

(b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) as estimated by the actuary stood at ₹13,974 crore (₹12,275 crore) at the end of the year, registering an increase of 13.8 per cent over the previous year due to increased payout in respect of banks under AID emanating from the amendments in DICGC Act 1961.

(c) There is no claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

(a) The surplus in the DIF was ₹20,566 crore (₹26,555 crore), registering a decrease of ₹5,989 crores (22.5 per cent) on a year-on-year basis, primarily on account of increase in expenditure by ₹7,128 crore on account of net claims, increase in actuarial liability by ₹1,699 crore and decrease in recovery of claims paid by ₹170 crore, which were partially offset by increase in premium income by ₹1,974 crore and increase in income from investment by ₹846 crore. The write back of provision in the case of untraceable depositors was Nil during 2021-22 as against ₹29.7 crore in the previous year.

(b) The surplus in the CGF was ₹45.0 crore (₹43.4 crore), attributed to increase in income from investments by ₹1.6 crore.

(c) The surplus in the General Fund (GF) stood at ₹36.0 crore (₹10.8 crore), mainly on account of interest on the income tax refund of ₹18 crore, decrease in depreciation by ₹7.6 crore, decrease in expenditure by ₹0.4 crore due to decrease in staff cost, establishment, travelling and halting allowances, advertisement, service contract / maintenance, which was offset by a decrease in income from investment by ₹0.7 crore.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2022 the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹1,32,868 crore (₹1,17,629 crore), ₹576 crore (₹542 crore) and ₹585 crore (₹558 crore), respectively.

6. The figures in parentheses adjacent to the current year's data indicate the corresponding position in the previous year.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, *viz.,* DIF, CGF and GF, stood at ₹1,48,747 crore (₹1,32,223 crore), ₹589 crore (₹555 crore) and ₹616 crore (₹630 crore), respectively, at the end of 2021-22. All the funds recorded appreciation and the market value of investments in all the three funds stood at ₹1,50,588 crore, ₹623 crore and ₹627 crore, respectively.

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2022, the accumulated balance (outstanding) in the Advance Income Tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹17,578 crore (₹25,349 crore), ₹42 crore (₹61 crore) and ₹11 crore(₹18 crore), respectively. The accumulated balance in provision for taxation stood at ₹15,757 crore (₹23,658 crore), ₹33 crore (₹46 crore) and ₹13 crore (₹18 crore), respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks. It has discharged the GST liability in compliance thereof of the order of ₹3,509 crore during the year. The same was collected from insured banks.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

IV.1 In terms of Section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in Central Government securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹1,49,952 crore as on March 31, 2022 as compared with ₹1,33,407 crore as on March 31, 2021 representing an increase of 12.4 per cent over the previous year. The Market Value of the portfolio stood at ₹1,51,837 crore as on March 31, 2022 as compared with ₹1,40,436 crore as on March 31, 2021, registering an increase of 8.12 per cent and 1.01 times of book value *vis-à-vis* 1.05 times as on March 31, 2021. The portfolio return[7] during the year was 3.66 per cent as compared with 6.47 per cent in 2020-21, mainly on account of lower appreciation in market value of the portfolio compared to the previous year. The market value of existing and fresh investments during the year were adversely affected by significant rise in yields.

IV.2 Central Government securities are valued at model prices published by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of the accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised while net appreciation, if any, is ignored. As on March 31, 2022 all funds recorded net appreciation. Further, the Corporation maintains Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2022 IFR of ₹6,536.4 crore calculated by the Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹6,388.7 crore as on March 31, 2021.

IV.3 Yields on the securities hardened during the year (the 10-year bench mark yield was 6.84 per cent as on March 31, 2022 *vis-à-vis* 6.18 per cent on March 31, 2021[8]). Yields rose during the year as economies across the world started normalising monetary policy in response to inflationary pressures. During the last quarter, tapering of asset purchases and rate hikes, followed by the geopolitical hostilities hardened yields significantly.

7. TWR is calculated using the Dietz Method, *viz.* TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)] , where MVE/B = Market value at End/ Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.
8. 10-year benchmark was 5.85 GS 2030 as on March 31, 2020. Thereafter, 6.10 GS 2031 was issued in July 2021, and 6.54 GS 2032 (current 10-Year on-the-run security) was issued in January 2022.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Four meetings of the Board were held during the year under review.

V.1.1 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Shri Pammi Vijaya Kumar, Executive Director, RBI appointed under Section 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961, ceased to be a Director on the Board of the Corporation with effect from May 31, 2021 on account of superannuation. Shri. R Subramanian was nominated by the RBI under section 6 (1) (b) of the DICGC Act 1961 as the Executive Director of the Corporation for the period August 25, 2021 to January 3, 2022. Dr. Deepak Kumar has since been nominated by the RBI under section 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961, as the Executive Director of the Corporation with effect from January 4, 2022.

Smt. Vandita Kaul, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Director on the Board of the Corporation by the Central Government under Section 6(1) (c) of the DICGC Act, 1961, for the period November 21, 2021 to March 31, 2022. Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has been appointed as Director on the Board of the Corporation by the Central Government under Section 6(1) (c) of the DICGC Act, 1961, with effect from April 1, 2022.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2022, the Audit Committee of Board was as under:

1.	Dr. Govinda Rajulu Chintala	Chairperson
2.	Smt. Vandita Kaul	GOI nominee Director
3.	Dr. Deepak Kumar	Director

Four meetings of the Audit Committee of the Board were held during the year.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds *viz.,* DIF, CGF and GF, through quarterly reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, *viz.,* liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of IT vendor; legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments. It is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, *viz.,* premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts *vis-à-vis* actual expenditure, based on the position as at the end of each half year, is placed before the Board.

V.3.1 CONCURRENT AUDIT

M/s Devendra Kumar & Associates have been re-appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2022-23. The major findings of monthly audit are placed before the Audit Committee of the Board.

V.3.2 CONTROL AND SELF-ASSESSMENT AUDIT

Under Control and Self-Assessment Audit (CSAA), a system has been put in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas with which they are not functionally associated on a half-yearly basis. Reports for corrective actions, if any, are submitted by them. The CSAA for HY ended December 2021 has been conducted and the report was placed before the management team.

V.3.3 RISK BASED INTERNAL AUDIT

Risk Based Internal Audit (RBIA) of the DICGC was conducted by the Inspection Department of the RBI.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade skills. These programmes are conducted by various training establishments of the RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, the International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2021-22, 27 officers, one class III and class IV employee each were nominated to participate in these programmes through Webex. Besides three officers were nominated for participating in a programme on 'IADI, Asia Pacific Regional Committee (APRC) conference, Annual General Meeting (AGM) and CEO dialogue' organised by the Malaysia Deposit Insurance Corporation, Malaysia. Seven officers were also nominated to attend the 2021 Korea Deposit Insurance Corporation Global Training on Risk Management and Public Awareness.

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from the RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2022 stood at 59 as against 52 as on March 31, 2021 (Table 4).

Table 4: Category wise Staff Strength as on March 31, 2022

Category	Number	Of which		Per cent	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	35*	3	3	9	9
Class III	22	4	2	18	9
Class IV	2	0	0	0	0
Total	59	7	5	12	8

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes.
*Excluding ED

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right to Information Act (RTI). During 2021-22, a total of 64 RTI requests and 1 appeal were received. They pertained primarily to the role of the RBI and the DICGC in protecting depositors, information on claim settlement, extent of deposit insurance cover, guarantee given by Government of India on deposits of failed banks, and queries on enhanced deposit insurance cover. The queries were disposed off within the prescribe timeframe.

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Languages Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee met on a quarterly basis to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 98.96 per cent of the total in 2021-22. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held on September 14, 2021.

V.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public. The Customer Service Cell is

under the charge of a Senior Officer. The disposal of complaints was made by coordinating with liquidators, Registrar of Co-operative Societies and Regional Offices (ROs) of Department of Supervision/Department of Regulation, RBI. Issues relating to complaints were also taken up in the Sub Committee of Task Force on Urban Co-operative Banks (TAFCUB) in specific cases for disposal.

V.9 PUBLIC AWARENESS

The Corporation disseminates information about deposit insurance to the public through insured banks, its website, brochures and booklets. In compliance with Core Principle 10 of the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, the Corporation updates the status of claims settled/ pending on real time basis on the website. During the year, stickers were sent to ROs of RBI in the states of Assam, Goa, Gujarat, Maharashtra, Manipur, New Delhi and Uttar Pradesh regarding the availability of deposit insurance cover. The information on settlement of claims in case of banks under AID was placed on the website and advertisements were also published in newspapers. The Corporation also reached out to depositors by sending SMSes to their mobile numbers as furnished by banks under AID. The DICGC website is updated regularly with information on cancellation of registration of insured banks, appointment of liquidators, submission of main claims and consequent settlement. The claims submission portal has been updated in the website for submission of claim willingness forms by depositors.

V.10 ROLE IN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS

Four officials of the Corporation attended the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Virtual Training Programme held during June 14-17, 2021. Two officers participated in the 69th Executive Council (EXCO), AGM held *via* WebEx on June 30, 2021. Responses to the questionnaire on online payout received from Kazakhstan Deposit Insurance Fund (KDIF) were provided. The 19th IADI, APRC AGM held on August 5, 2021 was attended. The Annual Report of the Corporation for 2020-21 was circulated among the members of the IADI *via* email. Officials of the Corporation attended the Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) round table conference held on February 24-25, 2022 *via* WebEx.

The details of the Executive Director of the Corporation have been updated with IADI and APRC Secretariat from time to time. The Corporation participated in the APRC meeting held on November 24, 2021. The IADI Annual Survey for 2021 based on the Working of the Corporation as on March 31, 2021 was submitted. The summary of the IADI Extra Ordinary General Meeting and the Conference Outlook have also been submitted. Other liaison work relating to IADI was also attended to.

V.11 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s NBS & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2021-22 with the approval of the RBI.

For and on behalf of Board of Directors

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Mumbai
May 23, 2022

(M D Patra)
Chairman

APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE - PROGRESS SINCE INCEPTION

Year/Period	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	5	15	11	26	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS - CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067
2018-19	103	51	3	1,941	2,098
2017-18	101	56	3	1,949	2,109

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS – STATE - WISE (as at end March 2022)

Sr. No.	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	22	46	69
2.	Assam	1	0	8	9
3.	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4.	Bihar	1	23	4	28
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	0	4	5
7.	Gujarat	1	18	214	233
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jharkhand	1	1	1	3
11.	Karnataka	1	21	260	282
12.	Kerala	1	1	60	62
13.	Madhya Pradesh	1	38	48	87
14.	Maharashtra	1	31	482	514
15.	Manipur	1	0	3	4
16.	Meghalaya	1	0	3	4
17.	Mizoram	1	0	1	2
18.	Nagaland	1	0	0	1
19.	Orissa	1	17	9	27
20.	Punjab	1	20	4	25
21.	Rajasthan	1	29	35	65
22.	Sikkim	1	0	1	2
23.	Tamil Nadu	1	24	129	154
24.	Telangana	1	0	51	52
25.	Tripura	1	0	1	2
26.	Uttar Pradesh	1	50	60	111
27.	Uttarakhand	1	10	5	16
28.	West Bengal	1	17	42	60
	Union Territories				
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
2.	Chandigarh	1	0	0	1
3.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
4.	NCT Delhi	1	0	14	15
5.	Puducherry	1	0	1	2
TOTAL		**33**	**352**	**1,514**	**1,899**

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2021-22

A. REGISTERED (3)

Bank Type	Sr. No.	Name of the Bank
Co-operative Banks (1)	1.	District Central Co-operative Bank, Supaul, Bihar
Small Finance Banks (2)	1.	Shivalik Small Finance Bank
	2.	Unity Small Finance Bank

B. DE-REGISTERED (21)

Bank Type	State	Sr. No.	Name of the Bank
Co-operative Banks (21)	Delhi	1	Vaish Co-operative commercial Bank Ltd. (Merged with Panipat Urban Co-operative Bank Ltd.)
	Goa	1	Madgaum Urban Co-operative Bank Ltd.
	Gujarat	1	Texco Co-operative Bank Ltd. (Merged with Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd.)
		2	Baroda Traders Co-operative Bank Ltd. (Merged with Prime Co-operative Bank Ltd.)
		3	Mahila Vikas Co-operative Bank Ltd. (Merged with Junagadh Commercial Co-operative Bank Ltd.)
		4	The Salal Sarvodaya Nagrik Sahakari Bank Ltd. (Merged with The Varachha Co-operative Bank Ltd.)
	Karnataka	1	Bidar Mahila Co-operative Bank Ltd. (Merged with Vikas Souharda Co-operative Bank Ltd.)
		2	Sri Saranabasaveshwara Souharda Co-operative Bank Ltd. (Merged with SUCO Souharda Urban Co-operative Bank Ltd.)
	Madhya Pradesh	1	Nagrik Sahakari Bank Ltd. (Merged with Akola Urban Co-operative Bank Ltd.)
	Maharashtra	1	Bhagyodaya Friends Co-operative Bank Ltd.
		2	Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd.
		3	Shivajirao Nilangekar Urban Co-operative Bank Ltd.
		4	Independence Co-operative Bank Ltd.
		5	Mantha Urban Co-operative Bank Ltd.
		6	Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank Ltd.
		7	Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd. (Amalgamated with Unity Small Finance Bank Ltd.)
		8	Karnala Nagri Sahakari Bank Ltd.
		9	Needs of Life Co-operative Bank Ltd. (Merged with Sutex Co-operative Bank)
	Uttar Pradesh	1	People's Co-operative Bank Ltd.
		2	Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd. (Voluntary transition to Shivalik Small Finance Bank)
	West Bengal	1	United Co-operative Bank Ltd.

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

Year	Fully Protected Accounts (number in crore)*	Total Accounts (number in crore)	% of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (₹100 crore)	Assessable Deposits (₹100 crore)	% of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	256.7	262.2	97.9	81,104	1,65,496	49.0
2020-21	247.8	252.6	98.1	76,213	1,49,678	50.9
2019-20	216.1 (231.0)	235.0	92.0 (98.3)	36,961 (68,715)	1,34,889	27.4 (50.9)
2018-19	200.0	217.4	92.0	33,700	1,20,051	28.1
2017-18	177.5	194.1	91.4	32,753	1,12,020	29.2
2016-17	173.7	188.5	92.1	30,509	1,03,531	29.5
2015-16	155.3	168.1	92.3	28,264	94,053	30.1
2014-15	134.5	145.6	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	126.7	137.0	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	139.3	148.2	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	99.6	107.3	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	97.7	105.2	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	126.7	142.4	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	120.4	134.9	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	96.2	103.9	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	68.3	71.7	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	50.6	53.7	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	62.0	65.0	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	51.9	54.4	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	57.8	60.0	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	46.4	48.2	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	43.2	44.6	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	43.0	44.2	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	45.4	46.4	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	37.1	41.1	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	42.7	43.5	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	48.2	48.7	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	49.6	49.9	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	35.0	35.3	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	34.0	35.4	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	31.7	32.9	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	29.8	30.9	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	0.6	0.7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from Feb 4, 2020 onwards. The figures in parentheses are estimated based on ₹5,00,000 insurance coverage as the deposit insurance returns data pertains to September 2019 did not have granular information above ₹3,00,000.

Note: Data from 2009-10 as per new reporting format.

APPENDIX TABLE 5: BANK WISE CATEGORY - INSURED DEPOSIT

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹100 crore)	Assessable Deposits (₹100 crore)	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2021-22	I. Commercial Banks (i to vii)	98	70,130	1,50,215	46.7
	i) SBI	1	18,594	34,372	54.1
	ii) Public Sector banks	11	31,458	58,168	54.1
	iii) Foreign banks	45	867	8,001	10.8
	iv) Private banks	21	18,710	48,601	38.5
	v) Payment bank	6	63	63	99.6
	vi) Small Fin bank	12	431	1,001	43.1
	vii) Local Area banks	2	7	10	76.4
	II. RRBs	43	4,087	4,930	82.9
	III. Co-operative banks	1,899	6,886	10,352	66.5
	Total (I+II+III)	**2,040**	**81,104**	**1,65,496**	**49.0**
2020-21	I. Commercial Banks (i to vii)	96	65,410	1,35,088	48.4
	i) SBI	1	18,273	30,928	59.1
	ii) Public Sector banks	12	30,422	56,165	54.2
	iii) Foreign banks	46	675	7746	8.7
	iv) Private banks	19	15,676	39,483	39.7
	v) Payment banks	6	36	36	99.5
	vi) Small Fin banks	10	321	721	44.5
	vii) Local Area banks	2	7	9	80.1
	II. RRBs	43	3,915	4,665	83.9
	III. Co-operative banks	1,919	6,888	9,925	69.4
	Total (I+II+III)	**2,058**	**76,213**	**1,49,678**	**50.9**
2019-20	I. Commercial Banks (i to vii)	99	30,581 (58,601)	1,21,393	25.2 (48.3)
	i) SBI	1	8,394 (16,064)	27,223	30.8 (59.0)
	ii) Public Sector banks	12	15,065 (28,210)	50,054	30.1 (56.4)
	iii) Foreign banks	46	156 (374)	5,862	2.7 (6.4)
	iv) Private banks	21	6,847 (13,699)	37,692	18.2 (36.3)
	v) Payment banks	6	16 (16)	16	100.0 (100.0)
	vi) Small Fin banks	10	99 (232)	538	18.5 (43.1)
	vii) Local Area banks	3	4 (7)	8	48.7 (81.9)
	II. RRBs	45	2,410 (3,573)	4,193	57.5 (85.2)
	III. Co-operative banks	1,923	3,969 (6,541)	9,303	42.7 (70.3)
	Total (I+II+III)	**2,067**	**36,961 (68,715)**	**1,34,889**	**27.4 (50.9)**

Note: Figures in parentheses are estimated for ₹5 lakh deposit insurance coverage as the hike in deposit insurance cover was effected from February 4, 2020. The ratios may not tally due to rounding off.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2021-22
(Liquidated/Merged Banks)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Amount of Claims (₹ crore)
1	2	3	4	5
Co-operative Banks				
	Maharashtra (12)			
1	Karad Janata Sahakari Bank Ltd	Main	39,032	329.77
2	Shivam Sahakari Bank Ltd	Main	3,595	2.71
3	Shivajirao Bhosale SBL	Main	60,192	281.49
4	Karnala NSBL	Main	38,325	374.07
5	PMC Bank Ltd	Main	8,47,506	3,791.55
6	Vasantdada NSBL Osmanabad$	Main	N/A	32.83
7	Bhagyodaya Friends UCBL$	Main	N/A	8.05
8	Dr. Shivajirao Patil Nilangekar UCBL$	Main	N/A	1.69
9	Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd	Supplementary	13	0.04
10	CKP Co-operative Bank Ltd	Supplementary	7,163	58.62
11	Karad Janata Sahakari Bank Ltd	Supplementary	1,383	13.93
12	Shivajirao Bhosale SBL	Supplementary	606	6.20
Total (Maharashtra)		**Main (8) & Supplementary (4)**	**9,97,815**	**4,900.93**
	West Bengal (1)			
1	Baranagar Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.01
Total (West Bengal)		**Supplementary (1)**	**1**	**0.01**
	Rajasthan (1)			
1	Bhilwara Mahila UCBL, Rajasthan	Supplementary	798	2.06
Total (Rajasthan)		**Supplementary (1)**	**798**	**2.06**
	Goa (2)			
1	Madgaum UCBL	Main	32,221	136.04
2	Mapusa UCBL	Supplementary	2,311	20.14
Total (Goa)		**Main (1) & Supplementary (1)**	**34,532**	**156.18**
Total (All States)		**Main (9) & Supplementary (7)**	**10,33,146**	**5,059.18**

$ Claims Settled under expeditious settlement scheme.

APPENDIX TABLE 6A: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2021-22
(Banks under All Inclusive Directions (AID))

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Amount of Claims (₹ crore)
1	2	3	4	5
Co-operative Banks				
	Maharashtra (14)			
1	Mantha UCBL $	Main	28,946	45.82
2	Independence CBL $	Main	269	2.36
3	Shri Anand CBL Ltd	Main	10,931	9.42
4	Maratha SBL	Main	8,441	137.04
5	City CBL	Main	12,544	230.47
6	Sarjeraodada Naik SBL $	Main	10,888	68.26
7	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	Main	212	3.06
8	Kapol CBL	Main	18,234	211.32
9	Seva Vikas CBL	Main	13,344	151.28
10	Babaji Date Mahila SBL	Main	14,241	253.61
11	Laxmi CBL	Main	16,405	192.68
12	Malkapur UCBL	Main	22,685	478.16
13	Nagar UCBL	Main	9,462	181.71
14	Rupee CBL	Main	64,024	700.44
Total (Maharashtra)		**Main (14)**	**2,30,626**	**2,665.63**
	Karnataka (4)			
1	Mudhol CBL	Main	1,155	16.69
2	Deccan UCBL	Main	1,759	13.01
3	Millath CBL	Main	2,359	10.38
4	Shri Guru Raghavendra SBN	Main	22,149	709.44
Total (Karnataka)		**Main (4)**	**27,422**	**749.51**
	Rajasthan (1)			
1	Sikar UCBL	Main	1,001	16.24
Total (Rajasthan)		**Main (1)**	**1,001**	**16.24**
	Madhya Pradesh (1)			
1	Garha CBL	Main (1)	643	12.37
Total (Madhya Pradesh)		**Main (1)**	**643**	**12.37**
	Uttar Pradesh (1)			
1	Peoples CBL $	Main	872	7.40
Total (Uttar Pradesh)		**Main (1)**	**872**	**7.40**
	Kerala (1)			
1	Adoor CBL	Main	252	6.29
Total (Kerala)		**Main (1)**	**252**	**6.29**
Total (All States)		**Main (22)**	**2,60,816**	**3,457.44**

$ The banks have since been liquidated in Q4 FY22 after payment of claims u/s 18(A) of DICGC (Amendment) Act, 2021.

APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY
(As on March 31, 2022)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (₹ crore)
A	**> 10 years old**		
	-	-	-
	Total (A)	**-**	**-**
B	**> 5 years and 10 years old**		
	-	-	-
	Total (B)	**-**	**-**
C	**Between 1 and 5 years old**		
1	December 24, 2020	Subhadra Local Area Bank (U/L)*	7.75
2	January 11, 2021	United Co-operative Bank Ltd.(U/L) Bagnan, West Bengal#	2.23
3	February 03, 2022	Independence CBL (U/L)$	2.08
4	February 16, 2022	Mantha UCBL (U/L)$	19.84
5	March 02, 2022	Sarjerao Dada Naik shirala SBL (U/L)$	20.62
6	March 21, 2022	Peoples CBL, Kanpur (U/L)$	1.99
	Total (C)	**(6 Banks)**	**54.51**
Grand Total (A+B+C)		**(6 Banks)**	**54.51**

* Liquidator not appointed as on March 31, 2022. Matter sub-judice.
# Claim list is yet to be received from the liquidator.
$ The banks have since been liquidated in Q4 FY22.

APPENDIX TABLE 7A: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY – BANKS UNDER AID (As on March 31, 2022)

Sr. No.	Name of the Bank	Amount (₹ crore)
1	Mudhol CBL	8.81
2	Millath CBL	4.26
3	Shri Guru Raghavendra SBN	695.05
4	Deccan UCBL	4.15
5	Adoor CBL	1.90
6	Laxmi CBL	66.89
7	Malkapur UCBL	344.30
8	Maratha SBL	71.76
9	Nagar UCBL	288.10
10	Rupee CBL	263.93
11	Seva Vikas CBL	120.16
12	Babaji Date Mahila SBL	179.69
13	City CBL	126.87
14	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	3.94
15	Shri Anand CBL Ltd	3.88
16	Dwarkadas Mantri Nagari SBL	239.52
17	Kapol CBL	124.21
18	Garha CBL	15.52
19	Sikar UCBL	21.62
20	Indian Mercantile CBL	34.57
Total		**2,619.13**

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2022

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1 Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
	2 Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
	3 Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
	4 Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	-
	5 Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	6 Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	7 Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		3,70,000.00	3,70,000.00	-
	TOTAL 'A'		**3,91,139.79**	**3,91,139.79**	**-**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8 Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.79 (115.56)	-
	9 Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-
	10 Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	11 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12 Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13 Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	14 National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	15 Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	16 Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*		3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
	17 Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	18 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
	19 Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	20 Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	TOTAL 'B"		**8,17,291.74**	**1,91,403.91** **(6,25,887.83)**	-
	iii) Part repayment received (C)				
	21 National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	22 Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
	23 Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
	24 Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
	25 Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	26 Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		1,72,956.25	-	1,72,956.25
	27 Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		10,56,442.08	5,74,403.31	4,82,038.77
	TOTAL 'C'		**17,50,098.20**	**9,76,678.95**	**7,73,419.25**
	TOTAL (A+B+C)		**29,58,529.73**	**15,59,222.65** **(6,25,887.83)**	**7,73,419.25**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1 Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
	2 Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	-
	3 Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	4 Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	244.99	(26.00)
	5 Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	6 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7 Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
	8 Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	30,697.47	-
	9 Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)		629.80	629.80	-
	TOTAL 'D'		**47,835.02**	**47,861.02**	**(26.00)**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	10 Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	- (276.50)	-
	11 Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	- (60.31)	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	12 Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	13 Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	- (26.10)	-
	14 Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64 (180.80)	-
	15 The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	**-**
	iii) Part repayment received (F)				
	16 Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	17 Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	18 Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	19 Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	20 Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	21 Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	22 Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	484.89	-
	23 Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	24 Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
	25 Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P. (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	26 Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48
	27 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	28 Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.59
	29 Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	30 Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	31 Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	32 Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	103.04	1,880.64
	33 Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	2,227.77	19,792.80
	34 Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	35 Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	2,413.43	-0.00
	36 Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	29,279.79	7,265.73
	37 Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	3,000.00	19,662.97
	38 Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	39 Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^		915.79	915.79	-
	40 Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	41 Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	10,578.71	7,489.19
	42 Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	28,556.47	-
	43 Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	44 Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	45 Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	46 Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	47 Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
	48 Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	49 Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	50 Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	17,600.00	9,894.76
	51 The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	52 Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	0.24	1,695.85
	53 Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	54 Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	55 Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P. (2001)		26,135.83	15,704.50	10,431.33
	56 Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	5,068.09	-
	57 Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,939.70	6.91
	58 Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	40,15,185.54	40,15,185.54	-0.00
	59 Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)		2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
	60 Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	12,765.43	17,402.83
	61 Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	62 Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		1,40,667.57	62,046.41	78,621.16
	63 Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	0.01	37,959.73
	64 Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	302.00	2,746.95
	65 Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	7,821.24	-
	66 Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	147.03	48,309.63
	67 Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	68 Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	3.32	7,029.29
	69 The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	26,553.64	-
	70 Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	8,400.00	17,466.18
	71 Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,426.82	2,421.29	72,005.53
	72 Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	73 Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	4.16	22,444.25
	74 Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	342.72	47,164.53
	75 Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,028.84	45,339.50
	76 Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	68,141.14	3,600.57
	77 Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		11,289.66	11,289.66	-
	78 The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	79 Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)		47,432.57	47,432.57	-
	80 Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	3,099.50	26,947.14
	81 Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	82 Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		14,32,344.30	9,44,695.05	4,87,649.26
	83 Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,760.00	8,585.12
	84 Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	34,033.48	-
	85 Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,649.54	3,131.50
	86 The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	87 Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	47.91	48,832.23
	88 Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	33,331.32	(1.97)
	89 Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	33,177.94	-
	90 The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
	91 Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	9,702.80	47,542.79
	92 Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	93 Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	37,343.88	-
	94 The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	95 The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	41,281.62	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	96 Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	97 Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	17,626.44	17,881.77
	98 Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	3,038.47	-
	99 Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,698.00	(0.03)
	100 Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	40,729.41	2,241.76
	101 Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		1,15,872.42	27,318.21	88,554.22
	102 Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	22,952.19	-
	103 Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	104 General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		7,15,200.69	4,25,756.90	2,89,443.79
	105 Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	82.94	44,003.27
	106 Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		20,65,143.58	20,65,143.58	-
	107 Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	26,848.87	7,343.46
	108 Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)		38,46,162.46	28,76,836.93	9,69,325.52
	109 Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		1,794.45	164.60	1,629.85
	110 Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	111 The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	9,470.18	700.00
	112 The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	4,423.72	9,086.10
	113 Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,600.08	12,706.04
	114 Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	3,293.11	22,148.10
	115 Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	11,904.01	320.73
	116 Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,007.17	5,380.00
	117 Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^		4,787.55	4,787.55	-
	118 Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		3,741.01	4.74	3,736.27
	119 Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.91	41,604.74

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	120 Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	4,512.55	8,839.02
	121 Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	519.61	15,317.00
	122 Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
	123 Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,84,048.60	4,06,291.83	1,77,756.77
	124 The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	27,619.38	21,818.50
	125 Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	68,227.40	18,303.13
	126 Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	5,725.86	-
	127 Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
	128 Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	30,901.60	(9.20)
	129 Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^		6,06,403.31	6,06,403.31	-
	130 Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.71	66,870.29	7,165.42
	131 Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		2,99,340.86	50,849.32	2,48,491.54
	132 Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		2,23,150.28	67,681.19	1,55,469.08
	133 Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	43,070.74	10,684.52
	134 Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		1,30,437.03	1,30,437.03	-
	135 Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	15,706.37	-
	136 Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	729.55	16,843.88
	137 Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	0.24	3,031.27
	138 Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	3.72	8,497.37
	139 Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	18,999.84	-
	140 Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	1,022.80	6,480.34
	141 Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	19,149.74	61,065.07
	142 Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
	143 Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	190.09	10,708.63
	144 Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	24,741.48	-
	145 Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		1,20,659.85	103.13	1,20,556.72

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	146 Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	14,588.49	15,344.31
	147 Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	3,414.34	13,064.69
	148 Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	10,038.93	30,789.25
	149 The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	23,933.43	43,806.20
	150 Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
	151 Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	0.38	65,053.14
	152 Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		3,01,592.15	1,92,552.62	1,09,039.53
	153 Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.29
	154 Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		3,04,703.46	3,04,703.46	-
	155 Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		1,45,661.51	1,27,713.27	17,948.24
	156 Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	3.29	82,526.70
	157 Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,791.86	91,197.50
	158 Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		4,34,251.94	3,27,993.29	1,06,258.66
	159 Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		3,23,292.67	2,06,629.70	1,16,662.97
	160 Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		5,52,716.70	2,06,459.84	3,46,256.86
	161 Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
	162 The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,216.11	90,361.26
	163 Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
	164 Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		2,57,956.99	2,57,956.99	-
	165 Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	6,157.56	23,600.09
	166 Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		3,71,586.77	2,02,586.25	1,69,000.52
	167 Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,796.46	12,224.54

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	168 The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	4,767.09	6,847.81
	169 Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	4,846.70	-
	170 Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	12,825.48	-
	171 Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		1,65,896.38	98,183.34	67,713.04
	172 Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	58,811.81	(13.36)
	173 Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		1,16,051.52	26,444.24	89,607.27
	174 Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		7,55,959.06	7,55,959.06	-
	175 Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	1,702.99	4,903.12
	176 Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	21.68	20,371.83
	177 Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		1,03,903.73	33,949.78	69,953.95
	178 Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		3,23,215.02	3,23,215.02	-
	179 Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		3,67,807.52	2,27,393.79	1,40,413.73
	180 Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,844.29	29,731.74
	181 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,938.96	-
	182 The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	3,086.43	26,663.05
	183 Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	447.10	3,858.67
	184 Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
	185 Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	4,165.30	27,066.99
	186 Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	579.65	26,708.11
	187 Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		2,304.21	5.61	2,298.60
	188 Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	2.88	5,935.01

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	189 Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	0.67	1,485.33
	190 Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	5,446.71	7,528.11
	191 Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	2,962.98	19,115.95
	192 Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		1,60,286.13	73,518.98	86,767.15
	193 Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		2,476.52	78.08	2,398.43
	194 Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	4,189.25	50,657.86
	195 The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	3,377.84	6,884.52
	196 Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	11,238.00	-
	197 Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	1,84,558.65	1,84,558.65	-
	198 Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	199 Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32
	200 Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	2.24	6,128.72
	201 Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	8,391.32	1,013.55	7,377.77
	202 Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	7,442.90	7,442.90	-
	203 Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	182.42	2,490.71
	204 Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205 Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	206 Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	355.91	32,285.43
	207 Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	208 Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	4,54,367.84	3,255.92	4,51,111.91
	209 Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	1,85,521.69	1,85,521.69	-
	210 Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	211 Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
212	Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	1,64,573.59	34,173.51	1,30,400.08
213	Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	24,167.12	-
214	Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	9,446.41	13,403.49
215	Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	55,022.95	44,645.78
216	Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
217	Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	2,68,254.02	2,29,771.10	38,482.92
218	Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467	1,242.00	1,242.00	-
219	Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,441.56	32,004.93
220	Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	7,395.14	17,846.88
221	Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	1,12,933.28	56,013.28	56,920.00
222	Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	79,008.26	-
223	Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole-Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	16,201.67	9,086.82
224	The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	66,092.12	1,568.33
225	Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	36,584.83	29,208.00
226	Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	3,625.81	501.20	3,124.61
227	Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	10,030.16	2,717.31	7,312.85
228	Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	7.16	4,007.91
229	Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,612.38	34,572.07
230	Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	1,28,916.02	57,376.93	71,539.10
231	Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	3,74,582.84	3,05,503.72	69,079.12
232	Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
233	Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
234	Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	51,821.99	-

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	235 Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	236 Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	31,359.23	21,768.76
	237 Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	3,70,674.45	59,841.14	3,10,833.31
	238 South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	3,59,787.81	82,696.99	2,77,090.82
	239 Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	2,38,318.86	1,93,121.36	45,197.50
	240 Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	2,92,978.03	1,32,836.14	1,60,141.88
	241 Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242 Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.34
	243 Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	5,66,073.61	35,805.32	5,30,268.28
	244 Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	3,00,915.66	3,01,044.55	(128.88)
	245 Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	246 Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	247 Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	1,41,317	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
	248 The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	43,375.25	-
	249 Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	4,20,307.59	3,89,698.93	30,608.66
	250 Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	33,463.64	-
	251 Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	102.33	93,824.91
	252 Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	1,25,438.26	91,584.87	33,853.39
	253 The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	1,44,067.26	87,944.96	56,122.30
	254 Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	4,36,184.64	1,07,422.59	3,28,762.05
	255 Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	16.32	8,732.25

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	256 Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
	257 Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	70,182.85	-
	258 Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	4,87,115.50	2,10,279.84	2,76,835.66
	259 Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	0.74	57.98
	260 Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	9,721.26	41,521.81
	261 Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	5,615.61	10,013.41
	262 Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	263 Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	63.45	54,102.09
	264 Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	2,32,261.93	2,32,261.93	-0.00
	265 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	1,14,638.37	1,14,638.37	-0.00
	266 Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	10.00	4,304.54
	267 Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	4,48,117.96	3,45,514.98	1,02,602.98
	268 Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	2,60,370.86	1,02,147.10	1,58,223.76
	269 Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	1,46,202.60	50,586.60	95,616.00
	270 Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	4,03,741.10	3,53,859.76	49,881.34
	271 Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	4,76,606.19	3,09,031.48	1,67,574.71
	272 Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	15,063.13	10,782.66
	273 Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	16,052.04	33,260.39
	274 Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	769.25	48,583.21
	275 Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	71,482.68	60,959.22	10,523.46
	276 Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	277 Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	11,425.28	16,571.50

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	278 Kupwad Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	1,14,105.43	1,14,105.43	-
	279 Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	1,67,648.97	1,67,648.97	-
	280 Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281 Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
	282 Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	69,438.22	14,603.76
	283 Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	1,33,960.02	82,799.93	51,160.08
	284 Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	179.27	-
	285 Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	5,91,664.24	3,04,181.07	2,87,483.17
	286 Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	287 Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	44,788.02	22,605.36
	288 Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	17.08	2,552.67
	289 The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	290 The Paramatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
	291 Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	4,06,275.99	50,467.79	3,55,808.20
	292 Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
	293 Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	8,067.23	27,905.97
	294 Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	1,99,311.58	51,833.76	1,47,477.83
	295 Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	1,60,023.77	73,071.28	86,952.49
	296 Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	5,57,696.71	4,37,870.71	1,19,826.00
	297 Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298 Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	299 Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	3,545.78	18,456.66
	300 Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,947.39	4,540.94

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
301	Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	71,269.83	-
302	The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,440.55	28,119.46
303	Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)^	927	9,476.72	9,476.72	-
304	Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (2012)	18,516	2,43,635.93	2,140.89	2,41,495.04
305	Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	42,836.70	2,657.41
306	Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	2,37,520.12	2,37,520.12	-
307	National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	766.79	3,551.00
308	Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
309	Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	7,384.16	13,520.62
310	Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	32,042.29	24,042.29	8,000.00
311	Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	39,485.15	6,295.48
312	Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
313	Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	1,464.14	2,637.92
314	Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	12,203	1,01,677.83	1,01,701.63	(23.80)
315	Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	4,59,890.08	3,21,890.08	1,38,000.00
316	Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	20,243.26	51,976.12
317	Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	0.00
318	Abhinav Sahakari Bank Ltd. (2013)	12,452	25,343.98	25,343.98	-
319	Agrasen Co-op. Bank Ltd. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
320	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd. (2014)	11,501	92,475.42	63,685.63	28,789.79
321	Arjun Urban Co-op.Bank Ltd. (2014)	3,530	61,654.61	34,801.30	26,853.32
322	Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	6,134	42,156.92	14,824.01	27,332.91
323	Veershaiva Co-op. Bank Ltd. (2014)	40,373	7,27,615.26	7,27,615.26	-0.00
324	Silchar Urban Co-operative Bank Ltd. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
325	Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd. (2014)	1,30,638	28,77,206.83	6,95,716.81	21,81,490.02
326	The Srikakulam Co-operative Urban Bank Ltd. (2014)	7,078	10,495.79	7,935.53	2,560.26
327	Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	20,401	1,57,616.06	1,57,616.06	0.00
328	The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd. (2015)&	28,759	3,01,759.34	3,01,759.34	-0.00
329	Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	1,19,188.84	1,19,188.84	-
330	Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad (2015)&	29,343	1,56,382.66	1,56,382.66	-0.00

APPENDIX TABLE 8: *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
331	Vaishali Urban Co-operative Bank , Rajasthan (2015)	3,191	41,382.47	41,382.47	0.00
332	Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,190	77,816.31	38,211.72	39,604.59
333	Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,137	1,52,079.54	59,588.31	92,491.23
334	Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	4,308.27	781.57	3,526.70
335	The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	55,921.12	55,921.12	0.00
336	Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016) $		3,18,602.37	-	-
337	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	20,783.40	15,309.67	5,473.73
338	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	12,879.52	7,710.41	5,169.11
339	Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	21,888.06	21,888.60	-0.54
340	Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	39,755.90	39,774.48	(18.58)
341	Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14
342	Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	2,42,174.75	1,67,801.58	74,373.17
343	Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	261.65	0.00	261.65
344	Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	10,385.18	8,537.44	1,847.74
345	Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	4,591.16	877.53	3,713.63
346	Jamkhed Merchants CBL, Maharshtra (2020)	6,119	52,055.23	52,353.69	(298.46)
347	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)$	-	2,946.90	-	-
348	Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)$	-	27,601.00	-	-
349	Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	71,639.96	71,639.96	0.00
350	The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018) &	6,446	1,51,659.37	1,51,659.37	0.00
351	Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	68,559.47	34,025.57	34,533.90
352	Gokul UCBL Andra Pradesh/ Telangana (2019)$		13,579.00	-	-
353	Bhopal Nagarik SBL, MP(2019)$		84,394.67	-	-
354	United Commercial Co-op Bank ltd, Kanpur UP (2019)	24,684	2,47,534.55	1,66,492.73	
355	Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	27,434.83	7,956.74	
356	Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,216	1,01,184.47	20,038.00	
357	Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	3,01,398.79	20,755.49	2,80,643.29
358	C K P Co-operative Bank Ltd, Maharashtra (2020)	50,883	30,92,587.01	22,59,329.38	8,33,257.63
359	Navodaya UCBL, Nagpur (2020)	2,125	1,53,640.88	5,000.00	1,48,640.88
360	Shree Sai UCBL, Mukhed (2020)	449	9,372.57	1,671.30	7,701.27

APPENDIX TABLE 8: *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	361 Bhilwara Mahila Urban Co-operative Bank Ltd, Rajasthan (2020)	12,723	2,91,299.96	1,79,270.00	1,12,029.96
	362 Brahmawart Commercial CBL, UP (2021) $	26,425	2,51,000.00	-	-
	363 Ghaziabad UCBL, UP (2021) $	N/A	1,16,856.00	-	-
	364 Hardoi UCBL, UP (2021) $	11,918	42,022.68	-	-
	365 Mapusa UCBL, Goa (2021)	66,062	24,87,343.79	21,43,025.32	3,44,318.47
	366 Vasantdada NSBL Osmanabad (2021) $	N/A	3,28,300	-	-
	367 Karad Janata Sahakari Bank Ltd (2021)	40,415	34,36,995	11,21,333.72	23,15,661.46
	368 Shivam Sahakari Bank Ltd (2021)	3,595	27,067		27,066.96
	369 Shivajirao Bhosale SBL (2021)	60,798	28,76,872	1,72,326.27	27,04,545.83
	370 Bhagyodaya Friends UCBL (2021) $	N/A	80,464	-	-
	371 Dr. Shivajirao Patil Nilangekar UCBL (2021) $	N/A	16,886	-	-
	372 Karnala NSBL (2022)	38,325	37,40,551	-	37,40,551.30
	373 Madgaum UCBL (2022)	32,221	13,60,410	-	13,60,410.47
	374 PMC CBL (2022) *	8,47,506	3,79,15,533	-	3,79,15,533.37
	TOTAL 'F'		**10,51,87,529.15**	**3,68,42,683.96**	**6,83,44,845.19**
	TOTAL (D+E+F)		**10,52,43,192.59**	**3,68,92,878.75 (5,494.65)**	**6,83,44,819.19**
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)			**10,82,01,722.32**	**3,84,52,101.40 (6,31,382.48)**	**6,91,18,238.44**

*Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

$ Claims Settled under expeditious settlement scheme.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

Notes: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2022.

3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims

4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.

5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

APPENDIX TABLE 8A: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - BANKS PLACED UNDER ALL-INCLUSIVE DIRCTIONS (AID) UPTO MARCH 31, 2022

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
1	Mudhol CBL	1,155	1,66,937.15	-	1,66,937.15
2	Garha CBL	643	1,23,690.13	-	1,23,690.13
3	Mantha UCBL $	28,946	4,58,209.67	-	4,58,209.67
4	Independence CBL $	269	23,570.22	-	23,570.22
5	Deccan UCBL	1,759	1,30,057.73	-	1,30,057.73
6	Sikar UCBL	1,001	1,62,438.79	-	1,62,438.79
7	Peoples CBL $	872	73,956.08	-	73,956.08
8	Shri Anand CBL	10,931	94,182.23	-	94,182.23
9	Maratha SBL	8,441	13,70,405.09	-	13,70,405.09
10	City CBL	12,544	23,04,702.12	-	23,04,702.12
11	Millath CBL	2,359	1,03,775.63	-	1,03,775.63
12	Sarjeraodada Naik Shirala SBL $	10,888	6,82,626.80	-	6,82,626.80
13	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	212	30,610.71	-	30,610.71
14	Kapol CBL	18,234	21,13,173.64	-	21,13,173.64
15	Shri Gururaghavendra SBN	22,149	70,94,360.06	-	70,94,360.06
16	Adoor CBL	252	62,934.00	-	62,934.00
17	Seva Vikas CBL	13,344	15,12,751.64	-	15,12,751.64
18	Babaji Date Mahila SBL	14,241	25,36,110.03	-	25,36,110.03
19	Laxmi CBL	16,405	19,26,841.75	-	19,26,841.75
20	Malkapur UCBL	22,685	47,81,587.85	-	47,81,587.85
21	Nagar UCBL	9,462	18,17,103.59	-	18,17,103.59
22	Rupee CBL	64,024	70,04,409.34	-	70,04,409.34
Total		**2,60,816**	**3,45,74,434.25**	**-**	**3,45,74,434.25**

$ The banks have since been liquidated in Q4 FY22 after payment of claims u/s 18(A) of DICGC (Amendment) Act, 2021.
Note: Repayment is to be made to the Corporation in five equal instalments beginning after December 31, 2022

4. AUDITORS' REPORT

Tel.: (91-22) 22870588/0939/4140/2288/5229
Fax: (91-22) 2288 4910
Email: admin@nbsandco.in
Web: www.nbsandco.in

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2022 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as amended by The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, 2021 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2022, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of the Matter

We draw your attention to

a. Note No.2 of Notes to Accounts to the financial statements regarding the insertion of new section 18A to the DICGC Act 1961, with effect from September 01, 2021. Accordingly, DICGC has sanctioned ₹3,457.85 crores in respect of 23 banks and paid ₹3,457.43 crores in respect of 22 banks during the year as per the amendment.

b. Note No.3 of Notes to Accounts to the financial statements regarding claims paid under Amalgamation Scheme (Punjab and Maharashtra Co-Operative (PMC) Bank Ltd). During the year DICGC has paid Rs.3791.55 crores to the insured depositors of PMC Bank Ltd as per the scheme.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

NBS & Co.
Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P.M.Road, Fort,
Mumbai-400001.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Corporation.
- Conclude on the appropriateness of Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Revenue account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the preparation of the financial statements.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

For NBS & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg No: 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner
M. No. 046940
UDIN: 22046940AJNCFY5238

Place : Mumbai
Date : May 23, 2022

5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	LIABILITIES	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
12,27,527.00		**1. Fund : (Balance at the end of the year)**	**13,97,403.00**	0.00
		2. Surplus as per Revenue Account:		
98,29,709.88	50,986.93	Balance at the beginning of the year	1,17,62,903.41	54,235.83
19,33,193.53	3,248.90	Add: Transferred from Revenue Account	15,23,939.73	3,366.89
1,17,62,903.41	**54,235.83**	Balance at the end of the year	**1,32,86,843.14**	**57,602.72**
		3. (a) Investment Reserve		
0.00	0.00	Balance at the beginning of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Add: Transferred from Revenue Account	0.00	0.00
0.00	**0.00**	Balance at the end of the year	**0.00**	**0.00**
		(b) Investment Fluctuation Reserve		
5,77,412.68	3,462.16	Balance at the beginning of the year	6,31,378.18	3,462.16
53,965.51	0.00	Transferred from Revenue Account	14,767.22	0.00
6,31,378.18	**3,462.16**	Balance at the end of the year	**6,46,145.40**	**3,462.16**
55,641.88	**0.00**	**4. Claims Intimated and Admitted But Not paid**	**20,318.85**	**0.00**
0.00	0.00	**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**	0.00	0.00
0.00	0.00	**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**	0.00	0.00
4,456.31	**0.00**	**7. Insured Deposits remaining unclaimed**	**4,452.61**	**0.00**
		8. Other Liabilities		
915.31	0.00	(i) Sundry Creditors	552.88	0.00
23,65,813.37	4,615.42	(ii) Provision for Income Tax	15,75,704.48	3,255.75
35,798.35	0.00	(iii) Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	19,198.25	0.00
171.56	0.00	(iv) Amount refundable to Banks	135.98	0.00
31.39	0.00	(v) CGST, SGST & IGST Payable	0.01	0.00
24,02,729.99	**4,615.42**		**15,95,591.60**	**3,255.75**
1,60,84,636.77	**62,313.41**	**Total**	**1,69,50,754.60**	**64,320.63**

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Anup Kumar
Chief General Manager

Deepak Kumar
Executive Director

S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2022
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakh)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	ASSETS	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
105.77	**7.25**	**1. Balance with the Reserve Bank of India**	**8.11**	**413.72**
0.00	**0.00**	**2. Cash in Transit**	**0.00**	**0.00**
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)		
0.00	0.00	Treasury Bills	0.00	0.00
1,32,22,298.58	55,455.26	Dated Securities	1,48,74,725.92	58,852.38
1,32,22,298.58	**55,455.26**		**1,48,74,725.92**	**58,852.38**
1,28,14,437.65	*54,514.15*	***Face Value***	*1,44,71,139.01*	*57,838.75*
1,39,15,041.82	*60,432.66*	***Market Value***	*1,50,58,810.45*	*62,272.81*
2,34,096.76	**777.05**	**4. Interest accrued on investments**	**2,57,786.25**	**842.44**
		5. Other Assets		
0.00	0.00	(I) Sundry Debtors	3,134.57	0.00
25,34,919.76	6,073.84	(ii) Advance Income Tax	17,57,829.18	4,212.09
35,812.13	0.00	(iii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	19,210.81	0.00
35,798.35	0.00	(iv) Securities purchased under Reverse Repo	19,198.25	0.00
2,764.65	0.00	(v) Service Tax/CGST/SGST/IGST receivable	20.75	0.00
18,840.76	0.00	(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	18,840.76	0.00
26,28,135.65	**6,073.84**		**18,18,234.32**	**4,212.09**
1,60,84,636.77	**62,313.41**	**Total**	**1,69,50,754.60**	**64,320.63**

Govinda Rajulu Chintala
Director

Pankaj Sharma
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		EXPENDITURE	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
		1. To Claims:		
52,233.89	0.00	(a) Paid during the year	8,09,381.59	0.00
50,026.72	0.00	(b) Admitted but not paid	2,699.99	0.00
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**
		(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered		
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	**0.00**		**0.00**	**0.00**
(2,974.49)	0.00	(e) Less provision in r/o untraceable depositors written back	0.00	0.00
99,286.12	**0.00**	**Net Claims**	**8,12,081.58**	**0.00**
12,27,527.00	**0.00**	**2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)**	**13,97,403.00**	**0.00**
26,55,493.69	**4,341.59**	**To Net Surplus Carried Down**	**20,56,621.27**	**4,499.26**
39,82,306.81	**4,341.59**	**TOTAL**	**42,66,105.85**	**4,499.26**
		To Provision for Taxation		
6,68,334.65	1,092.69	Current Year	5,17,610.44	1,132.37
0.00	0.00	Earlier Years - Short (Excess)	303.88	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax	0.00	0.00
53,965.51	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)	14,767.22	0.00
19,33,193.53	**3,248.90**	**To Balance Carried to Surplus Account**	**15,23,939.73**	**3,366.89**
26,55,493.69	**4,341.59**		**20,56,621.27**	**4,499.26**

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Anup Kumar
Chief General Manager

Deepak Kumar
Executive Director

S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended March 31, 2022
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakh)

Previous Year			Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
12,08,730.00	**0.00**	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	**12,27,527.00**	**0.00**
17,51,716.58	**0.00**	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	**19,49,081.80**	**0.00**
56,853.70	**0.37**	**3. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	**39,894.92**	**0.50**
		4. By income from Investments		
9,33,143.16	4,341.22	(a) Interest on Investments	10,53,530.27	4,498.76
30,407.56	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	(8,067.33)	0.00
1,455.81	0.00	(c) By Reverse Repo interest income A/c	4,139.19	0.00
9,65,006.53	**4,341.22**		**10,49,602.13**	**4,498.76**
		5. Other Incomes		
0.00	0.00	Depreciation in value of Investments written back	0.00	0.00
39,82,306.81	**4,341.59**	**TOTAL**	**42,66,105.85**	**4,499.26**
26,55,493.69	4,341.59	By Net Surplus Brought Down	20,56,621.27	4,499.26
26,55,493.69	**4,341.59**		**20,56,621.27**	**4,499.26**

Govinda Rajulu Chintala
Director

Pankaj Sharma
Director

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year Amount	LIABILITIES	Current Year Amount
5,000.00	**1. Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**	**5,000.00**
	2. Reserves	
	A) General Reserve	
55,009.58	Balance at the beginning of the year	55,819.36
809.78	Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Account	2,695.48
55,819.36		**58,514.84**
	B) Investment Reserve	
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00
0.00	Transferred from Revenue account	0.00
0.00		**0.00**
	(C) Investment Fluctuation Reserve	
4,030.06	Balance at the beginning of the year	4,030.06
0.00	Transferred from Revenue Surplus	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. Current Liabilities and Provisions	
869.04	Outstanding Expenses	201.08
22.60	Sundry Creditors	21.46
1,765.41	Provision for Income Tax	1,343.87
0.18	CGST & SGST Payable	1.34
2,657.23		**1,567.74**
67,506.65	**Total**	**69,112.64**

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Anup Kumar
Chief General Manager

Deepak Kumar
Executive Director

S Sathish Kumar
General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on March 31, 2022
FUND (GF)

(₹ in Lakh)

Previous Year Amount	ASSETS	Current Year Amount
	1. CASH	
0.00	(i) In hand	0.00
53.49	(ii) With Reserve Bank of India	19.73
53.49		**19.73**
	2. Investments in Central Government Securities (At Cost)	
0.00	Treasury Bills	0.00
45,068.43	Dated Securities	16,437.67
17,916.18	Dated Securities deposited with CCIL (Face Value 4500)	45,170.34
62,984.61		**61,608.01**
62,686.20	***Face Value:***	*62,121.94*
68,152.12	***Market Value:***	*62,659.79*
456.98	**3. Interest accrued on Investments**	**1,113.41**
	4. Other Assets	
10.75	Project IASS Capitalised	23.18
35.48	Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	31.16
0.00	Stock of Stationery	0.00
11.06	Staff Advances	0.26
2,035.00	Margin Deposit with CCIL	5,035.00
1,806.40	Advance Income Tax / TDS	1,058.73
112.88	CGST, SGST & IGST receivable	223.16
4,011.57		**6,371.49**
67,506.65	**Total**	**69,112.64**

Govinda Rajulu Chintala
Director

Pankaj Sharma
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended March 31, 2022
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in Lakh)

Previous Year Amount	EXPENDITURE	Current Year Amount	Previous Year Amount	INCOME	Current Year Amount
1,310.86	**To Payment / Reimbursement of staff cost**	**1,162.09**		**By Income from Investments**	
0.00	**To Directors' and Committee Members' Fees**	**0.00**	4,610.82	(a) Interest on Investments	4,539.59
0.00	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses**	**0.36**	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	0.00
313.66	**To Rents,Taxes, Insurance, Lightings** *etc.*	**347.96**	**4,610.82**		**4,539.59**
418.67	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**	**369.25**	0.00		
16.56	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**	**24.13**		**By Depreciation on Investments written back**	0.00
74.79	**To Postage, telegrams and Telephones**	**88.18**			
21.28	**To Auditors' Fees**	**89.53**		**By Miscellaneous Receipt**	
21.55	**To Legal Charges**	**43.62**	0.40	Interest on advances to staff	0.00
22.72	**To Advertisements**	**9.33**	2.55	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	(0.73)
0.00	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**	**0.00**	**2.95**	Interest on refund of income tax	1,792.34
0.00	**To Miscellaneous Expenses**	0.00		Other misc receipts	0.01
6.50	Professional Charges	7.00			**1,791.62**
387.34	Service Contract / Maintenance	369.76			
4.65	Books, News Papers, Periodicals	7.06			
3.77	Book Grants	2.19			
0.32	Repair of Office Property-Dead Stock	1.28			
75.40	Transaction Charges-CCIL	118.37			
74.46	Others	72.83			
552.43		**578.49**			
7.10	Depreciation	**11.71**			
772.02	Depreciation on IASS	**4.53**			
1,082.12	**To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down**	**3,602.04**			
4,613.77	**Total**	**6,331.21**	**4,613.77**	**Total**	**6,331.21**
	To Balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down		**1,082.12**	**By Balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down**	**3,602.04**
	To Provision for Income Tax				
272.35	Current Year	906.56			
0.00	Earlier Years - Short (Excess)	0.00			
0.00	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**	0.00			
809.78	**To General Reserve Account**	2,695.48			
1,082.12	**Total**	**3,602.04**	**1,082.12**	**Total**	**3,602.04**

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Pankaj Sharma
Director

Deepak Kumar
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Govinda Rajulu Chintala
Director

S Sathish Kumar
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) & CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2022

(₹ in Lakh)

Previous Year March 31, 2021 Amount		Particulars		Period ended March 31, 2022 Amount	
DIF	CGF			DIF	CGF
		Cash Flow from Operating Activities			
26,55,493.69	4,341.59	Excess of Income over Expenditure	(a)	20,56,621.27	4,499.26
		Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :			
(9,34,598.97)	(4,341.22)	Interest on Investments		(10,57,669.46)	(4,498.77)
(30,407.56)	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		8,067.33	0.00
0.00		Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		-	0.00
0.00		Transfer to Investment Reserve		-	0.00
		Interest on Refund received		-	0.00
		Taxes		-	0.00
18,797.00		Provision in fund balance (as per Actuarial valuation)		1,69,876.00	
(9,46,209.53)	**(4,341.22)**		**(b)**	**(8,79,726.13)**	**(4,498.77)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease/(Increase) in			
(6,67,454.85)	(2,228.36)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(5,30,932.64)	(630.29)
0.00		Sundry Debtors		(3,134.57)	0.00
(161.88)		CGST, IGST & SGST receivable		36.09	0.00
1,08,679.21		Other Assets		35,909.23	0.00
0.00		Disputed Service Tax/Interest paid account		-	
(5,58,937.52)	**(2,228.36)**		**(c)**	**(4,98,121.89)**	**(630.29)**
		LIABILITIES :			
		(Decrease)/Increase in			
49,855.30		Estimated Liability in respect of claims intimated but not admitted		(35,323.02)	0.00
(2,886.07)		Unclaimed Deposits		(3.70)	0.00
758.16		Sundry Creditors		(362.45)	0.00
0.00		Sundry Deposit Accounts		-	0.00
0.00		Service Tax Payable A/C		(35.59)	0.00
(54,122.51)		Securities deliverable under Reverse Repo A/C		(16600.10)	0.00
0.00		Swachh Bharat Payable			
30.52		CGST, SGST & IGST Payable		(31.38)	
(6,364.61)			**(d)**	**(52,356.23)**	**0.00**
11,43,982.03	**(2,227.99)**	**Net Cash Flow from Operating Activities: (a+b+c+d)**	**(A)**	**6,26,417.02**	**(629.80)**
		Cash Flow from Investing Activities			
9,08,130.22	4,295.02	Interest on Investments Received		10,33,979.98	4,433.38
30,407.56		Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(8,067.33)	0.00
0.00		Transferred to GF		-	0.00
		Decrease/(Increase) in			
(21,00,453.92)	(2484.73)	Increase in Investments in Central Government Securities		(16,52,427.33)	(3,397.12)
(11,61,916.14)	**1810.29**	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**(6,26,514.68)**	**1,036.26**
		Cash Flow from Financing Activities	**(C)**		
(17,934.10)	**(417.70)**	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	**(97.66)**	**406.46**
18,039.88	**424.95**	Cash Balance at beginning of period		**105.77**	**7.25**
105.77	**7.25**	**Cash Balance at the end of year**		**8.11**	**413.72**

Note: Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Pankaj Sharma
Director

Deepak Kumar
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Govinda Rajulu Chintala
Director

S Sathish Kumar
General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. GENERAL FUND (GF)
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2022

(₹ in Lakh)

Previous Year March 31, 2021 Amount	Particulars		Period ended March 31, 2022 Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
1,082.12	Excess of Income over Expenditure	(a)	3,602.04
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
7.10	Depreciation		11.71
772.02	Depreciation on IASS		4.53
(4,610.82)	Interest on Investments		(4,539.59)
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.00
0.00	Transfer to Investment Reserve		0.00
0.00	Excess Provision written back		0.00
(0.40)	Interest on Advances to Staff		0.00
(2.55)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		0.73
0.00	Others -Misc Receipts		0.01
0.00	Income Tax		0.00
(3,834.65)		**(b)**	**(4,522.62)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
0.89	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		0.00
69.13	CGST, SGST & IGST receivable		(110.27)
133.92	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI *etc.*		10.80
(316.79)	Advance Income Tax		(587.43)
(505.00)	Margin Deposit with CCIL		(3,000.00)
57.65	Interest accrued on Staff Advances		0.00
134.53	Sundry Debtors		0.00
761.27	Project Cost		(12.43)
335.60		**(c)**	**(3,699.33)**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
	With Reserve Bank of India		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
22.36	Outstanding Expenses		(667.97)
(2.08)	Sundry Creditors		(1.14)
(0.14)	Other Deposits/ TDS		6.99
0.18	CGST & SGST Payable		1.16
20.32		**(d)**	**(660.96)**
(2,396.60)	**Net Cash Flow from Operating Activities**	**(A)**	**(5,280.87)**
	Cash Flow from Investing Activities		
5,129.79	Interest on Investments Received		3,883.16
0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		0.00
0.40	Interest on Advances to Staff		0.00
0.00	Funds received from DIF		(0.01)
0.00	Others		0.00
	Decrease (Increase) in		
(785.85)	Fixed assets		(12.66)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(27,772.60)	Dated Securities		28,630.76
25,757.97	Dated Securities deposited with CCIL		(27,254.16)
2,329.72	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**5,247.10**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
(66.88)	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**(33.77)**
	Cash Balance at Beginning of Year		
0.00	In Hand		0.00
120.37	With RBI		53.49
53.49	**Cash Balance at the end of year Note :**		**19.73**

Note: Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

As per our report of even date

For NBS & CO..
Chartered Accountants
Regn.No FRN 110100W

CA Pradeep Shetty
Partner (M No. 46940)

Mumbai
May 23, 2022
UDIN: 22046940AJNCFY5238

M D Patra
Chairman

Pankaj Sharma
Director

Deepak Kumar
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

Govinda Rajulu Chintala
Director

S Sathish Kumar
General Manager

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on de-registration of bank. Further, as per DICGC Amendment Act, 2021, the same will also be made for insured banks placed under direction /prohibition by the competent authority.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into the books of account of the Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process whichever is earlier.

(d) Further, for the claim settlement under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 the accounting policy indicated above stands same. The provision of liability as per the First List of willing depositors submitted by the bank will be held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section

18A of the DICGC Amendment Act, 2021 or at the end of direction/merger/ amalgamation, whichever is earlier.

(e) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018 the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more than 10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators.

Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted. The receipts of repayment in respect of the claims paid under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 will depend upon the time frame decided by the Board considering the capacity of the insured banks while taking into account prudential norms and can be deferred (as per Section 21 (3) of DICGC Amendment Act, 2021). In case of delay in repayment beyond the time period prescribed, penal interest at a maximum rate of two per cent above the repo rate per annum for the amount to be repaid to the Corporation will be charged by Corporation (as per Section 21 (4) of DICGC Amendment Act, 2021).

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. INVESTMENTS

i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.

ii) Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.

iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. FIXED ASSETS

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.

(ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹1 lakh and above), motor vehicles, furniture, *etc.* is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation
Computers, microprocessors, software, *etc.*	33.33%
Motor vehicles, furniture, *etc.*	20.00%

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year, otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

(iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, *etc.*, costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. LEASES

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. EMPLOYEES' BENEFITS / COST

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absence, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. TAXATION ON INCOME

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, being difference in taxable income and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. IMPAIRMENT OF ASSETS

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognized and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

(v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES NOT PROVIDED

A. Service Tax

(₹ in crore)

Nature of Contingent Liability	Current year	Previous year
Service Tax	175.51	175.51

Explanatory Notes

I. October 1, 2006 to September 30, 2011 (₹5,367.42 crore)

The Service Tax Department *vide* order dated January 10, 2013 raised a service tax demand amounting to ₹5,367.42 crore for the period October 1, 2006 to September 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) under the category of 'General Insurance Business'. Corporation filed an appeal on April 8, 2013 at CESTAT against the order. CESTAT *vide* order dated March 11, 2015 granted relief to the Corporation by setting aside entire demand of ₹5,367.42 crore for the period prior to September 20, 2011. However, CESTAT also held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and the Corporation is liable to pay Service Tax. The Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court for admission of appeal against CESTAT order setting aside the entire demand of ₹5,367.42 crore. The Corporation has filed a counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016 and the matter is yet to come up for hearing. The Corporation also filed an appeal on September 09, 2015 before the Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business".

In the meantime, Service Tax Department approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Sec 78 for the period April 01, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 crore which was also dismissed *vide* order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favor of the Corporation on merit *vide* order dated March 11, 2015. [Sec 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Sec 78 provides for levy of penalty when the Service Tax had not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 01, 2011 to March 31, 2013 (₹118.64 crore plus interest for delay ₹56.87 crore)

Consequent to the Computer Aided Audit Programme (CAAP Audit), Service Tax Department, *vide* letter dated June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹118.64 crore as 'additional service tax liability' for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by the Corporation as 'exclusive of Service Tax'. The Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. The Corporation paid an amount of ₹88.44 crore on January 8, 2015 and ₹30.2 crore on June 30, 2015 (total of ₹118.64 crore) 'under protest'. Corporation also paid the interest of ₹39.46 crore (Service Tax authorities considered March 31 and October 6 as the due date for payment for calculation of interest *vis-à-vis* June 6 and December 6 respectively as determined by Corporation) 'under protest'.

Commissioner (Appeals) *vide* order dated January 11, 2016 had held that the treatment of premium by the Corporation as 'inclusive of service tax' was as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. Corporation accordingly filed an appeal before CESTAT against the order on April 18, 2016. Department also filed an appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals).

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for the interest payment of ₹17.40 crore (excluding ₹39.6 crore paid by DICGC). Commissioner *vide* order dated August 16, 2018 had confirmed the demand raised. Corporation filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018. DICGC filed an application for refund *vide* letter dated June 1, 2018 for ₹158 crore as payment was made under protest. Assistant Commissioner *vide* order dated May 20, 2020 rejected the request for refund. Corporation filed an appeal before Commissioner (appeals) on October 20, 2020 against the order. Subsequently, a personal hearing in respect of the refund of ₹158 crore was held on January 6, 2021. As a result, Corporation received an order dated March 18, 2021 wherein Commissioner (Appeals) set aside the impugned order and decided the issue pertaining to refund of ₹158 crore in favour of the Corporation.

As the decision was in Corporation's favor, Corporation approached Service Tax Department for refund *vide* letter dated June 2, 2021. However, Service Tax Department filed an appeal against the decision in CESTAT. A copy in this regard was received by the Corporation on August 17, 2021.

B. Claims

(₹ in crore)

Contingent liability pertaining to	Accounting Code	March 31, 2022	March 31, 2021
a) Deregistered Banks	1080002	54.51	59.37(3)*
b) Untraceable depositors	1080006	149.59	149.59
c) Unidentifiable depositors	1080005	87.65	87.65
d) Banks under AID	1080003	2,619.13	-

** Figure in parentheses represents number of banks*

2. AMENDMENT OF SEC 18 OF DICGC ACT, 1961

Apropos the amendment to DICGC Act, 1961 a new Section 18A has been inserted in the Act with effect from September 1, 2021, wherein DICGC is liable to pay depositors of such insured banks in respect of which any direction is issued or any prohibition or order or scheme is made under any of the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and such direction, prohibition, order or scheme provides for restrictions on depositors of such bank from accessing their deposits. Accordingly, DICGC has sanctioned claims of insured deposits for ₹3,457.85 crore in respect of 23 banks and paid ₹3,457.43 crore in respect of 22 banks during the year.

3. CLAIMS PAID UNDER AMALGAMATION SCHEME (PUNJAB AND MAHARASHTRA CO-OPERATIVE (PMC) BANK LTD.)

In respect of insured deposits claims of Punjab and Maharashtra Co-operative (PMC) Bank Ltd., Mumbai, {pursuant to the amalgamation of the PMC Bank Ltd. with Unity Small Finance Bank (USFB) Ltd. as per the provisions of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022} DICGC has paid ₹3,791.55 crore u/s 16(2) of the DICGC Act, 1961.

4. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2022, IFR of ₹6,536 crore was maintained (₹6,389 crore as on March 31, 2021).

5. INTRA DAY LIQUIDITY ARRANGEMENT WITH RBI

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2,500 crore earmarked by Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility extended to the Corporation.

6. REPO TRANSACTIONS (AS PER RBI PRESCRIBED FORMAT)

In Face Value Terms (₹ in crore)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2022
I. Securities Sold under Repo				
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	10	8,955	1,251	187
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil

7. INCOME TAX

The Corporation will continue to exercise the option of paying income tax at the rate of 22% as provided in Sec 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 for Financial Year 2021-22 (AY 2022-23).

8. RELATED PARTY DISCLOSURE

Key Management Personnel

1. Shri. Pammi Vijaya Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India, was holding charge till May 31, 2021.

2. Shri. R. Subramanian, Executive Director, Reserve Bank of India, was holding charge from August 25, 2021 till January 3, 2022.

3. Dr. Deepak Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India is holding Charge from January 4, 2022.

Salary and perquisites of above Key Management Personnel are drawn from the Reserve Bank of India.

9. SEGMENT REPORTING

Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

10. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.